राजभाषा भारती

वर्ष: 39 अंक: 148 जुलाई-सितम्बर 2016

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

जन जन की भाषा है हिंदी

रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित राजभाषा स्वर्ण जयंती समारोह में पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करते हुए सचिव (राजभाषा) श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव तथा अन्य अतिथिगण।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, उपक्रम, मुंबई की बैठक में उपस्थित सचिव राजभाषा श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य अतिथिगण

भारति जय विजय करे, कनक-शस्य-कमल धरे

—निराला

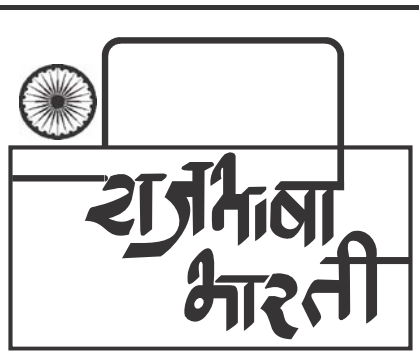

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष : 39

अंक : 148

(जुलाई-सितंबर, 2016)

⇨ **संरक्षक**

अनूप कुमार श्रीवास्तव भा॰ प्र॰ से॰
सचिव, राजभाषा विभाग

⇨ **प्रतिपालक**

डॉ॰ बिपिन बिहारी
संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग

⇨ **संपादक**

डॉ॰ श्रीप्रकाश शुक्ल
संयुक्त निदेशक (नीति/पत्रिका)
दूरभाष-011-23438250

⇨ **उप संपादक**

डॉ॰ धनेश द्विवेदी
दूरभाष-011-23438137

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उससे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

पत्र व्यवहार का पता:

संपादक,
राजभाषा विभाग
एन डी सी सी भवन -II,
चौथा तल, बी विंग
नई दिल्ली-110 001
ईमेल-patrika-ol@nic.in

नि:शुल्क वितरण के लिये

- संपादकीय
- संयुक्त सचिव की कलम से 1-2
- साक्षात्कार 3-6
- चिंतन
  1 हिंदी भाषा के प्रयोग की चुनौतियां और संभावनाएं - प्रो॰ गिरीश्वर मिश्र 7-8
  2 विधि की शिक्षा हिंदी से एवं न्यायालय में हिंदी - श्रीमती वंदना सक्सेना 9-15
- अनुवाद
  3 अनुवाद-तथ्यात्मक संभावनाएं - डॉ॰ आण्टणी पी एम 16-18
- साहित्यिक
  4 हिंदी और बांग्ला साहित्य - डॉ॰ अवधेश कु॰ चंसौलिया 19-22
- तकनीकी
  5 सूचना प्रौद्योगिकी और ग्राहक सेवा - डॉ॰ देवेंद्र सिंह रावत 23-27
- सांस्कृतिक
  6 भारत की शास्त्रीय भाषाएं-परिचय एवं स्वरूप - डॉ॰ राकेश शर्मा 28-32
  7 हिंदी पट्टी में लौटता हिंदी सिनेमा - दीपक दुआ 33-36
  8 सिंहस्थ - श्रद्धा का महापर्व - कृष्णवीर सिंह सिकरवार 37-41
- स्वास्थ्य
  9 योग और स्वास्थ्य - डॉ॰ सुशील कु॰ पाण्डेय 42-46
- विशेष
  10 बच्चों में हिंदी की रुचि का विकास और हिंदी बाल पत्रिकाएं - डॉ॰ सुधा पुष्प 47-51
  11 ग्रामीण विकास में सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का योगदान - श्रीमती मोनालिसां पंवार 52-57
  12 विदेशी धरती पर हिंदी के सितारे - उपेंद्र कुमार शुक्ल 58-60

कार्यशाला/संगोष्ठी **61–71**

'ग' क्षेत्र

क्षेत्रीय कार्यालय विजया बैंक मैसूर; आकाशवाणी कटक; आकाशवाणी, कोलकाता; आकाशवाणी राउरकेला; राज्य कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, हैदराबाद; एम सी एफ, हासन; कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), भुवनेश्वर, ओड़िशा; आकाशवाणी कटक; भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण मुरगांव, गोवा; महानिदेशालय असम राइफल्स, शिलांग, आकाशवाणी, हैदराबाद; आकाशवाणी गुवाहाटी, आकाशवाणी त्रिशूर, केरल; नराकास बेंगलूर, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, आंध्र प्रदेश; भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कोलकाता, प्रधान आयकर आयुक्त , पूर्वोत्तर क्षेत्र; आकाशवाणी कोलकाता; मानव संसाधन प्रबंधन अनुभाग, बेंगलूर कार्यालय; मुख्य पोस्टमास्टर जनरल; असम।

'ख' क्षेत्र

नराकास राजकोट; प्रधान आयकर आयुक्त चंडीगढ़; रेल मंडल, सतारा, पुणे।

'क' क्षेत्र

आकाशवाणी इन्दौर; अंतरिक्ष विभाग नई दिल्ली; सी एस आई आर, देहरादून; यूको बैंक पटना; क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान, नगड़ी, रांची; केन्द्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रक्षिण संस्थान, रांची क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र देहरादून; भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, उदयपुर।

पुरस्कार/प्रशिक्षण/प्रदर्शनी **71–72**

भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई, नराकास, भुवनेश्वर; नराकास बेंगलूर; पुणे रेल मंडल देहूरोड

पाठकों के पत्र **73–75**

संपादकीय

हिंदी शुरू से ही अनेक बोलियों, क्षेत्रों, जातियों और धर्मों के लोगों की भाषा रही है। उसका कोई एक सीमित और परिभाषित क्षेत्र भी नहीं है। यह भारत और भारत की सामासिक संस्कृति की भाषा रही है। जिस प्रकार हिंदी भाषियों की संख्या में दिन-प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि आज हिंदी केवल भारत की भाषा न होकर विश्व के एक बड़े समुदाय की भाषा के रूप में विकसित हो रही है।

'राजभाषा भारती' हिंदी के प्रचार-प्रसार में अपनी गति से अग्रसर है, जिसमें उसके सभी पाठकों का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारा निरंतर यह प्रयास है कि पत्रिका रुचिपूर्ण होने के साथ-साथ राजभाषा हिंदी की जानकारियों से सुसज्जित हो।

प्रस्तुत अंक में राजभाषा संबंधी चिंतन 'हिंदी भाषा के प्रयोग की चुनौतियां और संभावनाएं' नामक लेख से दर्शाया गया है। अनुवाद की महत्ता को 'अनुवाद-तथ्यात्मक संभावनाएं' नामक लेख से प्रदर्शित किया गया है। 'हिंदी और बांग्ला सहित्य' का तुलनात्मक अध्ययन साहित्यिक कॉलम के अंतर्गत किया गया है। 'सूचना प्रौद्योगिकी और ग्राहक सेवा' जैसे लेख हिंदी की तकनीकी क्षेत्रों में आवश्यकता पर बल देते हुए पाठकों को नई जानकारी देते दिखाई पड़ रहे हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत 'भारत की शास्त्रीय भाषाएं-परिचय एवं स्वरूप', 'हिंदी पट्टी में लौटता हिंदी सिनेमा' तथा हाल ही में संपन्न हुए सिंहस्थ महाकुंभ पर लेख 'सिंहस्थ-श्रृद्धा का महापर्व' जैसे लेखों को पत्रिका में स्थान दिया गया है। पत्रिका के इस अंक में विशेष कॉलम के अंतर्गत स्वास्थ्य आधारित 'योग और स्वास्थ्य' लेख के माध्यम से स्वस्थ रहने में योग की भूमिका का वर्णन देखने को मिलता है।

'बच्चों में हिंदी की रुचि का विकास और हिंदी बाल पत्रिकाएं', 'ग्रामीण विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का योगदान' तथा विदेशी धरती पर हिंदी के सितारे जैसे लेख पत्रिका को रुचिपूर्ण बनाते हैं। इसके अतिरिक्त, राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के प्रति राजभाषा भारती की प्रतिबद्धता के अनुरूप राजभाषा संबंधी गतिविधियां तथा अन्य नियमित सतंभ भी सदैव की भांति इस अंक में दिए जा रहे हैं। प्रस्तुत अंक से पत्रिका में साक्षात्कार का कॉलम शुरू किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत माननीय गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रीजीजू जी का साक्षात्कार प्रकाशित किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि इससे पाठकों को एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी।

गत तीन माह में राजभाषाा विभाग ने क्या उपलब्धियां हासिल की है इस बात की जानकारी, राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव डॉ. बिपिन बिहारी जी की कलम से सभी पाठकों को प्राप्त होगी।

आशा है कि पूर्व की भांति इस अंक को भी पाठकगण रुचिकर और उपयोगी पाएंगे। प्रबुद्ध पाठकों का सहयोग व उनकी प्रतिक्रिया इस पत्रिका को और अधिक उपयोगी बनाने में अपनी अहम् भूमिका अदा करती आ रही है, इस अंक की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी।

संपादक

संयुक्त सचिव की कलम से................

किसी भी देश की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रगति में उस देश की भाषा का अहम योगदान होता है। भाषा या बोली सिर्फ विचारों की वाहिका ही नहीं होती, अपितु राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता व संस्कारों के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन भी होती है। भाषा किसी भी देश की विशिष्ट पहचान होती है और देश की मौलिक सोच, राजकीय काम-काज और सृजनात्मक अभिव्यक्ति सही मायनों में सिर्फ अपनी भाषा में ही की जा सकती है। अपनी भाषा में मौलिक लेखन से अभिव्यक्ति बहुत ही सहज, स्वाभाविक और प्रभावी होती है जो कि अनुवाद की भाषा से संभव नहीं है। आज विश्व के अनेक विकसित देशों की विकास गाथाएं हमारे समक्ष समावेशी और सार्थक विकास के प्रतिमान के रूप में मौजूद हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी भाषा में काम करके ही विकास को नए आयाम दे सकता है। इस कड़ी में राजभाषा हिंदी का व्यापक प्रसार इसलिए भी आवश्यक है, कि यह आमजन की भाषा है और सरकार की कल्याणकारी योजनाएं तभी प्रभावी बन सकेंगी जब उनकी जानकारी आमजन की भाषा में उन तक पहुंचेगी।

हिंदी को और अधिक सशक्त, सर्व सुलभ और जनोपयोगी बनाने के लिए राजभाषा विभाग सतत् रूप से इस दिशा में प्रयासरत है कि केंद्र सरकार के अधिक से अधिक कार्मिकों को अपना काम हिंदी में करने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि सरकारी कार्य में हिंदी का प्रयोग बढ़े।

राजभाषा विभाग की त्रैमासिक गृह पत्रिका 'राजभाषा भारती' का प्रकाशन वर्ष 1978 से नियमित रूप से किया जा रहा है। इस पत्रिका के माध्यम से एक ओर हिंदी लेखन में रुचि रखने वाले सभी कार्मिकों को अपनी सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सुअवसर मिलता है, वहीं हमारा प्रयास रहता है कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना काम हिंदी में करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए। पिछले तीन महीनों में राजभाषा विभाग और इसके अधीनस्थ कार्यालयों ने राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार से संबंधित कुछ उल्लेखनीय कार्य निष्पादित किए हैं जिन्हें मैं सब के साथ साझा करना चाहता हूं।

मानव संसाधन प्रबंधन में प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण योगदान है और किसी भी संस्था के लिए आवश्यक है कि कर्मचारियों के लिए समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती रहे। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, केंद्र सरकार के कार्यालयों में अनुवाद कार्य से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इसी क्रम में, ब्यूरो

द्वारा देश के विभिन्न शहरों में 4 अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 60 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया।

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के टंकण/आशुलिपि पत्राचार एकक द्वारा देश भर में 19 केंद्रों पर तीन दिवसीय व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिंदी शब्द संसाधन, पत्राचार एकक द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम के 52 वें सत्र में 511 प्रशिक्षार्थियों का पंजीकरण किया गया। इसके अलावा, कार्यशाला एकक द्वारा गहन हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिनमें 123 कार्मिकों ने सहभागिता की। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य आधुनिक तकनीकी के हिंदीकरण पर जोर देने के लिए किया जाता है। मध्योत्तर क्षेत्र के प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्यसभा सचिवालय के कार्मिकों हेतु हिंदी कार्यशाला और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, पंपौर (जम्मू एवं कश्मीर) के कार्मिकों के लिए गहन विशेष प्रबोध कक्षाओं का आयोजन किया गया। देश के विभिन्न शहरों में 20 हिंदी कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का उद्देश्य सभी सदस्य कार्यालयों में समन्वय स्थापित करते हुए हिंदी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देना है। इस समय, देश भर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संख्या बढ़ कर 437 पहुंच गई है। सदस्य कार्यालयों की संख्या बहुत अधिक होने की स्थिति में उस समिति का विभाजन किया जाता है ताकि समिति के कार्यकलापों को प्रभावी ढंग से निष्पादित किया जा सके। देश के विभिन्न नगरों में 198 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों का आयोजन किया गया।

तकनीकी की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए राजभाषा विभाग की ओर से वर्ष में चार तकनीकी गोष्ठियों के आयोजन का निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत प्रथम तकनीकी गोष्ठी का आयोजन दिनांक 26 अगस्त 2016 को अमृतसर में किया गया। गोष्ठी में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली व चंडीगढ़ में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों/सदस्य सचिवों व केंद्र सरकार के कार्यालयों, बैंकों एवं उपक्रम आदि के प्रतिभागियों ने भाग लिया।

हिंदी के प्रयोग में बहुत क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग न किया जाए इसलिए विभाग ने अपनी वेबसाइट rajbhashavibhag.gov.in पर ई-महाशब्दकोश उपलब्ध कराया है जिसके अंतर्गत लगभग 5000 प्रशासनिक शब्दों की एक सरल शब्दावली दी गई है। इसका अधिकाधिक प्रयोग किया जाए तो सरल शब्दों का प्रयोग करना और आसान होगा। इसके अलावा, विभाग की वेबसाइट पर सर्वकालिक महान लेखकों की 100 कालजयी कहानियों का ऑडियो और टेक्स्ट उपलब्ध कराया गया है। इन्हें पढ़कर केंद्र सरकार के कार्मिकों एवं हिंदी प्रेमियों का हिंदी का ज्ञान बढ़ेगा और हिन्दी कथा साहित्य के प्रति उनका रुझान एवं रुचि और बढ़ेगी।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजभाषा प्रचार-प्रसार के इस पुनीत और पावन कार्य में आप सभी लोग सहयोग करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ आपका ....

—डॉ० बिपिन बिहारी

माननीय गृह राज्य मंत्री जी का साक्षात्कार

वर्तमान परिदृश्य में देश में हिंदी की स्थिति को किस प्रकार देखते हैं?

हिंदी की स्थिति निश्चित रूप से पहले की तुलना में काफी बेहतर है। आज देश के ज्यादातर हिस्सों में आम बोल-चाल की भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग बढ़ा है। सरकारी विभागों की बात करें तो सरकारी काम-काज में भी हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन यह भी सच है कि यह प्रयोग अभी भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। अच्छी बात यह है कि राजकीय काम-काज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने की दिशा में विभिन्न स्तर पर सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि ज्यादातर विभागों में कार्य हिंदी में हो और इसमें सभी की भागीदारी हो।

देश की आजादी के 69 वर्षों बाद भी हिंदी की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार को प्रयास करने पड़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण आप क्या समझते हैं?

हम सभी जानते हैं कि हिंदी ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सभी देशवासियों को एकजुट करके देश की आज़ादी की लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाई थी। इसके साथ-साथ अनेक हिंदीतर भाषी स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में मुख्य भूमिका निभाई। तब से लेकर आज तक हिंदी ने विकास की लंबी यात्रा तय की है। लेकिन, आज भी हिंदी को वह स्थान प्राप्त नहीं हुआ है जिसकी वह पात्र है। मेरे विचार से ऐसा होने के पीछे कुछ ऐतिहासिक कारण हैं जिनके चलते हुए अतीत में हिंदी की उन्नति में बहुत तीव्रता नही आ सकी। लेकिन आज समय आ गया है कि हमे हिंदुस्तान की मुख्य भाषा हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए मन, वचन एवं कर्म से कार्य करना होगा। किंतु यह बात भी सही है कि किसी भी राष्ट्र को जोड़ने के लिए एक भाषा का होना बहुत जरुरी है और हिंदी में वह सभी गुण समाहित हैं। राजकाज की भाषा हिंदी है, यह हम सभी जानते हैं और ज्यादा से ज्यादा कार्य हिंदी में करने की कोशिश भी की जा रही है। इसके लिए एक बात और भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भाषा किसी के ऊपर जबरन लादी नहीं जा सकती, जब भारत का प्रत्येक नागरिक जागरुक होगा तभी भाषा को वह स्थान मिल सकता है जो उसको मिलना चाहिए।

सरकारी कार्यों में प्रयोग के अलावा हिंदी का प्रयोग अन्य क्षेत्रों में किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है?

राजभाषा विभाग का मुख्य उद्देश्य है कि हिंदी को देश की जनता की भाषा बनाया जाए। विभाग ने हमेशा सरल और सहज हिंदी का प्रयोग करने के लिए कहा है। हम अपने सभी व्यक्तिगत कार्यों के लिए हिंदी में हस्ताक्षर करना शुरु करके, इस दिशा में पहला कदम उठा सकते हैं। हमें अपने दैनंदिन सरकारी कार्यों में हिंदी का प्रयोग स्वेच्छा एवं स्वाभाविक रूप से करना चाहिए और रोज़मर्रा के व्यक्तिगत कार्यों जैसे हस्ताक्षर, ई-मेल, एसएमएस, बधाई संदेश आदि में स्वप्रेरणा से हिंदी का ही प्रयोग करना चाहिए। भारत में युवाओं की सबसे बड़ी आबादी है। यदि हमारे देश के युवा मोबाइल और कंप्यूटर पर हिंदी का प्रयोग करें तो वर्तमान स्थिति में बड़ा बदलाव आ सकता है।

आपको लगता है कि राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में राज्यों का सहयोग पूरी तरह से प्राप्त हो रहा है?

जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है और पूरी तरह से लोग हिंदी में कार्य कर रहे हैं। जहां तक हिंदीतर भाषी राज्यों का प्रश्न है, उनमें हिंदी के अधिकतम उपयोग की दिशा में मिलजुल कर प्रयास होना चाहिए।

जिन राज्यों में लोगों की मातृभाषा हिंदी नहीं है उनमें हिंदी को बढ़ावा देने के लिए आप क्या करने की आवश्यकता महसूस करते हैं।

जिन राज्यों में हिंदी मातृभाषा नहीं है वहां प्राथमिक स्तर पर बच्चों में हिंदी के प्रति रुझान पैदा किया जाना चाहिए। वहां हिंदी के महत्व, वैज्ञानिकता, वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता, रोचकता आदि के बारे में जागरुकता पैदा करने की आवश्यकता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में हिंदी के प्रति रूझान पैदा किया जाए तभी हम ऐसी पीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं जो हिंदी में सोचती हो, बोलती हो और लिखती हो।

हिंदी के प्रचार-प्रसार में हिंदी सिनेमा की भूमिका को आप किस प्रकार देखते हैं?

यह सत्य है कि किसी भी भाषा के प्रचार-प्रसार में संप्रेषण माध्यमों का महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि भाषा का ज्ञान तभी बढ़ता है जब उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग होता है। हिंदी सिनेमा की बात करें तो निश्चित रूप से हिंदी को जन जन के बीच लोकप्रिय बनाने में इसकी बहुत ही खास भूमिका है। अगर हम देखें तो हिंदी सिनेमा की पहुंच बहुत व्यापक है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग बॉलीवुड, हिंदी पर आधारित है। हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल एवं कन्नड़ भाषाओं में बनी फिल्में करोड़ों रुपयों का व्यवसाय करती हैं। अंग्रेजी की फिल्में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में डब होने के बाद असाधारण सफलता हासिल करती हैं। एक तरफ हमारे देश के अहिंदी भाषी विशेषकर दक्षिण के राज्य या उत्तर-पूर्वी प्रदेश तथा दूसरी तरफ विदेश में हिंदी फिल्में और फिल्म संगीत काफी लोकप्रिय है। दिन प्रतिदिन हिंदी धारावाहिकों और समाचारों के चैनलों की मांग भी बढ़ती जा रही है। दर्शकों की पसंद को देखते हुए आज कल सभी प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं की लाइव कमेंटरी हिंदी में सुनने के लिए अलग से हिंदी चैनल बनाए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा रेडियो पर चलाए जा रहे

कार्यक्रम 'मन की बात' से बहुत से श्रोता जुड़े है जिन्हें कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। इसका प्रमुख कारण भी यही है कि कार्यक्रम हिंदी भाषा में है, जो ज्यादातर लोगों में लोकप्रिय है।

अक्सर कहा जाता है कि किसी भाषा का महत्व अगर बढ़ाना हो तो उसे रोजगार से जोड़ देना चाहिए। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?

जहां तक मैं समझता हूं आज पूरे देश में लोग जीविका के लिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं। खासकर हिंदी भाषी प्रदेशों में गैर हिंदीभाषी लोगों का जाना और जीवनयापन करना स्थानीय भाषा के बिना कठिन है। उनके लिए वहां की भाषा का बुनियादी ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है, इस कारण भी हिंदी सीखना लोगों की व्यावहारिक आवश्यकता बन जाती है। हिंदीतर भाषी क्षेत्रों से लोग नौकरी के लिए विभिन्न हिंदी भाषी शहरों में आते हैं और यहीं बस जाते हैं, धीरे-धीरे वे लोग बहुत अच्छी हिंदी सीख लेते हैं। और मैं यह भी बता दूं कि हिंदी भाषा में इतनी मधुरता है कि जो एक बार इससे जुड़ जाता है उसे आनंद की प्राप्ति होने लगती है। यह लोग जब वापस अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो खुद-ब-खुद हिंदी का प्रचार-प्रसार हो जाता है। आज, हिंदी जानने वालों के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध हैं। कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को कैंपस चयन के आधार पर राजभाषा अधिकारी के पद पर चयनित किया है।

वैश्विक परिदृश्य में हिंदी की स्थिति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?

कुछ अनुमानों के अनुसार आज हिंदी विश्व की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाले भाषा है। विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे भारतीय मूल के करोड़ों लोग जो हिंदी का बखूबी प्रयोग कर रहे हैं इसके कारण आज हिंदी विश्व में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भारत के पड़ोसी देशों नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में हिंदी बोलने और समझने वालों की संख्या बहुत है। इन सब की संपर्क भाषा हिंदी ही बनी, क्योंकि संख्या की दृष्टि से इन लोगों में हिंदी भाषी सबसे अधिक थे। कई प्रकार की शोध के माध्यम से पता चलता है कि हिंदी भाषा के जानने वालों में बड़ी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। विश्व में बीसवीं शती के अंतिम दो दशकों में हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय विकास बहुत तेजी से हुआ। वेब, विज्ञापन, संगीत, सिनेमा और बाजार के क्षेत्र में हिंदी की मांग जिस तेजी से बढ़ी है वैसी किसी और भाषा की नहीं। सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। विश्व के लगभग 150 विश्वविद्यालयों तथा सैंकड़ों छोटे-बड़े केंद्रों में विश्वविद्यालय स्तर से लेकर शोध स्तर तक हिंदी के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था हुई है। विदेशों से 25 से अधिक पत्र-पत्रिकाएं लगभग नियमित रूप से हिंदी में प्रकाशित हो रही हैं। यूएई के 'हम एफ-एम' सहित अनेक देश हिंदी कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं जिनमें बीबीसी, जर्मनी के डॉयचे वेले और जापान के एनएचके वर्ल्ड विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

विश्व हिंदी सम्मेलन की भूमिका को आप किस प्रकार देखते हैं?

यह बड़ी जाहिर सी बात है कि विश्व हिंदी सम्मेलन में पूरे विश्व से हिंदी के विद्वान आते हैं और अपने विचार रखते हैं। सभी के लिए यह खुशी की बात है कि हर बार सम्मेलन में प्रतिभागियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए विश्व हिंदी सम्मेलन की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है और इसमें हुए वैचारिक आदान प्रदान से हिंदी भाषा को नये आयाम मिलते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन के तत्पश्चात आए सुझावों को कार्यान्वित करने लिए सरकार प्रयासरत है।

हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का भविष्य क्या है?

मेरा विश्वास है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का भविष्य उज्ज्वल है। गत दशक में हिंदी की शब्द संपदा में जितना विस्तार हुआ है, उतना विश्व की किसी दूसरी भाषा में नहीं हुआ। आज हिंदी स्थानीय साहित्य की परिधि से बाहर निकल कर नई प्रौद्योगिकी के रथ पर सवार होकर विश्वव्यापी बन रही है। अनेक बहुराष्ट्रीय एवं भारतीय कंपनियों ने इस तथ्य को जाना है कि कंप्यूटर एवं मोबाइल फोन पर इंटरनेट का प्रयोग करने वाले ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या बहुत ज्यादा है जो केवल हिंदी या अपनी मातृभाषा ही समझते हैं। यही वजह है कि आज अधिकांश इलैक्ट्रानिक उपकरणों तथा अधिकांश वेबसाइटों पर धीरे-धीरे ही सही हिंदी का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है। इसी क्रम में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अब कुछ संस्थाओं द्वारा इंजीनियरिंग हिंदी माध्यम में पढ़ाई जा रही है। गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल सहित दुनिया की दिग्गज तकनीकी कंपनियों का ज़ोर स्थानीय भाषाओं को अपनाने पर है। जो कुछ अंग्रेजी में किया जा सकता है, वहीं हिंदी में भी संभव है। हिंदी में तकनीकी शिक्षण और जागरूकता के प्रसार पर विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इसके बिना हिंदी और देवनागरी का उस अंदाज में विकास और प्रसार नहीं हो सकता, जिसकी वह स्वाभाविक रूप से हकदार है।

हिंदी को जन-जन की भाषा बनाने के लिए भविष्य में किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता है?

मैं तो यही कहूंगा कि हम ज्यादा से ज्यादा कार्य हिंदी में करें, अपने आसपास अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करें कि वह हिंदी में कार्य करें। लोगों के दिमाग से इस बात का डर निकालना होगा कि तकनीकी पढ़ाई केवल अंग्रेजी में ही हो सकती है। वैसे तो तकनीकी पुस्तकों का लेखन हिंदी में चल रहा है परंतु इसे और गति देने की आवश्यकता है। मैं सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषा को और अधिक बढ़ावा देने के लिए हम सब मिलकर मन, वचन और कर्म से राष्ट्र के प्रति कर्तव्यबोध एवं नैतिक दायित्व की भावना से हिंदी के प्रचार-प्रसार में सक्रिय सहयोग दें।

हिंदी भाषा के प्रयोग की चुनौतियां और संभावनाएं

— प्रो॰ गिरीश्वर मिश्र

भाषा इस धरती पर होने वाला सबसे बड़ा आविष्कार और सामाजिक उपलब्धि है। एक मानवी रचना होने पर भी वह हमारे निजी और सार्वजनिक जीवन को अदभुत ढंग से रचती रचाती है और हमें शक्ति संपन्न बनाती है। भाषा संचार का साधन है और सूचना और ज्ञान के सरंक्षण का उत्कृष्ट साधन है। वह ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाना भी संभव और सुकर बना देती है। भाषा प्रतीकों की एक ऐसी व्यवस्था होती है जो एक समाज के द्‌वारा स्वीकृति प्राप्त कर चुकी होती है और उस समाज के अस्तित्व के साथ जुड़ जाती है। उसके सहारे हम सोचने और कल्पना की उड़ान भरने लगते हैं पर इस क्षमता का उपभोग हम कैसे करते हैं यह एक मुश्किल सवाल है। आज कई भाषाएँ मर रही हैं क्योंकि उनके बोलने वाले मर रहे हैं। वस्तुतः भाषाएँ एक पदानुक्रम या 'हायरार्की' में जीती हैं और एक शक्तिसंपन्न भाषा दूसरी कम शक्ति की भाषाओं को दबा देती हैं। समाज में भाषा का शक्ति के साथ जुड़ना उसे सीधे-सीधे सामाजिक न्याय के प्रश्न से जोड़ देता है। अक्सर भाषाओं के प्रयोक्ता की हैसियत और प्रतिष्ठा भाषा की हैसियत और प्रतिष्ठा बन जाती है। कुछ बिरले अपवाद हो जाते हैं-जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अवधी में लिखा और आभिजात्य से न जुड़ कर भी वह ऊंची प्रतिष्ठा पा सकी। आज के जमाने में आम तौर पर भाषा का भविष्य और क्षमता उसके प्रयोक्ता पर ही निर्भर करती है। भारत में प्रायः लोग एक से अधिक भाषाएँ बोलते हैं या कहें द्विभाषी या बहु भाषाभाषी हैं। लोग भिन्न-भिन्न भाषाओं का उपयोग अलग-अलग मौकों पर करते हैं।

स्मरणीय है कि सामाजिक यथार्थ के रूप में भाषा हमें जोड़ती है और तोड़ती भी है। वह जोड़ कर सहयोग की ओर ले चलती है और दूरी बढ़ा कर हिंसा तक पैदा कर डालती है। भाषाओं के साथ भारत देश को विभिन्न प्रदेशों में विभाजन करने की घटना ने मानसिक चहारदीवारियां खड़ी कर दीं और उत्तर और दक्षिण में भेद कर दिया। दूसरी ओर सभी भारतीय भाषाओं के सामने विदेशी भाषा अंग्रेजी खड़ी हो गई जिसने समाज में शक्ति और अधिकार की, ऊंच और नींच की, ज्ञान और जड़ता की, शासक और शासित की श्रेणियां बना दीं, ऐसी गहरी खाई खोद दी जिसे पाटना टेढ़ी खीर हो गई और अभी तक इस मुश्किल का हल नहीं मिल सका है।

औपनिवेशिक काल में जो यहाँ धारा चल निकली वह अभी भी चल रही है। अंग्रेजी भाषा सरकारी काम-काज, विधिक प्रक्रिया और ज्ञानार्जन सबकी भाषा बन गई। इनमें उत्कृष्टता पाने के लिए वह महत्वपूर्ण सीढ़ी बन गई। वह हमारी श्रेष्ठता या कुलीनता का पर्यायवाची बन गई। हमारी महत्वाकांक्षा अंग्रेजी बोलने और अंग्रेज की ही तरह बनने की ओर आगे बढ़ गई।

आज की परिस्थिति किसी से छिपी नहीं है। वांछित भाषा न जानने के कारण आम नागरिक के सामने अनेक कठिनाइयां उपस्थित होती हैं। आम नागरिक की भूमिकाओं का निर्वाह कठिन हो जाता है। वे सामान्य अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। उनके दैनिक कार्य सम्पादन की गति धीमी पड़ जाती है और उसका नुकसान भी होता है। ज्ञान की शास्त्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी की प्रतिष्ठा होती है। हिंदी वाले छात्र को द्वित्तीय श्रेणी का नागरिक करार दिया जाता है। लोग व्यावसायिक जीवन में पिछड़ जाते हैं और वह

सतत् बनी रहती है। हीनता का भाव पैदा होता है। टूटे मनोबल से काम करते हुए और प्रगति में अवरोध के कारण प्रतिद्वंदिता का भाव उपजता है। भाषाजन्य भेदभाव पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है और उससे उबरना प्राय: कठिन होता है, वह संचित होता जाता है।

यह आवश्यक है कि भारत के राजभाषा अधिनियम में संशोधन हो ताकि उसके प्रावधानों के विधिवत अनुपालन को सुनिश्चित किया जाय। उसके अनुपालन न करने की अवस्था में उचित दंड की भी व्यवस्था होनी चाहिए। संवैधानिक प्रावधानों को सरल भाषा में उपलब्ध कराया जाय। स्वयं राजभाषा अधिनियम ही भाषा की दृष्टि से अत्यंत जटिल है और उसे समझना कठिन है। केन्द्रीय हिंदी संस्थान से अनुरोध कराया जाय की वह उसे सहज और बोधगम्य बना कर उपलब्ध कराये। अच्छा हो, भाषा की दृष्टि से आदेशों और अध्यादेशों का पुनरीक्षण कर उपलब्ध कराया जाय क्योंकि केवल 'कठिन हिन्दी है' यह कह कर हम कोई लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी काम काज में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण का कार्य नियमित रूप से और प्रभावी ढंग से संचालित किया जाय।

भाषा प्रयोग का एक नया आयाम अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भी उभर रहा है। आज वैश्वीकरण का युग है और देशों के बीच व्यापारिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक विनिमय तीव्र गति से बढ़ रहा है। विश्व के विभिन्न देशों के साथ भारत का सम्बन्ध भिन्न-भिन्न प्रकार का है। पड़ोसी देशों, भारतीय मूल के लोगों की बहुलता देशों से और यूरोप और अमेरिका के विकसित देशों और एशिया के प्रमुख देशों जैसे चीन, जापान आदि के साथ भारत के सहयोग का नया दौर शुरू हुआ है। उनकी आवश्यकताएं भिन्न हैं। अत: संचार और सहयोग की दृष्टि से हिंदी और भारतीय संस्कृति का संरक्षण का यत्न करते हुए वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इस विविधता को पहचानना होगा और तद्नुसार नीति अपनानी होगी।

आज का विश्व बहुकेंद्रित हो रहा है और देशों के छोटे समूह कार्य कर रहे हैं। देशों की समानता और विशिष्टता दोनों को ध्यान में रख सम्बन्ध और सहयोग बनाना अपेक्षित है। भारत के राजकाज की भाषा के रूप में हिंदी को प्रतिष्ठित करना आवश्यक है। भारत में अनुवाद और रूपान्तर की सुविधा सीमित है और प्राय: अंग्रेजी केंद्रित है। एक विदेशी भाषा और अनुवाद केंद्रित विश्वविद्यालय स्थापित होना चाहिए। स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर से पहले, स्नातक स्तर पर हिंदी के साथ-साथ विदेशी भाषा के विकल्प का प्रावधान होना चाहिए। अनुवाद और भाषांतर के व्यवसाय को सम्मानजनक रूप देना, युवा वर्ग को आकर्षित करने के लिए अपेक्षित है।

विदेश में बसे भारतीयों के लिए उपयुक्त शिक्षण सामग्री तैयार की जाय और उसे उपलब्ध कराया जाय। हिंदी के लिए संसाधन जुटाने का कार्य वरीयता के साथ करना आवश्यक होगा। आज हिंदी का क्षितिज विस्तृत हो रहा है। हिंदी आज अनेक देशों के भाषा के अध्ययन, भारतीय संस्कृति के प्रसंग में अध्ययन, व्यापार की दृष्टि से उपयोग और राजनयिक सम्बन्ध के लिए उपयोग की दृष्टि से व्यापक हो रही है। हिंदी भारत की अस्मिता के साथ जुड़ी है और भारत की आत्मा तक पहुँचने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हिंदी का विषय विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। उनके कार्यो में तालमेल बैठाना परमावश्यक है। इससे दुहराव से बच सकेंगे, व्यवस्थागत बाधाओं से निपट पायेंगे, संसाधनों का उचित उपयोग होगा और हम हिंदी के संवर्धन के लक्ष्य को कम समय में प्राप्त कर सकेंगे।

कुलपति,
महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा
वर्धा-442001 (महाराष्ट्र)
misragirishwar@gmail.com

विधि की शिक्षा हिंदी से एवं न्यायालय में हिंदी

—श्रीमती वन्दना सक्सेना

''निज भाषा उन्नति अहै,
सब उन्नति को मूल''

—भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

भाषा संप्रेषण का सशक्त माध्यम है। भाषा के माध्यम से ही हम अपनी अंतर्मुखी अनुभूतियों एवं योग्यताओं को बाहरी जगत में प्रकट कर सकते हैं। अर्थात् हम अपने आचार-विचार, भाव, अभिव्यक्ति आदि भाषा या संप्रेषण द्वारा अच्छी तरह व्यक्त कर सकते हैं और यदि भाषा भी अपनी हो तो हमें अपने आप को सही व्यक्त करने में और अधिक आसानी होती है। मसलन यदि हम अच्छे विचार अंग्रेजी में व्यक्त करना चाहें तो हम एक सीमा से अधिक स्वतंत्र नहीं हो सकते किन्तु वही विचार हम अपनी भाषा यानि कि हिंदी में व्यक्त करें तो हम अधिक अच्छी तरह एवं स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त कर सकते हैं क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है। इसी तरह शिक्षा का पाठ्यक्रम भी हम हिंदी में अच्छी तरह व्यक्त कर सकते हैं, न कि अंग्रेजी में। बशर्ते हम अपनी हीन मानसिकता से उबर पाये। बहुतायत की यह गलत धारणा है कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त व्यक्ति ज्यादा योग्य होता है और अधिक अच्छी नौकरी पाता है, किन्तु आज यह धारणा निर्मूल हो चुकी है क्योंकि हिंदी माध्यम से शिक्षा प्राप्त व्यक्ति अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित व्यक्ति से अधिक अच्छी नौकरियों पर चयन पा चुके हैं एवं उनसे अधिक योग्य व सक्षम साबित हुए है। अत: हिंदी माध्यम से शिक्षा लेना हीन नहीं वरन् गौरव की बात है। साथ ही हिंदी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना आज चिकित्सा, इंजीनियरिंग, साइंस, आर्ट्स, विधि किसी भी क्षेत्र में दुष्कर नहीं है क्योंकि हर क्षेत्र में हिंदी में पुस्तकें एवं शब्दावलियां उपलब्ध हैं। (सन्दर्भ-विधि साहित्य समाचार जनवरी से मार्च 92 एवं प्रतियोगिता दर्पण मासिक जून 1988)।

विधि शिक्षा-स्वरूप एवं महत्व

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है एवं समाज में रहता है। इस समाज में रहने के लिए उसे नियम-कायदे एवं कानून का सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है। सामान्य नागरिक का विधि से किसी न किसी प्रकार का वास्ता पड़ता ही रहता है। अत: विधि शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि विधि छात्रों के अतिरिक्त अन्य सामान्य नागरिकों को भी विधि का सामान्य ज्ञान होना चाहिए ताकि वे जिम्मेदार एवं जागरूक नागरिक की हैसियत से राष्ट्र निर्माण में सहायक बन सकें।

अर्थात् विधि शिक्षा में 'एवरी मेन्स लॉ' जैसी सरल, सुबोध पुस्तकों की आवश्यकता आज गौण हो गयी है। अत: विधि की शिक्षा का स्वरूप, संकाय विशेष छात्रों तक सीमित न होकर आम आदमी तक पहुंचना समय की आवश्यकता है। इसके लिए प्रारंभिक शिक्षा स्तर से ही हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन, भूगोल आदि के साथ ही आम बोलचाल की भाषा में मार्गदर्शक किस्म की विधि शिक्षा का निसंदेह स्वागत, प्रासंगिक एवं समयानुकूल होगा। इससे छात्र अन्य

विषयों के अलावा विधि का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होगा एवं विधि संबंधी अपनी समस्याओं को सुलझाने में योग्य बन सकेगा। छोटी-मोटी समस्याओं के लिए वकील-अदालत के लम्बे फेर से बच सकेगा।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारतीय समाज स्थिर एवं शांत था, किन्तु आज परिस्थितियां काफी भिन्न है। निसन्देह गांधी का रामराज्य का स्वप्न आज डकैती, आगजनी, गुंडागर्दी, आतंक एवं असुरक्षा की समस्या से चूरचूर हो चुका है। निरन्तर सामाजिक, नैतिक एवं चारित्रिक मूल्यों का ह्रास स्पष्ट परिलक्षित है एवं समाज असुरक्षा की भावना से ग्रस्त है। हर खासो-आम आज अपनी जान-माल की रक्षा में असमर्थ है। सारे कानून नियम और आदेश आज फेल हो चुके हैं, ऐसे में विधि शिक्षा का महत्व और बढ़ गया है। अत: सभी विधि का सामान्य ज्ञान सभी के लिए आवश्यक है एवं आम आदमी का अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक होना नितांत गौण है और यह तभी संभव है जबकि विधि शिक्षा संकाय विशेष के सीमित दायरे से हर एक के लिए उपलब्ध हो अर्थात् 'एवरी मेन्स लॉ' फॉर एवरी मेन (सन्दर्भ-विधि साहित्य समाचार जनवरी से मार्च 92)।

भारत में विधि शिक्षा का इतिहास

भारत में विधि शिक्षा का इतिहास स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजों के शासनकाल से अब तक निरंतर सफलता की ओर चलता आ रहा है। यह बात और है कि प्रारंभिक अवस्था में विधि एवं विधान का माध्यम फारसी रहा। फिर 1937 आते-आते ऊर्दू हो गया। हिंदी का तो विधि शिक्षा में स्थान न के बराबर था। सन् 1897 में नागरी प्रचारिणी सभा काशी के सुप्रयासों के परिणामस्वरूप 1901 ई, में देवनागरी को विधि शिक्षा में स्थान मिला। अर्थात् भारत में स्वतंत्रता पूर्व विधि शिक्षा का माध्यम कमोबेश इंग्लिश तक ही सीमित था क्योंकि अधिकांश पुस्तकें अंग्रेजी में ही उपलब्ध थी एवं इंग्लैंड में पनपी विधि संकल्पनाओं को फारसी, ऊर्दू एवं हिंदी में अभिव्यक्ति देने योग्य शब्दावलियों का सर्वथा अभाव था। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से विधि शिक्षा के इतिहास में हिंदी का पर्दापण हुआ एवं 8 अक्टूबर 1947 से उत्तर प्रदेश में विधि एवं विधान की भाषा हिंदी देवनागरी लिपि में अंगीकार कर ली गयी। फलस्वरूप हिंदी में विधि शब्दावलियों एवं पुस्तकों के अनुवाद की पहल शुरू हो गयी। सन् 1948 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा 'प्रशासन शब्दकोश' निकाला गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से इस बात पर जोर दिया गया कि विधि शिक्षा विषयक पारिभाषिक शब्दावलियों की कमी दूर की जाए। परिणामस्वरूप 17 सितम्बर, 1949 को 'भारतीय संविधान' का हिंदी में अनुवाद कराने की रूपरेखा रखी गयी। 'डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद' (भारत के प्रथम राष्ट्रपति) के प्रयासों से संविधान का हिंदी अनुवाद हुआ। इसके साथ ही हिंदी में विधि विषयक मानक एवं सर्वस्वीकार्य शब्दावली का निर्माण हुआ। इसके पश्चात् भारत सरकार के विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय द्वारा विधि की अंग्रेजी पुस्तकों के अनुवाद एवं 'विधि शब्दावली' का निर्माण तथा विधि में हिंदी में लिखी पुस्तकों के प्रकाशन से विधि शिक्षा क्षेत्र में हलचल सी हो गयी एवं जनसाधारण में भी विधि शिक्षा प्राप्त करने की चाहत उत्पन्न होने लगी। प्राचीनकाल में जहां विधि शिक्षा हेतु अंग्रेजी पुस्तकों के लिए इंग्लैंड एवं अमेरिका का मुंह ताकना पड़ता था, अब भारत में ही विधि शिक्षा अपनी भाषा में ही उपलब्ध है। 'सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद' एवं 'आगरा लॉ सीरीज' द्वारा प्रकाशित हिंदी एवं अंग्रेजी पुस्तकों ने विधि शिक्षा जगत में क्राांति मचा दी एवं छात्रों को सरल, सहज, सुबोध भाषा में विधि शिक्षा का पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया है। भारत में प्राचीन विधि शिक्षा इतिहास स्वर्णिम नहीं था, किन्तु आज

उसका भविष्य गौरवमय होने पर अग्रसर है (सन्दर्भ-विधि साहित्य समाचार पत्रिका जनवरी से मार्च 92)।

विधि शिक्षा का माध्यम-अंग्रेजी -हिंदी: ऐतिहासिक, सामाजिक एवं राजनैतिक परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में

भारत में स्वतंत्रता से पहले विधि शिक्षा में हिंदी का प्रयोग अत्यन्त सीमित था। फारसी शासकों ने विधि में फारसी का प्रयोग किया। इसके पश्चात् अंग्रेज शासकों के सामने विधि क्षेत्र में फारसी को अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। किन्तु सन् 1937 से उन्होंने ऊर्दू का विधि क्षेत्र में माध्यम के रूप में प्रयोग प्रारंभ कर दिया क्योंकि अंग्रेजी शासनकाल में हिंदी में विधि शब्दावलियों का नितांत अभाव था। फलस्वरूप वे इंग्लैंड में पनपी विधि संकल्पनाओं को हिंदी माध्यम से व्यक्त करने में सर्वथा अक्षम थे। अत: विधि शिक्षा एवं विधान क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग नाममात्र भी नहीं था। इस समस्या को दूर करने हेतु अंग्रेजी की विधि शब्दावली का ऊर्दू में अनुवाद किया गया। इस अनुवाद की लिपि फारसी थी किन्तु बाद में अनुवादों की लिपि देवनागरी कर दी गई। नागरी प्रचारिणी सभा काशी के प्रयत्नों से 1901 ई॰ से विधि में देवनागरी लिपि के प्रयोग की अनुमति प्राप्त हो सकी (सन्दर्भ- विधि साहित्य समाचार पत्रिका जनवरी से मार्च 92)।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् विधि शिक्षा में हिंदी के प्रयोग की ओर ध्यान किया गया। 8 अक्टूबर 1947 को उत्तरप्रदेश में विधान की भाषा के रूप में हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को अंगीकार किया गया। इस तरह विधि क्षेत्र में हिंदी का प्रवेश हुआ। इसके पश्चात् विधि में उपलब्ध किताबों का हिंदी अनुवाद होने एवं हिंदी में विधि शब्दावलियों के बनने से हिंदी माध्यम से विधि शिक्षा का मार्ग खुल गया। भारत सरकार के विधि विभाग द्वारा भी द्विभाषी विधि पुस्तकें एवं हिंदी भाषा में पुस्तकों का अनुवाद कराया गया। फलस्वरूप एकमात्र अंग्रेजी में उपलब्ध पुस्तकों का विकल्प मिल गया। अत: विधि शिक्षा में एकमात्र अंग्रेजी माध्यम का एकछत्र राज्य का बहाना नहीं रहा। वर्तमान में विधि की अनेकों अंग्रेजी पुस्तकों के हिंदी अनुवाद एवं हिंदी में लिखी पुस्तकें उपलब्ध है। अत: विधि शिक्षा हिंदी माध्यम से प्राप्त करने में कोई अन्य परेशानी नहीं है। आज विधि में उच्च शिक्षा का माध्यम भी हिंदी बन रही है। अनेकों छात्र हिंदी माध्यम से विधि में पी॰एच॰डी॰ जैसी उच्च डिग्री भी हासिल करने में सफल हो चुके हैं। प्रसिद्ध विधिवेत्ता एवं विद्वान 'डॉ॰ गुलाब चन्द कासलीवाल जी' के नेतृत्व में कई छात्र हिंदी में पी॰एच॰डी॰ की डिग्री हासिल कर चुके हैं। डॉ॰ कासलीवाल ने विधि की शिक्षा हिंदी माध्यम से कराने हेतु उच्च स्तरीय प्रयास किए हैं, जो स्तुत्य है। अत: वह दिन दूर नहीं जब विधि शिक्षा प्रारंभिक स्तर से उच्च स्तर तक हिंदी में ही हासिल करना गौरवमय होगा।

वर्तमान में विधि शिक्षा का माध्यम हिंदी -क्यों? कैसे तथा वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की आवश्यकता, समस्याएं एवं संभावनाएं

वर्तमान में विधि शिक्षा का माध्यम हिंदी क्यों और कैसे हो, बात महत्वपूर्ण है। प्रमुख मुद्दा यह है कि हर राष्ट्र अपनी शिक्षा का माध्यम अपनी राष्ट्रभाषा रखे हैं। अमेरिका, इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रेंच, रूस में रशियन, चीन में चीनी, जर्मनी में जर्मन शिक्षा का माध्यम है। मानसिक रूप से हम आज भी परतंत्र हैं, इसीलिए अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना गौरव एवं हिंदी माध्यम से शिक्षा लेना हीन समझते हैं। किसी भी राष्ट्र में शिक्षा का माध्यम परायी भाषा नहीं है, फिर हमारे भारत में ही पराई भाषा में शिक्षा क्यों हो। अत: आवश्यक है कि हम भी हमारी राजभाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाये और कोरी दिमागी गुलामी से बाहर निकलें।

आज विधि शिक्षा का माध्यम पूरी तरह हिंदी नहीं हो पाया है, क्योंकि लोगों का मानना है कि विधि की हिंदी में अनूदित पुस्तकों एवं विधि शब्दावलियों में प्रयुक्त शब्द क्लिष्ट हैं। इसके अलावा यह भी शिकायत आम है कि विधि शिक्षा हिंदी माध्यम से प्राप्त करने में पारिभाषिक शब्दों या तकनीकी शब्दों के अर्थ समझने में कठिनाई होती है। लेकिन इस समस्या का समाधान है कि पारिभाषिक शब्दों से छात्र एवं शिक्षक अपरिचित रहता है, इसलिए वे शब्द उसे कठिन लगते हैं। वास्तविकता यह है कि ये शब्द सम्यक प्रयोग में आने से स्वत: सरल लगते हैं। अत: तकनीकी शब्दों के अर्थ समझने और उनके प्रयोग की आवश्यकता समझने हेतु सचेत रहना आवश्यक है क्योंकि विधि शब्दावलियों के निर्माण का मूलाधार संस्कृत है, अत: शब्दों में क्लिष्टता आना स्वाभाविक है। अत: विधि छात्रों को पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। चाहे उनके अध्ययन का माध्यम हिंदी हो या अंग्रेजी। भाषा एवं शब्द, व्यवहार में आने पर सरल बनते जाते हैं। अत: यह बात खरी नहीं उतरती। क्योंकि अंग्रेजी जानने वाला भी अंग्रेजी में विधि के शब्दों को नहीं समझ सकता, कारण यह कि इसमें लेटिन के भी अनेक शब्द हैं, जैसे कि 'रेसजुड़िकेटा' (सन्दर्भ- विधि साहित्य समाचार पत्रिका जनवरी से मार्च 92)।

यह सच है कि आज विधि शिक्षा में लोगों में हिंदी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने में कुछ हिचकिचाहट बाकी है, पर इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि विधि में अंग्रेजी माध्यम का विकल्प हिंदी ही होगी। हिंदी सर्वाधिक वैज्ञानिक एवं सर्वश्रेष्ठ भाषा है। विधि का हिंदी भाषा में अध्ययन करने में कोई समस्या नहीं है। बस आवश्यकता है विधि के सभी विषयों पर हिंदी में उपलब्धता तथा उनकी सहजता। आज हिंदी में विधि वाङ्मय की कोई कमी नहीं हैं। कई शब्दकोष प्रकाशित हो चुके हैं। आवश्यकता एवं दायित्व यह है कि विधि शिक्षा के पाठ्यक्रम निर्माता विधि को हिंदी माध्यम से पढ़ाने हेतु ऐसा आदर्श रूप देवें कि सभी समस्याएं स्वत: हल हो जाएं एवं छात्रों की लगन हिंदी माध्यम से विधि शिक्षा में स्वयं जाग्रत हो सके।

हिंदी एवं संवैधानिक प्रावधान

संविधान का अनु॰ 343 (1) हिंदी को राजभाषा घोषित करता है। अत: सारे कामकाज हिंदी में किए जाने चाहिए क्योंकि हिंदी सरल, सहज, सुन्दर, सर्वश्रेष्ठ एवं वैज्ञानिक भाषा है। इसके अलावा हिंदी भारत की राजभाषा भी है। अत: सरकारी कामकाज के अलावा विधि एवं विधान तथा कानून निर्माण की भाषा भी एक ही होनी चाहिए। साथ ही जहां तक हो सके, विधि की भाषा सरल होनी चाहिए अर्थात् विधि निर्माण एक सर्वसम्मत, सरल, सहज भाषा में होना आज की महती आवश्यकता है।

(अ) विधि निर्माण

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एवं हिंदी के राजभाषा बनने के पश्चात् ही इस बात की प्रबल मांग उठी कि विधि निर्माण भी सरल, सुबोध भाषा में हो ताकि 'कानून सभी के लिए' अर्थात् 'लॉ फार एवरी मेन्स' बन सके। अर्थात् आम आदमी की समझ तक पहुंच सके क्योंकि अंग्रेजी सिर्फ भारत में 2% लोग ही ठीक से जानते हैं। साथ ही अंग्रेजी में 'नरेशन' (Narration) की बला है, जबकि भारत की राजभाषा होने के साथ-साथ हिंदी बहुतायत की सम्पर्क भाषा है एवं हिंदी 'नरेशन' की बला से मुक्त है। अत: स्वंतत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम 8 अक्टूबर 1947 से उत्तरप्रदेश में विधि एवं विधान निर्माण की भाषा हिंदी मानी गयी। सन् 1956 में राजभाषा आयोग ने यह विचार रखा कि विधि निर्माण की भाषा सुनिश्चित, संक्षिप्त और सुस्पष्ट होनी चाहिए। 1960 ई॰ तात्कालीन गृहमंत्री

पं॰ गोविन्द वल्लभ पंत की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग 1956 के प्रतिवेदन पर विचारार्थ संविधान के अनुच्छेद 344 के अधीन एक संसदीय समिति का गठन किया। समिति की राय के मुताबिक 27 अप्रैल 1960 को विधि निर्माण में हिंदी के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति ने आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आदेश दिए। इसके अनु॰ 13 के अनुसार मानक विधि शब्दकोष तैयार करने, राज्य विधान निर्माण करने संबंधी ग्रंथ, अधिनियम, विधि शब्दावाली तैयार करने की योजना जारी की गयी। विधि मंत्रालय भारत सरकार की राय से 1961 में राजभाषा (विधायी) आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग को विधि निर्माण राजभाषा में तैयार करवाने हेतु समुचित प्रामाणिक विधि शब्दावलियों आदि मुहैया कराने हेतु दायित्व सौंपा गया। इसके अतिरिक्त संविधान का हिंदी अनुवाद भी किया गया। इस तरह राजभाषा में विधि निर्माण का सिलसिला जारी है। कानून और न्याय शासन में समस्त देश की एकता भारतीय संवैधानिक संगठन का एक महत्वपूर्ण अंग है। अत: विधि निर्माण की भाषा हिंदी होना राष्ट्र एवं जनहित में आवश्यक है। **(सन्दर्भ-विधि साहित्य समाचार पत्रिका जनवरी से मार्च 92)**

(ब) न्यायालयीन निर्णय

न्यायालयीन निर्णयों आदि में अंग्रेजी शासन पूर्व अवश्य फारसी-ऊर्दू का प्रयोग होता था, किन्तु 1600 ई॰ में ईस्ट इंडिया कम्पनी के आने के बाद प्रिवी कौंसिल आदि के निर्णय में अंग्रेजी का स्थान प्रमुख था। इस तरह अंग्रेजी के शासनकाल में न्यायालयीन निर्णय में अंग्रेजी का एकछत्र राज्य था। कारण यह था कि इंग्लैंड में बनी विधि संकल्पनाओं एवं प्रिवी कौंसिल के लिए संदर्भ ग्रंथ, शब्दावलियां, निर्णय सार आदि अंग्रेजी के अलावा अन्य किसी भाषा में उपलब्ध नहीं थे। अत: न्यायालयीन निर्णय आदि अंग्रेजी में ही सुनाए जाते थे। लेकिन अंग्रेजी में दिए न्यायालयीन निर्णय न तो न्याय की गुहार करने वाले को समझ आते थे न गरीब, मध्यवर्गीय आम लोगों को, क्योंकि आम जनता की पहुंच निर्णय में लिखी अंग्रेजी से कोसों दूर थी। अत: न्यायालयीन निर्णय के लिए ऐसी भाषा की चर्चा उठने लगी, जो सर्वसामान्य की समझ में सहजता से आने लगे अर्थात् न्यायालय में दिए जाने वाले निर्णय सामान्य जनता की समझ एवं पढ़ने में आ सकें। इस दृष्टि से हिंदी ही सुगम समझी गयी क्योंकि हिंदी सहज, सरल एवं सर्वसाधारण की भाषा है।

अत: न्यायालय में हिंदी के प्रयोग की मांग उठी, किन्तु राजभाषा अर्थात् सरकारी कामकाज की भाषा बनने के बाद भी न्यायालीन कार्यकलापों, निर्णयों में आज भी अंग्रेजी का वर्चस्व कायम है। कारण यह बताया जाता है कि विधि निर्णयों को हिंदी में देने में कई दिक्कतें आती हैं। जिन में हिंदी में अच्छी विधि शब्दावलियों का अभाव एसं प्रिवी कौंसिल आदि की पुरानी नजीरों और पुराने निर्णयों पर हिंदी में पुस्तकें, निर्देशों आदि की बहुत कमी है। लेकिन आज विधि शब्दावली का निर्माण हो चुका है, हिंदी में कई अंग्रेजी पुस्तकों के अनुवाद एवं हिंदी में लिखी पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। विधि साहित्य प्रकाशन उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिकाएं भी प्रकाशित करता है। लेकिन न्यायालयों में इन सभी हिंदी में उपलब्ध सामग्री का प्रयोग आज भी समुचित नहीं होता। अत: यह बात अब समझ से बाहर नहीं है, क्योंकि न्यायालयीन निर्णयों में हिंदी का प्रयोग करने में गौरव समझा जाए तो वह दिन दूर नहीं जब हिंदी

न्यायालय की भाषा होगी। आज विधि स्नातक वकील, जज आदि हिंदी माध्यम से पढ़े हुए उपलब्ध हैं। अत: उन्हें हिंदी में काम करने में दिक्कत नहीं होगी। उच्च न्यायालयों में भी कई न्यायमूर्ति हिंदी में निर्णय लिखते हैं, उन्हें अनुवादक भी उपलब्ध हैं। राजस्थान के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में हिंदी में अबाध गति से कार्य चल रहा है (सन्दर्भ-विधि साहित्य समाचार पत्रिका जनवरी से मार्च 92)।

(स) सरकारी कार्यालयीन कार्य

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व अंग्रेजी शासनकाल में सरकारी कार्यालयीन कार्य की भाषा सामान्यत: अंग्रेजी ही रही। इसके पूर्व मुगलों के दरबार में कामकाज की भाषा के रूप में उर्दू, फारसी का चलन था। अर्थात् मुगलों के दरबार एवं अंग्रेजी के शासन में कार्यालयीन कार्य की भाषा के रूप में हिंदी का चलन नाममात्र ही था। किन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को कार्यालयीन कार्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की पुरजोर कोशिश जारी हो गयी। इसी बात को ध्यान रखते हुए संविधान के अनु॰ 343 (1) में हिन्दी को 'राजभाषा' अर्थात् सरकारी कार्यालयीन कामकाज की भाषा घोषित किया गया, जिसका सीधा अर्थ है कि भारत के समस्त कार्यालयों में सरकारी काम की भाषा हिंदी होगी। किन्तु खेद है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 67 वर्ष (आधी शताब्दी से अधिक) के बाद भी सरकारी काम की भाषा अंग्रेजी बनी हुई है। लेकिन आज सरकारी कामकाज की भाषा 'हिंदी' को पूरी तरह स्थापित करने की मांग पुन: जीवित हो उठी है। इस मांग से न्यायालय भी अछूते नहीं रहे हैं। विधि एवं विधान की भाषा तथा न्यायालयों की कामकाज की भाषा हिंदी को बनाने की पुरजोर मुहिम चालू है ताकि न्यायालय से प्राप्त न्याय आम जनता को समझ आ सके। न्यायालय में कार्यालयीन भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार-प्रसार जारी है। जिला न्यायालयों के अलावा उच्च न्यायालय के जज भी हिंदी में निर्णय लिखते हैं।

इस दिशा में राजस्थान के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में सरकारी कार्यालयीन कार्य भाषा के रूप में हिंदी, अंग्रेजी की जगह ले रही है। माननीय न्यायमूर्ति रणवीर सहाय वर्मा, मुख्य न्यायमूर्ति श्री वेदप्रकाश त्यागी, श्रीमती कामता भटनागर आदि का योगदान हिंदी को प्रतिष्ठित करने में सराहनीय रहा है। 'मुख्य न्यायमूर्ति श्री वेदप्रकाश त्यागी' ने अपने कार्यकाल में राजस्थान के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में सरकारी कार्यालयीन कार्य भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य कर दिया था। अत: अब वहां आसानी से हिंदी में कार्य चल रहा है। फिर कोई भी कार्य करने में प्रारंभ में तो कठिनाई आती है, पर प्रचलन में आने पर वे स्वत: दूर हो जाती है, जैसे कि इंग्लैंड में जब राजकाज तथा न्यायालयों में 'लेटिन भाषा' का वर्चस्व था, तब प्रारंभ में अंग्रेजी को लेटिन का स्थान लेने में अत्यन्त कठिनाई हुई थी। लेकिन दृढ़ इच्छाशक्ति द्वारा 'लेटिन' की जगह अंग्रेजी स्थापित हो गयी। इसी तरह यदि दृढ़ इच्छाशक्ति से अमल किया जाए तो सरकारी कार्यालयीन कार्य की भाषा अंग्रेजी न होकर हिंदी ही होगी क्योंकि निजी भाषा के अभाव में देश की प्रगति संभव नहीं है (सन्दर्भ- विधि साहित्य समाचार पत्रिका जनवरी से मार्च 90)।

अधिवक्तागणों की समस्याएं

जहां तक न्यायालयों में हिंदी भाषा में वकालत करने का प्रश्न है, तो अधिवक्तागण इस बात की दुहाई देते हैं कि पुस्तकें, नियम, अधिनियम, उच्च एवं

उच्चतम न्यायालय निर्णय आदि हिंदी में उपलब्ध नहीं होते। जबकि अंग्रेजी में सभी सामग्री सहजता से उपलब्ध हो जाती है। बहुत से अधिवक्ता अंग्रेजी माध्यम से स्नातक होने की वजह से हिंदी में बहस करने में हिचकते हैं। इसके अलावा अधिवक्तागणों की आम शिकायत यह है कि न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग अत्यन्त सीमित मात्रा में होता है एवं जज आदि अपने निर्णय अंग्रेजी में ही लिखते हैं। लेकिन अधिवक्तागणों की यह शिकायत आज की बदलती परिस्थितियों पर खरी नहीं उतरती क्योंकि नए विधि स्नातकों का माध्यम अधिकतर हिंदी होता है, अत: उन्हें हिंदी में काम करने में खास कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आज विधि में हिंदी में लिखी पुस्तकें नियम, अधिनियम भी उपलब्ध है। विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा सभी अधिनियमों के द्विभाषी संस्करण जारी किए जा चुके हैं। संविधान का हिंदी अनुवाद भी हो चुका है। हिंदी में अनेकों उत्कृष्ट पुस्तकें भी छप चुकी है। उच्च एवं उच्चतम न्यायालय निर्णय सार भी निकलते रहते हैं। अत: अधिवक्तागणों को हिंदी में काम करने हेतु अधिकांश सामग्री आज उपलब्ध है।

जहां तक जजों के हिंदी में निर्णय देने का प्रश्न है तो यह उल्लेखनीय है कि आज उच्च न्यायालयों में भी कई न्यायमूर्ति हिंदी में निर्णय लिखते हैं (सन्दर्भ विधि साहित्य समाचार जनवरी से मार्च 90)। साथ ही न्यायालयों में भी हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है। आज राजस्थान के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में पूरा काम हिंदी में होता है।

वस्तुत: आज अधिवक्तागणों के समक्ष हिंदी में काम करने में कोई समस्या नहीं है। न ही यह बात है कि उन्हें हिंदी नहीं आती। वास्तविकता यह है कि आज 90% अधिवक्ताओं को अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान नहीं है। इसके बावजूद भी वे झूठी शान की खातिर अंग्रेजी में काम करते हैं। यह उनकी नितांत खोखली हीन भावना एवं मानसिक गुलामी ही है। यदि वह अपनी हीन मानसिकता से उबर कर यह संकल्प करें कि उसे सिर्फ हिंदी ही में काम करना है, तो कोई कठिनाई नहीं रोक सकती है। वैसे भी ज्यादातर निम्न तबके एवं मध्यमवर्गीय लोग ही न्याय के लिए वकीलों के पास आते हैं और उन्हें अंग्रेजी का ज्ञान बहुत कम होता है। ऐसे में उन्हें जो निर्णय अंग्रेजी में प्राप्त होता है वह उनके लिए 'काला अक्षर भैंस बराबर' होता है। यदि अधिवक्ता हिंदी में उनका केस लड़ें एवं न्याय भी हिंदी में मिले तो वे ठीक से अपना केस एवं न्याय समझ सकेंगे। अधिवक्ता जनता एवं न्यायालय के बीच न्याय तक पहुंचाने वाला सेतु है। आम जनता बड़ी उम्मीदों से अधिवक्ता से न्याय पाने की गुहार करती है। यही गुहार अधिवक्ता जज तक पहुंचाता है। जब यह गुहार वह अपनी भाषा में व्यक्त करेगा तो अच्छी तरह व्यक्त कर सकेगा अन्यथा अपने अल्प अंग्रेजी ज्ञान से तो वह सीमित विचार ही व्यक्त कर पायेगा। आज जब हिंदी राजभाषा है, तो उसका सम्मान सिर्फ कागजों पर ही नहीं बढ़ाना है, वरन् उसको अपनाकर, उसमें काम कर उसे गौरव दिलाना है। इस भावना को हर अधिवक्ता को अपने अंदर जाग्रत करना है, तभी देश में न्याय सर्वसाधारण के लिए आसानी से उपलब्ध होगा।

एम एफ(1)
सरस्वती नगर
भोपाल-462003
मध्य प्रदेश

अनुवाद: तथ्यात्मक संभावनाएं

—डॉ॰ आण्टणी पी॰ एम॰

प्रासंगिकता: पुरस्कार जो भी हो, नोबेल पुरस्कार एक विशेष मापदण्ड पर आधारित चयन के परिणामस्वरुप दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय हैं जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है। बंगाली भाषा में रचित 'गीतांजली' ही उनका पुरस्कृत काव्य है। वास्तव में गीतांजली का परिचय नोबेल पुरस्कार समिति तक पहुंचाने वाले अंग्रेजी कवि डब्ल्यू॰बी॰ एट्स थे। एक यात्रा के दौरान टैगोर ने अपनी रचना का पूरा माहौल उनको समझाया था। अतएवं मात्र बंगाली भाषा की रचना में प्रतिपादित भारतीय रहस्यवादी विचारों का अनुवाद सफलता से अंग्रेजी में होने के नाते ही पुरस्कार चयन समिति उससे प्रभावित हुई थी। कहने का मतलब यह है कि गीतांजली का अनुवाद अंग्रेजी में अपने सारे निजत्व के साथ होने का परिणाम है यह विश्व पुरस्कार टैगोर को दिया गया था। यही अनुवाद का महत्व है। भारत के गणित, ज्योतिष, वेद, आयुर्वेद, शून्य का मूल्य तक विश्वभर में प्रचलित होने का एकमात्र कारण अनुवाद है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम के जी॰ शंकरकुरुप को मिलने का कारण उनका काव्य 'ओडक्कुषल' अनूदित होकर 'बांसुरी' बन जाना ही है। अथवा अनुवाद विनिमय का, मूल्याधिष्टित चयन का, सर्वस्वीकृति का सार्वभौमिकता का ठोस आधार विदित है। माने-न-माने आधुनिकता, आधुनिकोत्तरता और उसके आगे भी जो होगा, सब अनुवाद के द्वारा संभव हो जाने वाली वास्तविकता है।

अर्थ: अनुवाद शब्द का मूल अर्थ पुन: कथन अथवा फिर से कहना होता है जो दूसरी भाषा में है। तब एक भाषा में व्यक्त विचार दूसरी भाषा में पुन: कहना अनुवाद है। इससे एक भाषा की सामग्री का अंतरण दूसरी भाषा में होता है। एक भाषा में व्यक्त विषय दूसरी भाषा में फिर से व्यक्त करना अनुवाद है। अंग्रेजी शब्द ट्रांन्सलेशन' का अर्थ-उसपार ले जाना है। एक भाषा में व्यक्त विषय को ले जाकर दूसरी भाषा में फिर से व्यक्त करना ही ट्रॉन्सलेशन होना है। जो, जिस भाषा में, पहले व्यक्त है वह स्रोत भाषा है। उसे दूसरी भाषा में पुन: अथवा फिर से, या स्रोत से ले जाकर प्रकट करता है वह लक्ष्य भाषा है। तब अनुवाद के दो मूलभूत ध्रुव होते हैं-स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा। तब स्रोत भाषा में व्यक्त विचार को लक्ष्य भाषा में अंतरित करना अनुवाद है। इस तरह अनुवाद करते समय स्रोतपाठ की अर्थसीमा और भाषाशैली को लक्ष्य भाषा में भी परिलक्षित करना अनुवाद का नियामक आदर्श बनाया गया है। तब अनुवाद का सैद्धान्तीकरण का, यही मूल विषय है। अनुवाद सिद्धान्त का मूल मुद्दा यही है। इसलिए अनुवाद 'कथ्यत: कथनत: निकटतम प्रतिप्रतीकन कहा जाता है।

प्रतीक : भाषा का लिखित रूप उसका प्रतीक है। तमाम भाषा का यह प्रतीक—वर्णमाला-अलग है। तब लिखित रूप में व्यक्त विचारों का अनुवाद दूसरी भाषा के अलग तरीकों के द्वारा फिर से प्रकट होता है। यही प्रतिप्रतीकन है। व्यापक अर्थ में प्रतीकों का अंतरण इसलिए, अनुवाद सिद्ध होता है। वास्तव में प्रतीकों का अंतरण हर क्षण चालू है। संचार का यह आधारभूत तत्व है। (संचार का मतलब कम्यूनिकेशन है) मुख्यत: तीन इंद्रिय इससे संबद्ध हैं–कान, जीभ और आंख। कान श्रवणेन्द्रिय है। शब्द कर्णापट में लग जाते ही वह कंपन में बदल जाता है। वह कंपन वहां की तीन सुतार्य से होकर बिजली तरंग बन जाता है, यह तरंग मस्तिष्क में प्रवेश कर समझी जाती है। तब शब्द-कंपन बनकर बुद्धि केंद्र मे बदले प्रतीकों के रूप में पहुंचता है। वहां पहले अंकित प्रतीकों से जूझकर उसे समझा जाता है, यह समझने की प्रक्रिया है। उस केंद्र से उद्‌भूत होकर जीभ तक, इन पेचीदे प्रतीकांतरणों के द्वारा कहने वाले का मंतव्य, बाहर आने वाली वायु की सहायता से प्रस्तुत होता है। प्रतीकांतरणों का यही सिलसिला है। नवीनतम संचार युग आज तक श्रव्य माध्यम बलवती माना जा रहा था। अब इसके ही बल पर दृश्य, माध्यम सर्वाधिक बल अर्जित है। भूमंडलीकरण के इस युग में संसार, संपर्क के क्षेत्र में एक ही इकाई बन गया है। अब संपर्क को तत्क्षण, तत्समान बनाए रखने का मूलाधार सामयिक अनुवाद ही है। इसलिए अनुवाद आज 'ट्रान्स रिलेशन' बन गया हैं संसार के बहुभाषियों रूपी जंजीर की वह, सबसे मजबूत कड़ी, बन गया है। इसके सिवा भूमण्डलीकरण असंभव है। अथवा आधुनिकता का मूलमंत्र मात्र अनुवाद प्रतीत होता हैं। यह संचार क्रांति तथा सूचना प्रौद्योगिकी का युग है विश्वग्राम की परिकल्पना संचार तथा अनुवाद से संपन्न है। संसार के बहुभाषियों का मेल-मिलाप, ज्ञान-विज्ञान के विश्वव्यापी प्रचार-प्रसार, विश्व-बन्धुत्व की पुन:स्थापना आदि मात्र अनुवाद से संभव नज़ारा है। यहां भाषा भी एक हद तक प्रौद्योगिकी बन रही है। परिणामत: अनुवाद इस प्रौद्योगिकी की रीढ़ की हड्डी प्रतीत है।

वैज्ञानिक कला : अनुवाद को दोहरी प्रतिभा अनिवार्य है। सबसे पहले अपनी भावयत्री प्रतिभा से स्रोतपाठ का अध्ययन वह कर लेता है। ग्रहीन विषय को वह अपनी कारयत्री प्रतिभा से दूसरी भाषा में पुनर्रचित कर देता है। इन दोहरी प्रतिभावों का उचित मेल और सामंजस्य अनुवादक में देखा जा सकता है। तभी वह सफल अनुवादक बन जाता है। पुनर्रचना में कला तत्व अवश्य होता है। इसलिए अनुवाद एक हद तक कला है। भावयत्री प्रतिभा से पाठ का विश्लेषण ओर विषय ग्रहण कर लेता है। इसके लिए शब्द कोश, संदर्भ ग्रन्थ, व्याकरण तथा शैलीगत जानकारी मुहावरा और लोकोक्ति तक का ज्ञान विधिवत् प्रयोग में लाया जाता है। विषय ग्रहण का यह तरीका सुचारु है और विधिवत् भी है। इसलिए अनुवाद में वैज्ञानिक तत्व अवश्य आ जाता है। अत: अनुवाद एक हद तक विज्ञान भी है। तब अनुवाद को वैज्ञानिक कला कहना समीचीन प्रतीत है। हर मूल पाठ का अपना निजी रूप होता है। अनुवाद में यह रूप परिलक्षित होना अधिक संभव है। अथवा आदर्श अनुवाद में रूप को बनाये रखना अनिवार्य है। अभ्यास से ही रूप को सुघटित और सुचारु बना

पाएगा/अथवा निरंतर अभ्यास से ही रूप का मानकीकरण संभव होता है। इसलिए अनुवाद में शिल्प-तल भी अवश्य परिलक्षित है।

संस्कृति: हर भाषा की अपनी निजी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है। भाषा का चिह्न सामाजिक संपत्ति है। अर्थ भी विशेष भाषा-समाज की संस्कृति का संवाहक है। हर भाषा की अपनी निजी संस्कृति होती है। तब अनुवाद में संस्कृति का अंतरण स्वाभाविक है। इसलिए यह कहना अनुचित नहीं होगा कि अनुवाद सांस्कृतिक सेतु का कार्य करता है। सांस्कृतिकों का यहां सामंजस्य और अतिक्रमण भी होता है। स्रोत और लक्ष्य भाषा में समतुल्य संस्कृति मौजूद होना दूभर है। लगभग समान संस्कृति तो संभव है। ऐसे में अनुवाद में संस्कृति का एकीकरण या सामंजस्य देखा जा सकता है। भिन्न संस्कृति के बीच का अनुवाद वास्तव में सांस्कृतिक सेतु की भूमिका निभा पाता है।

आलोचना: अनुवाद के खण्डनात्मक समीक्षकों का दावा है–अनुवाद असंभव है, अनुवादक प्रवंचक है, अनुवाद पाप है, असफल साहित्यकार ही अनुवादक बन जाता है, अनुवाद दोयम दर्जे का कार्य है, यह असंभव को संभव बनाने का विफल प्रयास है, आदि-आदि। यह मानना भी अनिवार्य है कि कोई अंतिम अनुवाद संभव नहीं है। अनुवाद कर देने के कुछेक साल बाद फिर से वह पढ़ते वक्त अपने ही अनुवाद में जरा और जोड़-तोड़-मरोड़ की आवश्यकता अवश्य महसूस करेगा। यह हर लेखक की मानसिक सच्चाई है। अनुवाद-सिद्धान्त में यह एक मूल मुद्दा भी है। वक्तव्य और धारणा जो भी हो अनुवाद जारी है, आगे भी जारी रहेगा। आज शास्त्र, विज्ञान, साहित्य, वाणिज्य, प्रौद्योगिकी, तकनीक, मीडिया, शिक्षा, फैशन, पर्यटन, पर्यावरण, राजनीति, संचार, व्यवसाय, दर्शन, मानविकी आदि-आदि संपूर्ण क्षेत्र में अनुवाद सक्रिय है, गतिशील भी है। यह भूमण्डलीकरण की प्राणवायु है। आधुनिकोत्तरता की आत्मा अनुवाद ही है। निरंतर संपर्क अनुवाद से ही संभव होता रहा है। बोधगम्य संपर्क निरंतर प्रगामी अनुवाद से ही गतिशील है। फलत: समाज का एकीकरण अथवा ट्रान्स रिलेशन का नैरंतर्य अनुवाद के जरिए अग्रसर है। नूतन सामाजिक जीवन का यह तालमेल-ट्रान्स रिलेशन-अनुवाद की आधारशिला पर रूपायित है। परिणामत: अनुवाद ट्रान्स रिलेशन ही कहना अनुचित प्रतीत नहीं है।

संदर्भ ग्रन्थ:—

1. अनुवाद, त्रैमासिक/मासिक।
2. अनुवाद विज्ञान, भोलानाथ तिवारी।
3. अनुवाद: सिद्धान्त और प्रयोग, डॉ॰ जी॰ गोपीनाथ।
4. द थियरी ऑफ़ प्राक्टीज़ ऑफ ट्रांसलेशन, यूनीज ए॰ नीडा।
5. लिंग्विस्टिक्स थियरी ऑफ ट्रांसलेशन, कैटफोर्ड।

देवगिरी कॉलज,

कालिकट-673008

antonypm1957@gmail.com

हिंदी और बांग्ला साहित्य : एक दृष्टि

—डॉ॰ अवधेश कुमार चंसौलिया

जो सबका हित करे - वह साहित्य है। साहित्य की मूल भावना का संबंध मनुष्य एवं मनुष्येतर प्राणियों से होता है। साहित्य के विषय जड़-चेतन एवं भौगोलिक स्थल भी होते हैं। विश्व-एक भौगोलिक इकाई है। इसके अन्दर अनेक राष्ट्र और उनकी प्राकृतिक सीमाएं समाहित हैं। उनमें रहने वाले मनुष्य हैं। उसके सहचर के रूप में अनेक जीवधारी एवं जड़-चेतनमय प्रकृति भी उसके साथ निवासरत है। प्रकृति में पेड़-पौधे, नदी, पहाड़, झरने, कुएं, तालाब, गिरि, कन्दराएं आदि भी मनुष्य के सहयोगी हैं। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भले ही इनमें बाह्य रूप से भिन्नता हो, परन्तु सभी की मूल चेतना एक सी होती हैं। मनुष्य की विराट चेतना के रूप में मनुष्य ही रहता है। कवि या साहित्यकार अपने 'स्व' को विराटता में समाहित कर अपने साहित्य का सृजन कर, विश्व चेता बन जाता है। यही कारण है कि सुदूर पश्चिम में स्थित हो कर भी साहित्यकार जो भी अपनी रचनाओं में कहता है वह पूर्व ही नहीं अपितु पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के देशों में भी बड़े चाव से पढ़ा जाता है।

यही कारण है कि विश्व के सभी महत्वपूर्ण साहित्यकारों की श्रेष्ठ कृतियों का अध्ययन-अध्यापन, चिंतन, मनन सभी देशों में भली-भांति किया जाता है। आज शेक्सपियर, होमर, गेटे, गोर्की, चेखव, प्रेमचन्द, तुलसी, अज्ञेय आदि कवि संपूर्ण विश्व में पढ़ाए जा रहे हैं। क्योंकि उनके साहित्य की मूल भावनाएं एक सी हैं। उनकी रचनाओं का केन्द्र बिन्दु मनुष्य एवं उसके आसपास का पर्यावरण है, उनके पात्रों की सोच, उनका चिंतन, उनके क्रियाकलाप हमें अपने जैसे प्रतीत होते हैं।

यही बात देश के साहित्यकारों पर लागू होती है। यद्यपि हमारे देश को उप-महाद्वीप की संज्ञा से विभूषित किया जाता है क्योंकि जो भिन्नताएं एक महाद्वीप में होती हैं, वे सभी विभिन्नताएं हमारे देश में मौजूद हैं। देश के उत्तर में जो खानपान, पहिनना-ओढ़ना, तीज-त्यौहार और धार्मिक मान्यताएं हैं- वे पश्चिम, दक्षिण, पूर्व या पूर्वोत्तर के राज्यों में नहीं है। विश्व में पाए जाने वाले सभी जातियों, प्रजातियों और धार्मिक मान्यताओं वाले लोग यहां एक साथ वर्षों से रहते आए हैं। अनेकता में एकता, भारत की विशेषता है। मूल मार्ग दर्शक सिद्धांत हमारी संस्कृति, हमारी केन्द्रीय सोच, हमारी प्राचीन भाषा-संस्कृत, हमारे तीर्थ और प्राचीन ग्रंथ हम सभी को आपस में जोड़े रहते हैं। हमारी उत्सवधर्मिता, भाषाओं की समानता, उनकी लिखित अलिखित सामग्री, एक दूसरे के साथ एकमेक होकर यहां के निवासियों में एकता का भाव जाग्रत करते रहते है, विदेशियों द्वारा लिखे अलगाव के इतिहास को वे नहीं मानते। हजारों वर्षों से सारे भारत के लोग प्रत्येक बारह वर्षों में सम्पन्न होने वाले सिंहस्थों में महीनों मिल बैठकर साहित्यिक चर्चाऐं करते रहे हैं।

तीर्थ यात्राओं में सभी राज्यों के गीत आपस में घुलते-मिलते रहे हैं। यहां की भाषाओं को प्राचीनकाल में संस्कृत और अब हिंदी, परस्पर जोड़ रही है। अनुवाद का कार्य विभिन्न राज्यों यहां तक कि विभिन्न देशों के साहित्य को एक-दूसरे से मिला रहा है। आज शरतचन्द, रवीन्द्रनाथ टैगोर, महाश्वेता देवी, बंकिमचन्द चटर्जी जिस बांग्ला में पढ़े जाते हैं, उससे कहीं अधिक वे हिंदी में पढ़े जाते हैं। इसी तरह प्रेमचन्द, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, तुलसी, मैथिल कोकिल विधापित, नागार्जुन एवं फणीश्वर नाथ रेणु, दिनकर, मैथिलीशरण गुप्त, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, आदि साहित्यकार बांग्ला में बड़ा चाव से पढ़े जाते हैं। आज श्री वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य, ताराशंकर वंदोपाध्याय, महाश्वेता, यू॰आर॰ अनन्त, विजय तेन्दुलकर, पन्नालाल पटेल, नामदेव अपनी-अपनी भाषाओं के साहित्यकार होते हुए भी महत्वपूर्ण भारतीय लेखक भी हैं।

ऐक्य के इसी भाव के संबंध में डॉ॰ आनंद कुमार स्वामी के सुप्रसिद्ध ग्रंथ 'दी डान्स ऑफ शिव' की प्रस्तावना में विश्व लेखक रोम्यां-रोलां ने लिख है कि ''भारत वर्ष की विशाल आत्मा इस छोर से उस छोर तक एक ही जनार्कीण सुव्यवस्थित भव्य प्रसाद के परम ऐक्य की उद्घोषणा कर रही है। यहां पर किसी का वर्जन नहीं, सब एक सूत्र में गुंथे हुए हैं।[1] ''लक्ष नेत्रों के अन्तराल से हम उस एक को ही देखते हैं।[2] ''सभी भारतीयों के आस्था और विश्वास एक ही परम सत्ता से जुड़े हुए हैं, भले ही उसके रूप-राम, कृष्ण, विष्णु, विभिन्न देवियों में अवस्थित क्यों न हों। मानव एवं विश्व हित के लिए निर्धारित हमारे शाश्वत मूल्य सभी राज्यों, क्षेत्रों, लोकों के साहित्य में समान रूप से मिल जाएंगे। भारतीय साहित्य की मूल प्रेरणा में वेदों, उपनिषदों, आख्यानक, ब्राह्मणों, पुराणों और रामायण ग्रंथों का और मनीषियों के चिंतनों का महत्वपूर्ण योगदान है। तुलसी ने कहा है - रामायण सत् कोटि अपारा।'' अर्थात् रामायण करोड़ों की संख्या में लिखी गई हैं। क्षेत्र, आस्था, समय एवं कपि की सौन्दर्य दृष्टि की विभिन्नता के कारण यद्यपि उनकी कथाओं में कुछ अंतर जरूर है परन्तु उनकी मूल भावना या तत्व में कोई अन्तर नहीं है। वह मूल तत्व है-असत्य पर सत्य की विजय। मर्यादा, शीलत्व, नैतिकता, सांस्कृतिक उदात्तता, कर्तव्य परायणता, स्वामी भक्ति, मातृ-पितृ भक्ति एवं राष्ट्रीयता के भावों को सदैव हृद्य में संजोकर रखना हमारे साहित्य की विशेषता रही है। आध्यात्मिकता एवं सत्यता हमारे साहित्य का प्राण तत्व है। ईश्वर प्राप्ति में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की महती आवश्यकता है। सत्य ही ईश्वर है। अहिंसा परमोधर्मा:, वसुधैव कुटुम्बकम, सर्वे भवन्तु सुखिन:, विद्या ददाति विनयम्, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयशी की भाव भूमि पर हमारा साहित्य सृजित होता रहा है। इसलिए ये सभी उदात्त भाव एवं आदर्श हर राज्य या क्षेत्र के साहित्य में समान रूप से मिलते हैं।

बांग्ला साहित्य हो या हिंदी साहित्य प्राचीन एवं मध्य युग में भक्ति के तत्व दोनों में समान रूप से मौजूद हैं। युगीन साहित्यिक धाराओं में सभी धाराओं का साहित्य समान रूप लिए हुए है। सभी में एन्द्रियता और आध्यामिकता का अद्भुत संयुग्मन हुआ है। इन दोनों तत्वों के समावेश से साहित्य में सत्यं, शिवं, सुन्दरम् की भावना को बल मिला है। भारतीय साहित्य की एकता का एक और प्रेरक तत्व है - वह है

–आधुनिकता। इन तत्वों के कारण भारतीय वाड्मय परस्पर निकट आ गया है। हिंदी–बांग्ला साहित्य भी इन्हीं तत्वों के कारण एक दूसरे के अत्यंत सन्निकट है। इस नैकट्य में दोनों क्षेत्रों के कवियों, संतों, चिंतकों, नाथों, बौद्धों, वैष्णवों, शैवों एवं शाक्तों ने महत्वपूर्ण योगदान किया है। वर्तमान समय में रवीन्द्रनाथ टैगोर, शरतचन्द आदि का हिंदी पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। इस संबंध में डॉ॰ सुधाकर चट्टोपाध्याय लिखते हैं कि 'नाथ साहित्य, वैष्णव साहित्य, निगुर्ण साहित्य (बाउल) को केवल बांग्ला का कहना भूल होगी। इन सब सम्प्रदायों के पूर्वी आचार्यों ने पश्चिम को अपना शिष्य बना लिया और पश्चिमी आचार्यों ने पूरब को, इसलिए बांग्ला के चर्यापदों की वाणी कबीर के कण्ठ से विचित्र नहीं लगती। मिथिला के विद्यापति बंगाल के कवि गुरू हो गए, बांग्ला के नाथ साहित्य की प्रतिध्वनि पंजाबी, हिंदी गुजराती में सुनाई देने लगी।[3] इसके साथ–साथ श्री चैतन्य दाक्षिणात्य के दाक्षिणत्य से धन्य है और श्री चैतन्य की दीक्षा से दक्षिण के गोपाल भट्ट धन्य हैं। मीराबाई जीव गोस्वामी से प्रभावित हैं।[4] बांग्ला भाषा के आदियुग का श्रेष्ठ निदर्शन 'चर्यापद' में प्राप्त है, जिसकी रचना ईसा की 10वीं–12वीं सदी के मध्य हुई है। राहुल सांस्कृत्यायन ने इसी चर्यापद की भाषा को हिंदी का आदि कालीन रूप माना है। बांग्ला का प्रभाव हिंदी पर स्वाभाविक रूप से पड़ा। इससे हिंदी की प्रभाव क्षमता भी बढ़ी है। ''बांग्ला के भाव ने न जाने कितने प्राणों में संगीत की अग्नि प्रज्वलित कर दी। हिंदी वैष्णव पदावली को चैतन्य वैष्णव धर्म का दान असाधारण है। एक ओर यदि बांग्ला साहित्य ने हिंदी को प्रभावित किया तो दूसरी ओर हिंदी ने भी बांग्ला साहित्य को अपने प्रभाव क्षेत्र में लिया। बांग्ला को हिंदी ने तीन दिशाओं से प्रभावित किया। एक विद्यापति और ब्रजबुलि परम्परा में, दूसरे मथुरा–वृंदावन में उत्पन्न कृष्ण भक्ति धारा के अन्तर्गत, तीसरे चैतन्य महाप्रभु और जीवन गोस्वामी के कारण[5] हिंदी कवि गोविन्द दास और मैथिली कवि विद्यापति में अन्तर कर पाना मुश्किल हो जाता है। इस दृष्टि से ब्रजबृली का उदाहरण दृष्टव्य है–

''नन्द नंदन चन्द चन्दन गंध निंदित अंग।
जलद सुंदर कम्बुकन्दर निन्दि सिंधुर भंग।।''

इसी तरह ब्रज हिंदी और बंग–भाषा को इस श्लोक में भी अलग करना दुष्कर कार्य है। रास पंचाध्यायी का पहला श्लोक है– ''भगवाल पिता: रात्रों: शरदोत्फल्ल मल्लिकां।

वीक्ष्य रंतुं मनश्चक्रे योगमाया समावृता:।।

16वीं एवं 18वीं शती की ब्रजबुली और बंग भाषा वाक्य, मुहावरे, शब्द और शब्दांश में एकमेक हो गई हैं। वृन्दावन के कवि वृन्दावनदास ने चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि ''विद्यापति, चंडीदास, श्री गीत गोविन्द एइ तीनि गीते कराये महाप्रभु आनन्द। अर्थात् गीत गोविन्दकार जयदेव, चंडीदास और विद्यापति के गीतों से महाप्रभु को आनंद मिलता था। बांग्ला का गीत काव्य जयदेव से बहुत प्रभावित है। इसके बाद इस पर विद्यापति और चंडीदास का भी विशेष प्रभाव पड़ा। प्रो॰ हलदार के अनुसार– ''यही धारा सुप्राचीन कवि चण्डीदास से लेकर बीसवीं सदी के कवि रविन्द्रनाथ तक अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित होती रही है। राधा और कृष्ण की प्रेमकथा पर नर–नारी

के तन-मन का संपूर्ण चित्र चित्रित हुआ है। इन कवियों में कुछ की कविताएं बांग्ला भाषा में रचित है, किंतु अधिकांश रचित है एक प्रकार की मिश्रित भाषा ब्रजबुली में। ब्रजबुली में प्रधानता बंगला के साथ मैथिली के कुछ शब्द और ब्रजभाषा के कतिपय क्रियापद बिखरे मिलते हैं।[6] आधुनिक बांग्ला साहित्य में नवीनता का आगमन मधुसूदन दत्त के साहित्य से हुआ। ये पाश्चात्य उपकरण लेकर बंग साहित्य में अवतरित हुए। तत्पश्चात् विहारीलाल, चक्रवर्ती जी आए। इन्हें रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भोर का पार्खी कहा है। इन सभी बंग साहित्य के प्रणेताओं ने हिंदी साहित्य की सभी विधाओं से प्रभावित है तो आधुनिक हिंदी साहित्य बंग साहित्य से। संपूर्ण भारतीय बाड्मय पर दृष्टिपात करने पर यह विश्वास दृढ़ हो जाता है कि ''भारतीय वाड्मय अनेक भाषाओं में अभिव्यक्त एक ही विचार है।[7] लेकिन उसकी भंगिमाऐं, मुहावरे, वक्रता, प्रयोगधर्मिता यहां तक कि वाक्य विन्यास तक अंग्रेजी के प्रभाव में आ चुके हैं। भारतीय साहित्य की यह अंग्रेजियत उसकी असली पहचान को धूमिल कर रही हैं।

संदर्भः-

1. The Dance of Shiva-Faoward by Romain Rolland P. 7, 1948
2. वही P. 8.
3. डॉ॰ रामशंकर द्विवेदी- साहित्य और सौन्दर्य बोध पृ॰ 33, भावना - प्रकाशन दिल्ली, सन् 1990
4. वही
5. वही पृ॰ 33.
6. डॉ॰ शत्रुघन प्रसाद, बांग्ला और हिंदी का अंतः संबंध, पुस्तक बांग्ला साहित्य का भारतीय साहित्य पर प्रभाव, संपादक क्रांति कनाटे, अखिल भारतीय साहित्य परिषद् न्यास, नई दिल्ली, पृ॰ 8, सन् 2014 ई॰.
7. सं॰ मूलचंद गौतम, भारतीय साहित्य पृ॰ 91, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली सन् 2009.

डी॰एम॰ 242, दीनदयाल नगर,
ग्वालियर-474005 (म॰प्र॰)
चलभाष-04925187203

सूचना प्रौद्योगिकी और ग्राहक सेवा

'इंटरनेट ग्राहक सेवा के युग में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आपका प्रतियोगी आपसे केवल एक माउस क्लिक की दूरी पर है' —डॉग वार्नर

—देवेन्द्र सिंह रावत

इंटरनेट के व्यापक उपयोग के कारण आज आम आदमी के कार्य घर बैठे या उसके कार्य स्थल पर बैठे ही संपन्न होने लगे हैं। इससे समय की बचत होती है, साथ ही सूचना सेंकड में ही पहुंच जाती है। परिचालन शीघ्र होते हैं और परिणाम शीघ्र मिल जाते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में भी परिचालन के समस्त कार्य आज सूचना प्रौद्योगिकी आधारित हो गये हैं और वे सभी इंटरनेट के द्वारा संचालित हो सकते हैं। बैंकिंग में खातों के रिकार्ड, परिचालन, रकम की निकासी, जमा, प्रेषण, विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक कार्डों का परिचालन, भुगतान, आदि कार्य इंटरनेट द्वारा संचालित सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। इस क्षेत्र में नवीनतम भुगतान प्रणाली एम वैलेट, एम पैसा और मोबाइल बैंकिंग हैं, अर्थात् मोबाइल फोन के द्वारा आपके उपयोगी बिलों का भुगतान और बैंक में आपके खातों का परिचालन, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर नये आविष्कार होने के कारण बैंकों और सेवा प्रदाताओं को भी नवीनतम माध्यमों का उपयोग करना आवश्यक हो गया है। जो बैंक या सेवा प्रदाता नवीनतम माध्यमों को अपनाने में पीछे रहेगा, उसे अपने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पारंगत ग्राहकों को अपने साथ बनाये रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उपर्युक्त कहावत को ध्यान में रखना होगा कि यदि आपका प्रतियोगी बैंक अपने ग्राहकों को आपसे बेहतर इंटरनेट आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम है तो आपका ग्राहक उन सुविधाओं को अपनाने के लिए अपना बैंक बदल सकता है।

ग्राहक सेवा के बारे में गांधी जी के विचार कि ''ग्राहक मेरे कारोबार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर आश्रित नहीं है, हम उस पर आश्रित हैं। वह हमारे कार्य में बाधा नहीं है, वह हमारे कार्य का प्रयोजन है। वह हमारे कारोबार में बाहरी व्यक्ति नहीं है,वह कारोबार का हिस्सा है। हम उसको सेवा देकर उस पर कोई कृपा नहीं करते हैं, वह हमें सेवा का अवसर देकर हम पर उपकार कर रहा है'' आज भी पूर्णतः प्रासंगिक हैं। आज के प्रतियोगी युग में यदि ग्राहक को समय पर उसकी संतुष्टि के अनुसार सेवा नहीं दी गई, जिसमें अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं भी शामिल हैं, तो ग्राहक अपने लिए कोई और सेवा प्रदाता ढूंढ लेगा। आज नए ग्राहक को अपनी संस्था से जोड़ने के लिए जो प्रयास करने पड़ते हैं, वही प्रयास विद्यमान ग्राहकों को अपने साथ बनाए रखने के लिए भी करने जरूरी हैं। ग्राहक को दी जाने वाली सेवा में कोई चूक होने पर ग्राहक अपने लिए दूसरे विकल्प ढूंढना शुरू कर सकता है, जो कि आज आसानी से उपलब्ध हैं।

आज बैंकिंग क्षेत्र में कई प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं, यह प्रतियोगिताएं उत्पाद तैयार करने में, उनको प्रस्तुत करने में, ग्राहकों को उत्पादों के विपणन के बाद सेवा देने में, मूल्यवर्धक सेवाएं देने में तथा ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की अन्य सुविधाएं देने में देखी जा सकती हैं। सभी बैंकों के उत्पाद लगभग समान होते

हैं। विभिन्न बैंकों के उत्पादों के बीच केवल ग्राहक सेवा से ही अंतर किया जा सकता है। सूचना आधारित या इंटरनेट आधारित ग्राहक सेवा के विभिन्न पहलू निम्न प्रकार हैं:

1. उत्पादों के प्रचार-प्रसार में मोबाइल फोन का उपयोग

इंटरनेट आधारित सूचना प्रौद्योगिकी के युग में किसी भी व्यापारी संस्था के लिए अपने उत्पादों का प्रचार करना बहुत आसान हो गया है। परंपरागत माध यमों जैसे होर्डिंग्स, समाचार पत्रों में विज्ञापन, स्थानीय परिचालन क्षेत्र में पर्चे बांटने के अतिरिक्त आज एसएमएस का माध्यम सबसे तेज और प्रभावी हो गया है। देश में मोबाइल फोन के बढ़ते उपयोग के कारण यह माध्यम सबसे अधिक तेज माना गया है। वित्तीय समावेशन के लिए इस माध्यम का उपयोग बढ़ गया है। इसके माध्यम से सुदूर बसे गांवों के निवासियों को बैंकिंग सेवाएं कम लागत पर उपलब्ध कराई जा सकती है, इसलिए बैंकों को अपने उत्पादों के प्रचार में तथा वित्तीय समावेशन में इस माध्यम का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। इससे बैंक सीधे ही ग्राहक तक अपनी पहुंच बना सकेंगे, जिससे ग्राहकों के मन में बैंक की छवि में भी सुधार होगा, इससे बैंकों का प्रचार व्यय भी कम होगा।

2. ईमेल का अधिकतम उपयोग

आज दिन-प्रतिदिन के कार्य में ई-मेल का अधिकतम उपयोग होने लगा है। कुछ बैंकों द्वारा ग्राहकों को उनके खातों के विवरण भी ई-मेल द्वारा भेजे जाने लगे हैं। ग्राहकों के साथ सभी प्रकार के पत्र-व्यवहार में ई-मेल का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। इससे सूचनाएं शीघ्र पहुंचेगी साथ ही बैंक अपने प्रेषण व्यय को भी कम कर सकेंगे।

3. इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एम वैलेट आदि की सुविधा

सूचना प्रौद्योगिकी के युग में आज इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सामान्य सुविधाएं हो गई हैं, ग्राहक अपने खाते का परिचालन, अपनी रकम का अंतरण व प्रेषण, विभिन्न प्रयोजनों हेतु ऋण आवेदन प्रस्तुत करना, अपने ऋण आवेदन के निपटान की समय-समय पर स्थिति ज्ञात करना, बैंक के बारे में अपनी शिकायत दर्ज करना और उस पर हुई कार्रवाई की स्थिति की जानकारी, आदि सभी कार्य अपने घर या कार्यालय में बैठकर ही कर सकता है। कुछ बैंकों ने इस कार्य के लिए ग्राहकों के लिए ई-लॉबी भी स्थापित की हैं, सूचना प्रौद्योगिकी में पारंगत युवा पीढ़ी आज इन माध्यमों का ही अधिकतम उपयोग कर रही है। बैंकों को अपने ग्राहकों को बनाये रखने के लिए इन सुविधाओं को प्रदान करना आवश्यक हो गया है। आज एटीएम का उपयोग इसका उदाहरण है।

एम. वैलेट व एम. पैसा के माध्यम से ग्राहक अपने बिलों का भुगतान अपने मोबाइल से तुरंत कर सकते हैं, इससे जहां एक और ग्राहकों की सुविधा में वृद्धि हुई है, वहीं भुगतान प्राप्तकर्ता को भी नकदी के रखरखाव से मुक्ति मिली है। भुगतान की रकम सीधे ही उनके खाते में जमा हो जाएगी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड की सुविधाओं के रहते हुए भी एम वैलेट की सुविधा अधिक लोकप्रिय हो सकती है, क्योंकि यह मोबाइल आधारित है और आस-पास एटीएम स्थित न रहते हुए भी, उपयोग की जा सकती है।

4. निर्धारित समय सीमा के अंदर सेवाएं देना

शाखाओं में विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए समय-सीमाएं निर्धारित की गई हैं। उसके बारे में ग्राहकों के लिए भी सूचना प्रदर्शित की गई हैं, यदि उन समय

सीमाओं के अनुसार ग्राहकों को सेवाएं दी जाएं तो ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ेगी और ग्राहक के मन में अच्छी छवि बनेगी।

5. शिकायतों का शीघ्र निपटान

ग्राहकों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए बैंकों ने ऑन-लाइन सुविधाएं प्रदान की हैं शीर्ष स्तर पर ग्राहकों की शिकायतों के निपटान के लिए निष्पक्ष अधिकारी भी नियुक्त किये हैं। ग्राहकों से प्राप्त होने वाली अधिकांश शिकायतें शाखाओं की सेवाओं में संबंधित होती हैं। यदि शाखा में ग्राहक की शिकायत प्राप्त होने पर उस पर तुरंत ध्यान दिया जाए और ग्राहक से संपर्क करके उसका समाधान निकाला जाए, तो ग्राहक को खुशी होगी।

6. काउंटर पर कर्मचारियों का व्यवहार

इंटरनेट और ऑन-लाइन बैंकिंग के होते हुए भी ग्राहकों को बैंक की शाखा से संपर्क रखना पड़ता है और आवश्यक होने पर शाखा में भी जाना पड़ता है। जब भी कोई ग्राहक शाखा में प्रवेश करता है तो सबसे पहले वह काउंटर पर बैठे व्यक्ति से संपर्क करता है। काउंटर पर बैठा व्यक्ति ही उसके लिए बैंक है। वह बैंक का पुराना ग्राहक भी हो सकता है या कोई नया संभावित ग्राहक भी। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने उस ग्राहक से कैसा व्यवहार किया, उसके प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया, उत्तर देने में या कार्य करने में कितना समय लिया, कार्य करते समय उसके चहरे के हाव-भाव कैसे थे, काउंटर पर खड़ा व्यक्ति यह सभी नोट करता है और इसी से उसके मन में बैंक के बारे में छवि बनती है। इसलिए,काउंटर पर कार्यरत कर्मचारियों को व्यवहार कुशल होना चाहिए तथा उनकों बैंक के उत्पादों व सेवाओं के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए शाखा प्रबंधक समय-समय पर स्टाफ सदस्यों की बैठक आयोजित करके उनको बैंक द्वारा नए आरंभ किए गए उत्पादों तथा विद्यमान उत्पादों की विशिष्टिताओं में हुए परिवर्तनों की जानकारी देते रहें, इन बैठकों के माध्यम से शाखा प्रबंधक उच्च प्रबंधन तंत्र की अपेक्षाओं की जानकारी सभी कर्मचारियों तक पहुंचा सकेंगे और लक्ष्य प्राप्ति के लिए शाखा की कार्ययोजना भी तैयार कर सकेंगे।

7. ऋण आवेदन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

ग्राहक को विभिन्न बैंकों के उत्पादों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम उपलब्ध हो गये हैं। वह किसी भी बैंक में ऋण के लिए आवेदन करने से पहले विभिन्न बैंकों के उत्पादों की तुलना कर सकता है, जो कि उनको बैंकों की वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध हैं और उसके बाद ही वह किसी बैंक में जाता है। यदि बैंक ने उसके आवेदन पर तुरंत कार्रवाई नहीं की या निर्णय नहीं लिया तो ग्राहक के लिए अन्य विकल्प खुले हैं, वह किसी अन्य बैंक से ऋण ले सकता है। इसलिए ग्राहकों को अपने साथ जोड़ने के लिए बैंक को ऋण आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए और उसके बारे में जो भी निर्णय हो, ग्राहक को शीघ्र सूचित करना चाहिए। रिटेल उत्पादों के अंतर्गत शामिल ऋणों की स्वीकृति के लिए विभिन्न कार्रवाइयों की समय सीमाएं निर्धारित की गई हैं, उनके अनुसार यदि उन पर कार्रवाई की जाए, तो उससे ग्राहक के मन में बैंक की अच्छी छवि बनेगी, क्योंकि लागत और उत्पादों की गुणवत्ता समान होने से आप केवल प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उत्कृष्ट सेवा से ही आप ग्राहक को अपने साथ जोड़ सकते हैं।

8. वरिष्ठ नागरिकों को सेवाएं

वरिष्ठ नागरिक होना जीवन का एक ऐसा मोड़ है, जहां प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन पहुंचना ही है।

वरिष्ठ नागरिकों को शाखाओं में पेंशन का भुगतान तुरंत किया जाना चाहिए। यदि शाखाओं में पेंशनरों की संख्या अधिक हो तो महीने के प्रथम सप्ताह में पेंशनरों के लिए एक काउंटर निर्धारित किया जा सकता है। ग्राहकों के लिए शाखाओं में बैठने व पीने के पानी आदि का मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। पेंशनर अपने अधिकतम निवेश बैंकों में ही करते हैं इसलिए बैंकों के लिए जमा संग्रहण में वरिष्ठ नागरिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

9. शिकायत बॉक्स व शिकायत रजिस्टर

ऑन-लाइन सुविधा के होते हुए भी शाखाओं में ग्राहकों की शिकायतों व सुझावों के लिए शिकायत बॉक्स तथा शिकायत रजिस्टर उपलब्ध होना चाहिए तथा प्राप्त शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। असंतुष्ट ग्राहक बैंक और संस्था का नकारात्मक प्रचार कर सकता है, इसलिए शिकायतों का कुशलता से निपटान किया जाना चाहिए, ग्राहक यह अपेक्षा करते हैं कि आप आदर्श हों, वह यह अपेक्षा करते हैं कि जब कोई समस्या उत्पन्न हो तो आप उनका शीघ्र निवारण करें।

10. शाखा की ग्राहक सेवा समिति की भूमिका

सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग के युग में भी ग्राहक सेवा को निरंतर बेहतर बनाने और ग्राहक सेवा के क्षेत्र में अपने बैंक की अलग पहचान बनाने के लिए स्टाफ सदस्यों एवं ग्राहकों से विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए विनियामक के आदेशों के अनुसार प्रत्येक शाखा में गठित की गई ग्राहक सेवा समिति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, उसकी बैठकें नियमित रूप में आयोजित की जानी चाहिए, शाखा की सेवाओं के बारे में शिकायत करने वाले ग्राहकों को भी इन बैठकों में शामिल किया जाए, क्योंकि आपका सर्वाधिक असंतुष्ट ग्राहक आपके लिए जानकारी प्राप्त करने का सबसे बड़ा माध्यम है।

11. उपयोग की जाने वाली भाषा

ग्राहकों के साथ संपर्क करने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी में और हिंदीतर भाषी प्रदेशों में स्थानीय भाषा या हिंदी में ग्राहकों के साथ व्यवहार व संपर्क करने से ग्राहकों व बैंक के बीच की दूरी कम होगी। ग्राहक बैंक प्रबंधक व स्टाफ सदस्यों से आसानी से संपर्क कर सकेंगे। वे शाखा में आने में सहज महसूस करेंगे। प्रचार माध्यमों में भी इसी प्रकार भाषा का उपयोग किया जाए तो बैंक के उत्पादों के बारे में संभावित ग्राहकों को जानकारी बेहतर रूप में प्राप्त होगी और ग्राहक बैंक की सेवाओं और उत्पादों का आसानी से उपयोग कर सकेंगे।

12. ग्राहकों के साथ संपर्क के कार्यक्रम

सूचना प्रौद्योगिकी के युग में ग्राहक और बैंक के बीच साक्षात संपर्क कम होता जा रहा है। कंप्यूटर प्रशिक्षित और इंटरनेट सुविधा से युक्त ग्राहक अपने घर अथवा कार्यालय से ही अपने खाते का परिचालन करते हैं। यह वर्ग बैंक को सर्वाधिक कारोबार उपलब्ध करवा सकता है। इसलिए उनसे निरंतर संपर्क बनाये रखने के लिए, बैंक द्वारा समय-समय पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों जैसे शाखा की वर्षगांठ, ऋण वितरण कार्यक्रम, आदि में ग्राहकों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इससे ग्राहक भी स्वयं को बैंक के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में महसूस करेंगे और बैंक की प्रगति तथा कारोबार विकास के लिए योगदान दे सकेंगे। ऐसे कार्यक्रमों से बैंक की अच्छी छवि बनती है। इससे विद्यमान ग्राहक बैंक के प्रचार का कार्य करते हैं और वे अपने संबंधियों, मित्रों के बीच जब बैंक की सेवा की प्रशंसा करते हैं तो बैंक के साथ और अधिक ग्राहक अपने आप जुड़ने लगते हैं।

उपनगरीय या ग्रामीण केन्द्रों में, जहां पर सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं जैसे ए टी एम आदि के उपयोग करने के बारे में ग्राहकों को जानकारी कम है,

बैंकों की शाखाओं में ग्राहकों को जानकारी दी जा सकती है। इसके लिए आई॰बी॰ए॰ ने उनकी वेबसाइट पर एक छोटा सा वीडियो भी उपलब्ध कराया है, जो कि ग्राहकों को शाखा में दिखाया जा सकता है। इससे शाखा में ग्राहकों की भीड़ को कम किया जा सकता है और ग्राहकों को सेवाएं भी उनकी अपेक्षा अनुसार उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

ग्राहक सेवा को उत्कृष्ट बनाने के लिए सेवाओं व उत्पादों की समीक्षा

किसी भी कारोबार के लिए ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता हमेशा लाभदायक रही है और यह हमेशा बनी रहेगी। बैंकिंग कारोबार में प्रतियोगिता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ग्राहकों के पास कई विकल्प उपलब्ध हैं। एक बार ग्राहक के मन में किसी संस्था की अच्छी छवि बनने पर आसानी से बदली नहीं जा सकती। यह भी देखा गया है कि कई बार ग्राहक उनकी मन पसंद संस्था की सेवाएं महंगी होने पर भी उस संस्था से रिश्ता समाप्त नहीं करते हैं। इसलिए, बैंकों को अपने उत्पादों और उनको प्रदान करने वाले माध्यमों की समय-समय पर समीक्षा करनी चाहिए। उत्पादों का उपयोग अपने प्रतियोगियों के उत्पादों की तुलना में सरल बनाया जाए, इससे ग्राहकों को अद्यतन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए अन्य विकल्प नहीं तलाशने पड़ेंगे और बैंकों को ग्राहकों के साथ लंबी अवधि के संबंध बनाने में मदद मिलेगी। इससे ग्राहक और बैंक दोनों को ही लाभ होगा।

'आपकों उत्पाद और उसकी लागत का लाभ पुन: नहीं मिल सकता, क्योंकि उनको दूसरा बैंक भी अपना सकता है, लेकिन उत्कृष्ट ग्राहक सेवा और बैंक की संस्कृति की नकल नहीं की जा सकती..... जेरी फ्रिट'।

सूचना प्रौद्योगिकी आधारित परिचालनों में जोखिम

वर्तमान में बैंकिंग के सभी प्रकार के कार्य कंप्यूटर प्रणाली से हो रहे हैं। इंटरनेट का उपयोग बढ़ने से जहां एक और कार्य निष्पादन के समय में दक्षता बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर उसमें अनेक प्रकार के जोखिम भी बढ़ गए हैं। अब ग्राहक किसी एक शाखा का ग्राहक नहीं रह गया है, वह बैंक का ग्राहक हो गया है, अर्थात ग्राहक अखिल भारतीय स्तर पर फैली बैंक की शाखाओं में से किसी भी शाखा से अपने खाते का परिचालन कर सकता है, देश या विदेश में बैठकर कोई भी ग्राहक इंटरनेट के माध्यम से अपने खाते का परिचालन कर सकता है, इससे धोखाधड़ी की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। इसलिए, खाता खोलते समय के॰वाई॰सी॰ के नियमों का पूर्ण पालन किया जाना चाहिए और बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी आधारित परिचालनों की साइबर सुरक्षा सुदृढ़ की जानी चाहिए।

उपसंहार

'अपने ग्राहकों से घनिष्ठ संबंध बनाएं, इतने घनिष्ठ कि उनके स्वयं महसूस करने से पहले, आप उनसे यह कह सकें कि उनकी आवश्यकता क्या है... ..... स्टीव जॉब'

बैंकिंग क्षेत्र के परिचालन भी अति-आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग तथा नवोन्मेषी उत्पाद आज ग्राहकों को अपने साथ जोड़े रखने तथा शीघ्र और धोखाधड़ी-मुक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक हो गये हैं। यदि ग्राहक को बदलते समय के अनुसार अत्याधुनिक सेवा माध्यम और उत्पाद उपलब्ध कराये जाते रहें, तो ग्राहक के मन में बैंक की एक अच्छी छवि बन जाती है। संतुष्ट और निष्ठावान ग्राहक बैंक के चलते-फिरते विज्ञापन का कार्य करते हैं वह न केवल स्वयं बैंक के साथ जुड़े रहते हैं, बल्कि यह प्रयास करते हैं कि उनके मित्र भी आपकी शाखा के ग्राहक बने। इससे अनेक नये ग्राहक बैंक से जुड़ते हैं, जिससे बैंक बढ़ती प्रतियोगिता में भी अपने कारोबार के विकास में सफल हो सकेगा।

बी-122, प्रयाग अपार्टमेंट्स,
बी- 1, वसुन्धरा इन्कलेव, दिल्ली-110096

भारत की शास्त्रीय भाषाएं : परिचय एवं स्वरूप

– डॉ० राकेश शर्मा

'भाषा एक आंतरिक और सार्वजनिक साधन है, स्वाभाविक और आदिम। भाषा के मुख्य उद्देश्य में उन्नति होना कभी संभव नहीं क्योंकि उद्देश्य सर्वदेशी और पूर्ण होते हैं, उनमें किसी प्रकार भी परिवर्तन नही हो सकता। वे सदैव अखंड और एकरस रहते है।

– ***जैक्सीन-डेविस***

हम भारत की इस प्राचीन एवं गौरवमयी भूमि पर सदियों से एक बहुभाषी एवं बहुरंगी संस्कृति के साथ रहते आए हैं। इस देश में 122 प्रमुख एवं 1599 अन्य भाषाएं बोली जाती हैं। भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का लिखित दर्जा प्रदान नहीं किया है। 2001 की जनगणना के अनुसार, 1365 सुस्पष्ट मातृभाषाएं, 234 पहचाने योग्य मातृभाषाएं और 122 अन्य प्रमुख भाषाएं हैं। इनमें से 29 भाषाओं के एक मिलियन से अधिक बोलने वाले हैं, 60 भाषाओं के 100,000 से अधिक और 122 भाषाओं के 10,000 से अधिक बोलने वाले व्यक्ति हैं। कोडावा एवं तुल्लु जैसी भाषाओं की कोई लिपि नहीं है पर कुर्ग (कोडगु) और दक्षिण कन्नड़ में इन भाषाओं को बोलने वालों का एक विशाल समूह है।

भारत की भाषायी विविधता की पहचान और सम्मान करते हुए संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार कतिपय भारतीय भाषाओं की प्राचीन साहित्यिक परंपरा का संरक्षण और संवर्द्धन करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा उन्हें शास्त्रीय भाषा (Classical Language) का दर्जा प्रदान किया जाता रहा है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए आधिकारिक मानदंडों के अनुसार उस भाषा के आरंभिक (Early) ग्रंथों (Texts) या अभिलिखित (Recorded) इतिहास की प्राचीनता लगभग 1500-2000 वर्षों की होनी चाहिए। उस भाषा में प्राचीन साहित्य/ग्रंथों का एक ऐसा समूह होना चाहिए, जिसे उस भाषा के बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा अमूल्य विरासत (Heritage) समझा जाता रहा हो। इसके अलावा, उस भाषा की मौलिक (Original) साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए जो किसी अन्य भाषिक समुदाय (Speech Community) से न ली गयी हो। साथ ही, चूंकि शास्त्रीय भाषा और साहित्य, आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न है इसलिए शास्त्रीय भाषा और उसके परवर्ती रूपों (Later Forms) में विच्छिन्नता (Discontinuity) हो सकती है। अब तक तमिल को वर्ष 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगू तथा कन्नड़ को 2008 में तथा मलयालम को वर्ष 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। इसी क्रम में ओड़िया भाषा अब छठी ऐसी भाषा बन गयी है जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। 20 फरवरी, 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा के तौर पर वर्गीकृत करने को स्वीकृति प्रदान कर दी।

भाषाओं को यह दर्जा देने संबंधी परंपरा की नींव आजादी के ठीक बाद पड़ी। संविधान सभा में जब संस्कृत वोटों के आधार पर आधिकारिक भाषा नहीं बन सकी, तो अनुच्छेद 351 के तहत उसे विशेष भाषा

का दर्जा दिया गया। संविधान सभा ने उसे इसलिए खास माना, क्योंकि वह हिंदी सहित कई भाषाओं की जननी रही है।

हालांकि शास्त्रीय भाषा के अब तक के इतिहास में 20वीं सदी का उत्तरार्ध महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि उस दौर में कुछ विद्वानों ने संगम काल की तमिल कविताओं के आधार पर तमिल को भी विशेष दर्जा देने की मांग शुरू की थी। आखिरकार साहित्य अकादमी जैसी संस्थाओं की सलाह के मद्देनजर वर्ष 2004 में केंद्र सरकार ने 'प्राचीन भाषा, किसी अन्यभाषायी परंपरा से उत्पत्ति नहीं, प्राचीन साहित्य की समृद्ध परंपरा जैसे प्रावधानों के आधार पर शास्त्रीय भाषा देने की आधिकारिक शुरुआत की। वर्ष 2005 में तमिल यह दर्जा हासिल करने वाली दूसरी भाषा बनी। हालांकि भविष्य में इसके प्रावधानों को लेकर विवाद न हो, इसलिए वर्ष 2006 में राज्यसभा में सरकार ने इसके नए प्रावधानों की घोषणा की। नए प्रावधानों के तहत यह तय किया गया कि भाषा का कम से कम 1500-2000 वर्ष पुराना इतिहास हो, साहित्य/ग्रंथों एवं वक्ताओं की प्राचीन परंपरा हो और साहित्यिक परंपरा का उद्‌भव दूसरी भाषाओं से न हुआ हो। शास्त्रीय भाषा बन जाने के बाद केंद्र उस भाषा पर शोध एवं विकास के लिए अनुदान देता है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इससे संबंधित चेयर की स्थापना भी की जाती है।

केंद्र सरकार शास्त्रीय भाषाओं हेतु निम्न लाभ देती है—

1. संबंधित भाषा में प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए प्रति वर्ष दो बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मान।
2. शास्त्रीय भाषा में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence) स्थापित किया जा सकता है।
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आग्रह किया जा सकता है कि शुरूआत के तौर पर कम से कम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संबंधित भाषा में विशेषज्ञता प्राप्त प्रतिष्ठित विद्वानों हेतु पेशेवर पीठों (Professional Chairs) की स्थापना की जाए।

- शास्त्रीय भाषा घोषित करने हेतु निर्धारित मानदंड

किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए सरकार ने अधोलिखित मानदंड तय किए है:—

1. उस भाषा की शुरूआती पढ़ने-लिखने की सामग्री बहुत पुरातन/दर्ज इतिहास 1500-2000 वर्ष की अवधि से भी ज्यादा हो।
2. प्राचीन साहित्य/पढ़ने-लिखने की सामग्री को उस भाषा को बोलने वाली पीढ़ियां कीमती विरासत मानती हो।
3. साहित्य परम्परा मौलिक हो और किसी दूसरी बोली समुदाय से नहीं ली गई हो।
4. शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक से अलग और विशिष्ट हो। शास्त्रीय भाषा और इससे निकलने वाली दूसरी भाषाओं के बीच अंतर भी हो सकता है।

ओड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने की पृष्ठभूमि

यह मांग की जा रही थी कि ओड़िया, जो कि सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है और जिसकी हिंदी, संस्कृत, बंगाली, तेलुगु आदि से कोई समानता नहीं है, को एक शास्त्रीय भाषा घोषित किया जाए। अभी तक संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है।

- उल्लेखनीय है कि ओड़िशा सरकार द्वारा ओड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग करने संबंधी दस्तावेज (Document) का निर्माण प्रसिद्ध भाषाविद् और मैसूर स्थित भारतीय भाषाओं के केंद्रीय संस्थान (Central School of Indian languages) के पूर्व संस्थापक निदेशक देबी प्रसन्न पट्टनायक की देखरेख में कराया गया था।
- ओड़िशा सरकार द्वारा ओड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने की मांग को साहित्य अकादमी की भाषायी समिति द्वारा स्वीकृत कर लिया गया तथा जुलाई, 2003 में इसे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को भेजा गया था।
- संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् अब ओड़िया भाषी लोगों की लंबे समय से चल रही ओड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग पूरी हो गयी है।

भारत की शास्त्रीय भाषाओं का संक्षिप्त परिचय:

तमिल:

बहुत से विद्वानों की राय है कि 'तमिल' शब्द संस्कृत 'द्राविड़' से निकला है। मनुसंहिता, महाभारत आदि प्राचीन ग्रंथों में द्रविड़ देश और द्रविड़ जाति का उल्लेख है। मग्धी प्राकृतयापाली में इसी 'द्राविड़' शब्द का रूप 'दामिलो' हो गया। तमिल वर्णमाला में त, ष, द आदि के एक ही उच्चारण के कारण 'दामिलो' का 'तमिलो' या 'तमिल' हो गया। शंकराचार्य के भाष्य में 'द्रमिल' शब्द आया है। हुन सांगामक चीनी यात्री ने भी द्रविड़ देश को 'चि–मो–लो' करके लिखा है। तमिल भाषा एक द्रविड़ भाषा है, जिसके विश्वभर में पांच करोड़ से अधिक बोलने वालों में से लगभग 90% भारत में रहते हैं और तमिलनाडु राज्य में केन्द्रित 83 प्रतिशत हैं। यह भारत की पांचवी सबसे बड़ी भाषा है, जो देश की लगभग सात प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। मूल रूप से करीब 34 लाख तमिल भाषा–भाषी लोग श्रीलंका में, तीन लाख सिंगापुर में और दो लाख मलेशिया में रहते हैं। औपनिवेशिक काल में प्रवास कर गए तमिल भाषी लोगों के वंशज मॉरीशस, फ़िजी और दक्षिण अमेरिका में बस गए हैं, इनकी तमिल दक्षता अलग–अलग है, साथ ही विद्यालयों में औपचारिक अध्ययन की सुविधा में भी भिन्नता है। दक्षिण भारत की लिपियों के विशेषज्ञ बार्नेल का मत था कि आरम्भ में तमिल भाषा के ग्रन्थ वट्टेल्लुत्तु लिपि में लिखे जाते थे।

संस्कृत:

संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है तथा समस्त भारतीय भाषाओं की जननी है। 'संस्कृत' का शाब्दिक अर्थ है परिपूर्ण भाषा। संस्कृत पूर्णतया: वैज्ञानिक तथा सक्षम भाषा है। संस्कृत भाषा के व्याकरण में विश्वभर के भाषा विशेषज्ञों का ध्यानाकर्षण किया है। संस्कृत (संस्कृतम्) भारत की एक शास्त्रीय भाषा है। इसे देववाणी अथवा सुरभारती भी कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे पुरानी उल्लिखित भाषाओं में से एक है। संस्कृत हिन्द–यूरोपीय भाषा–परिवार की हिन्द–ईरानी शाखा की हिन्द–आर्य उपशाखा में शामिल है। ये आदिम–हिन्द–यूरोपीय भाषा से बहुत अधिक मेल खाती है। आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे मैथिली, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, उड़िया, बांग्ला, मराठी, सिन्धी, पंजाबी, (नेपाली), आदि इसी से उत्पन्न हुई है। संस्कृत भाषा का व्याकरण अत्यन्त परिमार्जित एवं वैज्ञानिक है। बहुत प्राचीन काल से ही अनेक व्याकरणाचार्यों ने संस्कृत व्याकरण पर बहुत कुछ लिखा है। किन्तु पाणिनिका संस्कृत व्याकरण पर किया गया कार्य सबसे प्रसिद्ध है। उनका अष्टाध्यायी किसी भी भाषा के व्याकरण का सबसे प्राचीन ग्रन्थ है।

तेलगू:

तेलुगु भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा और भारत के आन्ध्र प्रदेश राज्य की सरकारी भाषा है। तेलुगु की सात भिन्न क्षेत्रीय बोलियां तथा तीन सामाजिक बोलियां: ब्राह्मण, अब्राह्मण और हरिजन हैं। औपचारिक या साहित्यिक भाषा बोलियों से भिन्न है। इस स्थिति को जनद्विभाषिता कहा जाता है। अन्य द्रविड़ भाषाओं की भांति तेलुगु में भी कई मूर्धन्य व्यंजन है। उदाहरण के लिए त, द, और न; तालू परमूड़ी हुई जिह्वा के शीर्ष के स्पर्श से उच्चरित है और इसमें प्रत्ययों के माध्यम से कारक, वचन, पुरुष तथा काल जैसे व्याकरण के वर्गीकरणों को दिखाया जाता है। भाषा की मधुरता का मूल कारण संस्कृत तथा तेलुगु का (मणिस्वर्ण) संयोग ही है। अधिकांश संस्कृत शब्दों से संकलित भाषा आंध्र भाषा के नाम से व्यवहृत होती है। तेलुगुदेशीय शब्दों का प्राचुर्य जिस भाषा में है, वह तेलुगु भाषा के नाम से प्रख्यात हैं। तेलुगु भाषा के विकास के संबंध में विद्वानों के दो मत हैं। डॉ॰ चिलुकूरि नारायण राव के मतानुसार तेलुगु भाषा द्राविड़ परिवार की नहीं हैं किंतु प्राकृतजन्य है और उसका संबंध विशेषत: पैशाची भाषा से है। इसके विपरीत बिशप कार्डवेल और कोराड रामकृष्णस्य आदि विद्वानों के मत सेतेलुगु भाषा का संबंध द्राविड़ परिवार से ही है। तेलुगु भाषा का विकास दोनों प्रकार की भाषाओं के सम्मेलन से हुआ है। आजकल उपर्युक्त तीन नामों से प्रचलित इस भाषा में लगभग 75 प्रतिशत संस्कृत शब्दों का सम्मिश्रण है। पश्चिम के विद्वानों ने भी तेलुगु को ''पूर्व की इतावली भाषा'' कहकर इसके माधुर्य की सराहना की है। तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं की लिपियों के विकास में सातवीं तथा 13वीं शताब्दी के आसपास विकास का एक सामान्य चरण था और तेलुगु भाषा में लिखित सामग्री 633 ई॰ से उपलब्ध है। इसका साहित्य हिन्दू महाकाव्य महाभारत का तेलुगु लेखकनन्नय द्वारा रूपांतरण से शुरू हुआ, जो 10वीं से 11वीं शताब्दी का है।

कन्नड़:

कन्नड़ भारत के कर्नाटक राज्य में बोले जाने वाली भाषा है और कर्नाटक की राजभाषा है। यह भारत के सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में से एक है। 4.50 करोड़ लोग कन्नड़ भाषा प्रयोग करते हैं। ये भाषा एन्कार्टा के अनुसार विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली 30 भाषाओं की सूची में 27वें स्थान पर आती है। ये द्रविड़ भाषा-परिवार में आती है पर इसमें संस्कृत से भी बहुत शब्द हैं। कन्नड़ भाषा इस्तेमाल करने वाले इसको विश्वास से 'सिरिगन्नड' बोलते हैं। कन्नड़ भाषा कुछ 2500 साल से उपयोग में है। कन्नड़ लिपि कुछ 1900 साल से उपयोग में है। कन्नड़ अन्य द्रविड़ भाषाओं की तरह है। तेलुगु, तमिल और मलयालम इस भाषा से मिलते जुलते हैं। संस्कृत भाषा से बहुत प्रभावित हुई यह भाषा में संस्कृत में से बहुत सारे शब्द उसी अर्थ से उपयोग किया जाते है। कन्नड़ भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं पंचद्राविड़ भाषाएं कहलाती हैं। किसी समय इन पंचद्राविड़ भाषाओं में कन्नड़, तमिल, गुजराती तथा मराठी भाषाएँ सम्मिलित थीं। किंतु आजकल पंचद्राविड़ भाषाओं के अंतर्गत कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा तुलु मानी जाती हैं। वस्तुत: तुलु कन्नड़ की ही एक पुष्ट बोली है जो दक्षिण कन्नड़ जिले में बोली जाती है। तुलु के अतिरिक्त कन्नड़ की अन्य बोलियां हैं — कोडगु, तोड, कोट तथा बडगाकोडगु कुर्ग में बोली जाती है और बाकी तीनों का नीलगिरि जिले में प्रचलन है। नीलगिरि जिला तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत है।

कन्नड़ लिपि का विकास अशोक की ब्राह्मी लिपि के दक्षिणी प्रकारों से हुआ है और तेलुगु लिपि से

इसका निकट सम्बन्ध है। इन दोनों की उत्पत्ति एक प्राचीन कन्नड़ लिपि (10वीं शताब्दी) से हुई है। इस भाषा के विकास में तीन ऐतिहासिक चरणों की पहचान की गई है। प्राचीन कन्नड़ (450–1200 ई॰), मध्य कन्नड़ (1200–1700 ई॰), और आधुनिक कन्नड़ (1700 ई॰ से वर्तमान काल तक)।

मलयालम:

मलयालम का संधि-विच्छेद है-मलै (मूलशब्द: मलय-अर्थ: पर्वत) + *अलम* (मूलशब्द: आलयम-अर्थ: स्थान)। इस भाषा के भाषिक भारत के पश्चिमी घाट के गर्भ में निवास करते हैं और इसी कारण यह नाम पड़ा है। इसका सही उच्चारण 'मलयालम' होता है। **मलयालं** (मलयालम्) या **केरली** (कैरलि) भारत के केरल प्रान्त में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। ये द्रविड़ भाषा-परिवार में आती है। केरल के अलावा ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी तथा उत्तर में कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिला, लक्षद्वीप तथा अन्य कई देशों से बसे मलयालियों द्वारा बोली जाती है।

मलयालम, भाषा और लिपि के विचार से तमिल भाषा के काफी निकट है। इस पर संस्कृत का प्रभाव ईसा के पूर्व पहली सदी से हुआ है। संस्कृत शब्दों को मलयालम शैली के अनुकूल बनाने के लिए संस्कृत से अवतरित शब्दों को संशोधित किया गया है। अरबों के साथ सदियों से व्यापार संबंध अंग्रेजी तथा पुर्तगाली उपनिवेशवाद का असर भी भाषा पर पड़ा है। मलयालम भाषा मुख्यत: दक्षिण-पश्चिमी तटीय राज्य केरल में बोली जाती है, यह केरल और केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजभाषा है; लेकिन सीमावर्ती कर्नाटक और तमिलनाडु के द्विभाषी समुदाय के लोग भी यह भाषा बोलते हैं।

ओड़िया:

ओडिया, उड़िया या ओड़िया भारत के ओड़िशा प्रान्त में बोली जाने वाली भाषा है। यह यहां के राज्य सरकार की राजभाषा भी है। भाषाई परिवार के तौर पर ओड़िया एक आर्यभाषा है और नेपाली, बांग्ला, असमिया और मैथिली से इसका निकट संबंध है। ओड़िशा की भाषा और जाति दोनों ही अर्थों में *उड़िया* शब्द का प्रयोग होता है, किंतु वास्तव में इसका सही उच्चारण ''ओड़िया'' है। इसकी व्युत्पत्ति का विकासक्रम कुछ विद्वान् इस प्रकार मानते हैं:

ओड्रविषय, ओड्रविष, ओडिष, ओड़िषा या ओड़िशा। सबसे पहले भारत के नाट्यशास्त्र में उड्रविभाषा का उल्लेख मिलता है। भाषा तात्विक दृष्टि से उड़िया भाषा में आर्य, द्राविड़ और मुंडारी भाषाओं के संमिश्रित रूपों का पता चलता है, किंतु आज की उड़िया भाषा का मुख्य आधार भारतीय आर्यभाषा है। साथ ही साथ इसमें संथाली, मुंडारी, शबरी, आदि मुंडारी वर्ग की भाषाओं के और औराँव, कुई (कंधी) तेलुगु आदि द्राविड़ वर्ग की भाषाओं के लक्षण भी पाए जाते हैं।

इसकी लिपी का विकास भी नागरी लिपि के समान ही ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अंतर केवल इतना है कि नागरी लिपि की ऊपर की सीधी रेखा उड़िया लिपि में वर्तुल हो जाती है और लिपि के मुख्य अंश की अपेक्षा अधिक जगह घेर लेती है। विद्वानों का कहना है कि उड़िया में पहले ताम्रपत्र पर लौह लेखनी से लिखने की रीति प्रचलित थी और सीधी रेखा खींचने में ताम्रपत्र के कट जाने का डर था। अत: सीधी रेखा के बदले वर्तुल रेखा दी जाने लगी और उड़िया लिपि का क्रमश: आधुनिक रूप आने लगा।

हिंदी अधिकारी एवं संपादक, 'सागरबोध'
सी॰एस॰आई॰आर॰-राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान
दोना पावला गोवा-403004

हिंदी पट्टी में लौटता हिंदी सिनेमा

हिंदी फिल्मों की कहानियां अब मुंबई से हट कर हिंदी प्टटी में जा पहुंची है। मुंबइंया फिल्मकारों को अचानक हिंदी का समाज सुहाना लगने लगा है।

—दीपक दुआ

निल बटे सन्नाटा.....कभी सुना था आपने यह वाक्य। हिंदी के खांटी चेहरे को करीब से जानने वाले लोगों ने भी हिंदी पट्टी के इस देशज मुहावरे को ज्यादा प्रयोग में आते हुए नहीं देखा-सुना होगा। लेकिन इसी नाम पर पिछले दिनों हिंदी के मुख्यधारा सिनेमा से एक फिल्म न सिर्फ आई बल्कि सराही गई और सफलता भी पा गई। संभव है आपको यह एक छोटी या आम-सी बात लग रही हो लेकिन ऐसा है नहीं। इधर बीते एक दशक में जब हिंदी फिल्मों की भाषा और नामों तक में अंग्रेजी बेदर्दी से हावी हो चली हो, किसी फिल्म का इस किस्म का नाम चौंकाता है और आशा भी जगाता है।

इस फिल्म से जुड़ी दूसरी सुखद बात यह है कि यह हिंदी पट्टी की कहानी दिखाती है। आगरा शहर की किसी मलिन बस्ती में अपनी बेटी के साथ रह रही एक ऐसी मां की कहानी, जो चाहती है कि उसकी बेटी पढ़-लिख कर कुछ बन जाए। अपनी फिल्मों में जब चकाचौंध दिखाने के लिए मुंबई, गोवा जैसे शहर मौजूद रहते हैं वैसे में किसी कहानी को कहने के लिए आगरा की पृष्ठभूमि चुनना बताता है कि फिल्मकारों के लिए हिंदी पट्टी अब प्रमुख हो चली है। यहां ध्यान देने लायक बात यह भी है कि इस फिल्म में आगरा तो है मगर आगरा की पहचान ताजमहल मुश्किल से दो-एक बार दिखाई देता है और वह भी केवल नाममात्र को। एक और बड़ी बात यह भी रही कि इस फिल्म का पोस्टर हिंदी में जारी किया गया जबकि अब देवनागरी में लिखे गए फिल्मी पोस्टरों का रिवाज लगभग खत्म-सा हो चुका है।

जरा 2016 में आई हिंदी फिल्मों की पृष्ठभूमि पर गौर कीजिए। फरहान अख्तर-अमिताभ बच्चन की 'वजीर' की कहानी दिल्ली में केंद्रित थी। 'ग्रेट एक्सपेक्टेशंस' पर हिंदी में फिल्म बनाई तो उन्हें इसकी पृष्ठभूमि के लिए कश्मीर और दिल्ली ही भाए, जबकि यह कहीं की भी हो सकती थी। 'सनम रे' की कहानी हिमाचल के एक कस्बे की थी तो हंसल मेहता की 'अलीगढ़' उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की। 'ग्लोबल बाबा' ने वाराणसी की कहानी दिखाई और बहुत ही खांटी अंदाज में दिखाई। अर्जुन कपूर-करीना कपूर जैसे चमकते चेहरों वाली 'की एंड का' में भी दिल्ली पूरे जोश-खरोश के साथ मौजूद थी। 'लाल रंग' तो हरियाणा के छोटे-से शहर करनाल में ले गई और वहीं आसपास ही घूमती रही। साथ ही इस फिल्म का मुख्य नायक (रणदीप हुड्डा) पूरी फिल्म में सिर्फ हरियाणवी बोलता रहा जबकि हिंदी फिल्मों में

हरियाणवी यदा-कदा ही सुनाई देती है और वह भी बस छूने भर के लिए।

आखिर हो क्या रहा है यह? क्यों अचानक से मुंबईया फिल्मकारों को हिंदी पट्टी मे कहानियां कहने का शौक चर्राने लगा है। ऊपर बताई गई फिल्मों में से ज्यादातर की कहानियों की पृष्टभूमि मुंबई या उसके आसपास की भी हो सकती थी, जहां इन्हें फिल्माना फिल्मकारों के लिए कही ज्यादा सहज और सुलभ होता। मुंबई या उसके आसपास फिल्मों की शूटिंग के लिए उपलब्ध सुविधाओं के चलते फिल्मकारों को वहां से बाहर निकलने के लिए अपने भीतर काफी जोर लगाना पड़ता है। अक्सर मुंबईया फिल्मकार यह शिकायत भी करते रहे हैं कि उत्तर के राज्यों में फिल्मों की शूटिंग करने की अनुमति लेना या वहां जाकर शूटिंग करना, दोनों काफी दुष्कर काम हैं। तो आखिर क्यों अब हिंदी का समाज फिल्म वालों को सुहाना लगने लगा है? और वह भी ऐसा कि न केवल यहां की कहानियां फिल्मों में प्रमुखता पा रही है बल्कि इन्हें फिल्माने के लिए वे लोग लंबी दूरी तय करके उत्तर भारत तक आ भी रहे हैं।

याद दिला दें कि हिंदी सिनेमा भले ही पश्चिम में फला-फूला लेकिन शुरू से ही इसमें हिंदी पट्टी की कहानियां दिखाई देती रहीं। इसका एक बड़ा कारण जहां यह रहा कि यू॰पी॰, बिहार हमेशा से ही हिंदी फिल्मों के लिए एक बड़ा बाजार रहे हैं वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल आदि से संपर्क रखने वालों की लिखी कहानियों और वहां के साहित्य पर भी बड़ी तादाद मे फिल्में बनीं और उनमें इन प्रदेशों का ही सैटअप दिखाई दिया।

समय बदला और धीरे-धीरे हमारी फिल्मों की कहानियां मुंबई में स्थिति होने लगीं और इसकी वजह यह है कि अगर आप कहानी को किसी दूसरे शहर में दिखाते हो तो उसके लिए या तो वहां जाकर शूटिंग करनी पड़ती है या फिर वहां के सैट मुंबई में लगाने पड़ते हैं और ये दोनों ही काम मुश्किलों भरे तो थे ही, महंगे भी थे। लेकिन इधर कुछ समय से न सिर्फ हिंदी पट्टी के राज्यों की सरकारें फिल्मों की शूटिंग को लेकर दोस्ताना हुई हैं बल्कि इस तरफ शूटिंग की सुविधाएं भी बढ़ी हैं और माहौल भी। उदाहरण के लिए अपनी कई फिल्मों को मध्यप्रदेश के भोपाल में फिल्मा चुके निर्देशक प्रकाश झा तो अब साफ कहते हैं कि उनका बस चला तो वह अपनी हर फिल्म के लिए भोपाल ही आएंगे। लेकिन इन सबके ऊपर भी कई कारण हैं जो हमारी फिल्मों की कहानियां अब हिंदी पट्टी की ओर देखने-झांकने लगी हैं।

सबसे बड़ा और अहम कारण तो बाजार ही है। हिंदी पट्टी का उपभोक्ता बाजार हाल के बरसों मे कई गुना बढ़ा है और यही वजह है कि उन तमाम बड़ी कंपनियों के शोरूम, डिपार्टमेंटल स्टोर अब इधर के लगभग हर छोटे-बड़े शहर में खुल चुके हैं जो कल तक अपना धंधा सिर्फ महानगरों तक ही समेटे हुए थे। हिंदी अखबार हों या चैनल या फिर रोजमर्रा के उत्पाद बनाने वाली कंपनियां, हर किसी को हिंदी की इस पट्टी में बसने वाले लोगों में अपना भविष्य नजर आ रहा है। हर बड़े हिंदी समाचार-पत्र अब अपने क्षेत्र के तमाम शहरों-कस्बों के लिए अलग-अलग संस्करण निकालने लगे हैं। जाहिर है कि हमारा हिंदी सिनेमा भी इस सब से अछूता नहीं रह सकता।

आज की तारीख मे ज्यादातर फिल्म वालों के लिए फिल्म बनाना अब ठीक वैसा ही है जैसा किसी साबुन बनाने वाले के लिए साबुन बनाना। और भले ही अभी तक फिल्में बनाने वाले लोग साबुन बनाने वालों की तरह मार्केट रिसर्च, लोगों की पसंद जैसी चीजों से परे रहते आए हों लेकिन हाल के बरसों में फिल्म इंडस्ट्री में कॉरपोरेट कल्चर के आने और तमाम बड़े प्रोडक्शंस में एम॰बी॰ए॰ करके आने वालों की बढ़ती गिनती के बाद अब यह भी देखा जाने लगा है कि जो फिल्म बनने जा रही है, उसके ग्राहक (दर्शक) कौन होंगे और वह किस तरह के बाजार में कितना बिजनेस कर पाएगी, उसमें क्या कुछ अलग से डाला जाए कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को खींचा जा सके। आपने शायद गौर किया हो कि इधर तमाम टी॰वी॰ सीरियल्स छोटे और खासतौर से हिंदी पट्टी के शहरों में अपनी कहानियां ले जा चुके हैं। वजह वही है-वहां के दर्शकों को खींचना और फिर विज्ञापन देने वालों को वह बाजार उपलब्ध करवाना।

ठीक यही अब फिल्मों के साथ भी हो रहा है। जॉनी एल॰एल॰बी॰' की कहानी मुंबई की भी हो सकती थी और इस कहानी का नायक वकील पुणे का भी। लेकिन नहीं, कहानी रखी गई दिल्ली में और हीरो आया मेरठ से। 'मेरे डैड की मारूति' चंडीगढ़ का स्वाद लेकर आती है। सलमान खान की 'दबंग' भी इसी पूरब के कानपुर शहर मे ले जाती है। पिछली वाली 'दबंग' भी इसी पूरब की ही कहानी थी और यहां यह याद दिलाना ज्यादा सही होगा कि 'दबंग' के आने के बाद से ही हिंदी पट्टी वाली कहानियों के आने और सफल होने का चलन बढ़ा है। यही देखिए कि साऊथ की 'विक्रमारकुडु' को जब हिंदी में 'राऊडी राठौड़' के नाम से बनाया जाता है तो उसकी शूटिंग भले ही दक्षिण भारत में की जाती है लेकिन फिल्म में जगह होती है बिहार में पटना के करीब एक कस्बा देवगढ़। प्रकाश झा की 'चक्रव्यूह', आरक्षण', 'राजनीति', 'अपहरण', 'गंगाजल', मृत्युदंड' जैसी फिल्मों में खांटी हिंदीभाषी क्षेत्र की ही कहानियां दिखाई गई। यशराज की 'बंटी और बबली' की कहानी कानपुर, लखनऊ जैसे शहरों से शुरू हुई, 'लागा चुनरी में दाग' बनारस की थी तो फिर तो वही 'मेरे ब्रदर की दुल्हन' की कहानी मुंबई से देहरादून और फिर दिल्ली होते हुए यू॰पी॰ के आगरा में अंजाम तक पहुंची। इनकी 'इश्कजादे' तो खास यू॰पी॰ के फ्लेवर वाली ही फिल्म थी। अपने विशाल भारद्वाज भी हिंदी पृष्ठभूमि वाली फिल्मों के मास्टर हैं। शेक्सपियर के 'ओथेलों' को उन्होंने जिस खूबसूरती से उत्तर प्रदेश में सैट किया उसकी जितनी तारीफ की जाए, कम है।

फिल्म वालों को सिर्फ यू॰पी॰ बिहार ही नहीं भा रहा है बल्कि वे उत्तर की ओर भी अब काफी झांक रहे हैं। 'यह जवानी है दीवानी' को ही लीजिए। फिल्म की कहानी मुंबई में रह रहे किरदारों की है लेकिन इनकी दोस्ती परवान चढ़ती है हिमाचल प्रदेश के मनाली में और बार में इनका प्यार अपने अंजाम तक पहुंचता है राजस्थान के उदयपुर में। 'स्पेशल 26' में दिल्ली भी है और पंजाब भी। इसी तरह से 'मटरू की बिजली का मंडोला' हरियाणा की कहानी दिखाती है। यशराज से आई औरंगजेब भी दिल्ली-हरियाणा की ही कहानी दिखा रही थी। बल्कि यशराज ने तो इधर हिंदी पट्टी पर कुछ ज्यादा ही फोकस करना शुरू कर दिया है।

इनके यहां से आ चुकी 'इशकजादे', 'जब तक है जान', 'मेरे ब्रदर की दुल्हन', 'बैंड बाजा बारात', 'दिल बोले हड़िप्पा', 'रब ने बना दी जोड़ी', 'वीर जारा', 'टशन', 'बंटी और बबली' जैसी कई फिल्में खास हिंदी पट्टी के फ्लेवर में रंगी हुई थीं। इनके अलावा 'सन ऑफ सरदार', बोल बच्चन', 'खिलाड़ी 786', 'लव शव ते चिकन खुराना', 'स्टुडेंट ऑफ द ईयर', 'जोकर', विकी डोनर', 'बिट्टू बॉस', रॉकस्टार' जैसी कई फिल्मों में उत्तर भारत की कहानियां दिखाई दी हैं।

'तनु वैडस मनु' में फिल्मकार आनंद एल॰ राय ने दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और कपूरथला को कहानी का आधार बनाया तो इसके अगले भाग 'तनु वैडस मनु' रिटर्न्स' में दिल्ली, हिसार, कानपुर, लखनऊ छाए हुए थे। उनकी 'रांझणा' में तो बनारस शहर खुद एक चरित्र के रूप में अपनी पताका लहराए नजर आया। आनंद कहते हैं, ''मैं इस फिल्म में बनारस की धड़कन को पकड़ना चाहता था। वहां का एटीट्यूट फिल्म में लाना था। लखनऊ और बनारस जैसे शहरों के बारे में हम सभी ने धारणाएं बना रखी हैं। मैं महसूस करता हूं कि अभी हिंदुस्तान की आत्मा ऐसे ही शहरों में बसती है। 'तनु वैडस मनु' के समय में लखनऊ और कानपुर गया। इस बार बनारस गया हूं, क्योंकि मेरे किरदारों का देसीपन ऐसे शहरों की पृष्ठभूमि में ही उभरता है। यकीन करें कि इन किरदारों को मुंबई या दिल्ली रखूंगा तो वे करप्ट लगेंगे।''

आने वाली ढेरों फिल्मों की कहानियां हिंदी भाषी इलाकों से निकल कर आ रही हैं। एकता कपूर के बैनर से आ रही करीना कपूर, शाहिद कपूर, आलिया भट्ट की फिल्म 'उड़ता पंजाब' अपने नाम से बताती है कि वह दर्शकों को पंजाब ले जाने वाली है। ईद पर आने वाली सलमान खान की 'सुलतान' में हरियाणा के एक पहलवान की कहानी है, जिसकी शूटिंग के लिए पिछले दिनों सलमान लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर नगर में डेरा डाले रहे। क्रिसमस पर आने वाली आमिर खान की 'दंगल' भी हरियाणा में ही लेकर जाने वाली है। प्रतीक्षा कीजिए, हिंदी सिनेमा में हिंदी भले ही अब मिश्रित हो चली हो, हिंदी क्षेत्र का मिजाज अभी और रंग जमाएगा।

एच-166,
सैक्टर-11, रोहिणी,
दिल्ली-110085

सिंहस्थः श्रद्धा का महापर्व

—कृष्ण वीर सिंह सिकरवार

अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में दिनांक 22 अप्रैल से 21 मई 2016 तक सिंहस्थ 2016 का सफलता पूर्वक आयोजन किया गया। लगभग एक माह तक चले इस महापर्व में देश से ही नही विदेशों से आये हुए करोड़ों श्रद्धालुओं ने पवित्र क्षिप्रा नदी के जल में स्नान किया।

उज्जैन भारत में क्षिप्रा नदी के किनारे बसा मध्य प्रदेश का एक प्रमुख धार्मिक नगर है। भारतीय संस्कृति की धरोहर, मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में एक उज्जयिनी, महाकाल की उपस्थिति से अत्यंत पावन, महिमा मण्डित, महाराजा विक्रमादित्य को शौर्य-पराक्रम से दिग्-दिगन्त में देदीप्यमान और कवि कुलगुरू कालिदास के काव्यलोक से संर्पूण विश्व में गौरवान्वित नगरी है। स्कन्दपुराण में इसको 'प्रतिकल्पा' के नाम से संबोधित किया है, जो सृष्टि के आरंभ में उसकी उत्पत्ति का प्रतीक है। वेदों एवं उपनिषदों में भी उज्जयिनी का धार्मिक दृष्टि से सब जगह वर्णन किया गया है।

क्षिप्रा नदी के तट पर यह नगर बसा होने के कारण इस शहर को विशेष पवित्र माना जाता है। क्षिप्रा का ऐसा महत्व है कि इसके समान पावन करने वाली कोई दूसरी नदी नहीं है। उज्जयिनी में 12 वर्ष में एक बार सिंहस्थ कुभ महापर्व का मेला क्षिप्रा तट पर लगता है। उस समय क्षिप्रा स्नान का विशेष महत्व वर्णित है। क्षिप्रा मालव देष की सुप्रसिद्ध और पवित्र नदी है। तेज बहने वाली नदी होने के कारण इसका नाम क्षिप्रा पड़ा। स्मृतियों पुराणों तथा अन्य ग्रन्थों में तो नारायण शब्द के मूल में जल की स्थिति ही प्रतिपादित की गई है। ऐसी ही शांति एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाली तथा संस्कृति का इतिहास रचने वाली नदी है 'क्षिप्रा'।

'सिंहस्थ कुंभ' एक विशाल आध्यात्मिक आयोजन है जो मानवता के लिए जाना जाता है। इसके नाम की उत्पत्ति 'अमरत्व का पात्र' से हुई। पौराणिक कथाओं में इसे 'अमृतकुण्ड' के रूप में जाना जाता है। भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और रामायण आदि महान ग्रन्थों में भी अमृतकुण्ड का उल्लेख मिलता है। कुंभ के पीछे एक पौराणिक कथा भी है, कहते है देवता और असुरों द्वारा किये गये 'समुद्र मंथन' से 'अमृत कलश' की प्राप्ति हुई थी। इस कलश को प्राप्त करने के लिए असुरों और देवताओं में 12 दिनों तक संघर्ष हुआ था। असुरों से सुरक्षित रखने के लिए 'अमृत कलश' को देवराज इन्द्र के सुपुत्र जयंत युद्ध के मैदान से लेकर भागे। असुरों ने पीछा किया और कलश प्राप्त करने के संघर्ष में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर चार जगहों हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में गिर गयी। ये बूंदे गंगा, यमुना, गोदावरी और क्षिप्रा नदियों मे मिल गयी जिससे इन नदियों के जल में आध्यात्मिक और अतुलनीय शक्तियां उत्पन्न हो गयीं।

सिंहस्थ कुंभ महापर्व चार स्थानों अर्थात् हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में प्रत्येक बारह वर्ष में आयोजित किया जाता है। लाखों श्रद्धालु इन जगहों की पवित्र नदियों में स्नान के लिए आते है और श्रद्धालु ऐसा मानते हैं कि इससे उन्हें जीवन-मरण के चक्र से मुक्ति अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति होगी।

गृह नक्षत्रों व राशियों के अनुसार भी इन मेलों का ऐतिहासिक महत्व है। हरिद्वार में यह तब आयोजित होता है जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में हो। इलाहाबाद में यह तब आयोजित होता है, जब सूर्य मकर राशि और बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करता है। इसके अलावा जब अमावस्या पर कर्क राशि में सूर्य और चन्द्रमा प्रवेश करते है, उस समय भी नासिक में कुंभ का आयोजन किया जाता है, जिसे सिंहस्थ कुंभ महापर्व के नाम से देश भर में जाना जाता है। सिंहस्थ कुंभ महापर्व के अवसर पर उज्जैन का धार्मिक सांस्कृतिक महत्व स्वयं ही कई गुना बढ़ जाता है। साधु-संतों का एकत्र होना, सर्वत्र पावन स्वरों का गुंजन, शब्द एंव स्वर शक्ति का आत्मिक प्रभाव यहां प्राणी मात्र को आलौकिक शांति प्रदान करता है।

सिंहस्थ कुंभ के दौरान शामिल होने वाले अखाड़ों का भी एक विशेष महत्व है, इन पंरपरागत तरीकों से अखाड़ों के सम्मिलित होने से सिंहस्थ कुंभ महापर्व की शोभा बढ़ती है। अखाड़े अपने पूरे शौर्य एवं दल-बल अनुयायियों के साथ सिंहस्थ कुंभ महापर्व के दौरान उज्जैन में निवास करते है।

वर्तमान में दोष के प्रतिष्ठित एवं सम्मानित साधु-संतों के 13 अखाड़े हैं इनके नाम इस प्रकार है:-(1) श्री पंचायती तपोनिधि निरंजनी अखाड़ा, मायापुर हरिद्वार, उत्तरांचल (2) श्री पंचायती आनंद अखाड़ा, त्रयंबकेश्वर, जिला नासिक (3) श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा, बड़ा अखाड़ा, बड़ा हनुमान घाट, काशी वाराणसी (4) श्री पंच दषनामी आह्वान अखाड़ा, अश्वमेव घाट, काशी वाराणसी (5) श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा, कनखल, हरिद्वार, उत्तरांचल (6) श्री पंच अग्नि अखाड़ा, जूनागढ़, सौराष्ट्र (7) श्री पंच अटल अखाड़ा, कनखल, हरिद्वार, उत्तरांचल (8) श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, कीड़गंज, इलाहाबाद (9) श्री पंचायती उदासीन नया अखाड़ा, कनखल, हरिद्वार, उत्तरांचल (10) श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा, कनखल, हरिद्वार उत्तरांचल (11) श्री पंच रामानंदाय निर्वाणी अनि अखाड़ा, अयोध्या उ॰प्र॰ (12) श्री पंच दिगंबर अनि अखाड़ा, अयोध्या उ॰प्र॰ (13) श्री पंच रामानंदीय निर्मोही अनि अखाड़ा, नागदा एवं जमापुर अहमदाबाद आदि।

पहली बार शैव और वैष्णव अखाड़ों के साधु-संतों ने एक ही समय पर पवित्र क्षिप्रा में डुबकी लगाई। इससे घाट जल्दी खाली हो गए और आम श्रद्धालुओं को रामघाट और दत्त अखाड़ा घाट पर स्नान के लिए ज्यादा समय मिला। श्रद्धालुओं को घाटों तक पहुंचने के लिए तीन से आठ कि॰मी॰ पैदल चलना पड़ा, जबकि दूसरे शाही स्नान के दौरान वाहनों को घाटों के करीबी पार्किंग तक आने दिया गया था। पहली बार शाही जुलूस मार्ग पर दुकानों को बंद कराया। यह व्यवस्था अखाड़ों के आग्रह पर प्रशासन ने की। तर्क दिया गया कि सड़कों पर जुलूस देखने वालों को ज्यादा जगह मिल सके।

समय गुजरने के साथ ही सिंहस्थ के शाही स्नान में भाग लेने के लिए देश भर से श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते रहे व इनकी संख्या में बढ़ोत्तरी होती रही। एक माह तक चले इस मेले में तीन शाही स्नान हुए जिसमें पहला शाही स्नान 22 अप्रैल 2016 को हुआ जिसमें लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। दूसरा शाही स्नान 9 मई, 2016 को आयोजित किया गया जिसमें तकरीबन 35 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र क्षिप्रा में डुबकी लगाई एवं तीसरे शाही स्नान 21 मई, 2016 में करीब 75 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। कुल मिलाकर 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने शाही स्नान में डुबकी लगाई।

मैं यहां प्रदेश सरकार द्वारा श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्था की चर्चा विशेष रूप से करना चाहूंगा, चूंकि यह देश के साधु-संतो का एक भव्य आयोजन था जिसको सफलतापूर्वक संचालित करना सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। परन्तु सरकार द्वारा करीब तीन साल पूर्व से की गयी तैयारी व उसका बेहतर प्रचार प्रसार इस मेले को सफल बनाये रखने का मूल मंत्र साबित हुआ। करीब एक माह तक चले इस महापर्व के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश सरकार बधाई के पात्र है, जिन्होंने इतने बड़े आयोजन को सफलतापूर्वक संचालित कर प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया।

सरकार ने इस आयोजन के लिए तकरीबन 3500 करोड़ रु॰ के खर्चे होने का बजट रखा। आम जनमानस में एक आम धारणा होती है कि सरकार का जो भी बजट किसी आयोजन के लिए निहित होता है अगर उसका दस प्रतिशत भी ठीक से खर्च किया जाये तो परिणाम बेहतर मिल सकते हैं। परंतु इस मेले में सरकार का जो बेहतर रूप देखने को मिला वह अद्‌भुत था। सरकार ने उज्जैन पहुंचने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिये जो व्यवस्थायें की थी वह वाकई तारीफ के योग्य है। उज्जैन से लगभग 40 कि॰मी॰ पहले ही श्रद्धालुओं हेतु पानी की समुचित व्यवस्था, जगह-जगह रखे ई-टॉयलेट, सम्पूर्ण डाक्टरी व्यवस्था, जगह-जगह लगे दिशा सूचक बोर्ड, ट्रैफिक पुलिस की बेहतरीन व्यवस्था, सरकार द्वारा नि:शुल्क हेल्पलाइन नं॰ का बेहतर प्रचार प्रसार कर श्रद्धालुओं की समस्या का तुरंत निदान करना, भोजन की नि:शुल्क व्यवस्था, सरकार द्वारा रेलवे बोर्ड से मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर बेहद मामूली किराये पर मेले हेतु तकरीबन 25-30 सिंहस्थ मेला ट्रेनों का सफल संचालन, घाटों पर महिलाओं हेतु विशेष व्यवस्था, नदी में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु कोस्ट गार्ड की ड्यूटी, नावों की व्यवस्था, मेले में पहुंचे लाखों-करोड़ों साधु-संतों हेतु विशालकाय पंडालों की उचित व्यवस्था, श्रद्धालुओं के रुकने हेतु नि:शुल्क शिविरों की समुचित व्यवस्था, स्वेच्छा से स्वयं सेवक के रूप में लाखों वालिंटियर का मेले की व्यवस्था सुचारू रूप करने हेतु श्रमदान आदि।

सिंहस्थ में आये भक्तों ने हाईटेक सुविधाओं का भी जमकर उपयोग किया। करीब 1.56 लाख भक्तों ने सिंहस्थ की ऑफिशियल बेवसाइट पर सिंहस्थ की जानकारी ली और उस पर मौजूद सुविधाओं का उपयोग किया। तकरीबन 1.03 लाख श्रद्धालुओं ने मोबाइल एप और वेबसाइट पर दिए गए नेविगेशन से घाट,

मेला, क्षेत्र, पंडालों की लोकेशन और आने जाने के रास्ते तलाशे। सिंहस्थ से फेसबुक पेज पर 1.12 लाख लोगों के हिट्स मिले।

स्वच्छता के लिए 8000 सफाईकर्मी आउट सोर्सिंग से रखे गए। इनके लिए बाकायदा ठेका हुआ। रात में और फिर सुबह से लेकर शाम तक ये मिशन क्लीन की टीम जुटी रही। यह भी इतिहास है कि एक समय में 5000 लोगों ने मिलकर सड़कों को साफ किया। इसी तरह 1900 पैरा मेडिकल स्टॉफ भी डटकर अपना काम करता रहा। इन सबकी मदद दस हजार स्वयंसेवी संस्थाओं ने की।

सिंहस्थ के अन्न क्षेत्र के चर्चे देशभर में रहे। कई साधु-संतों के शिविर में तो बड़ी होटलों जैसा लजीज और जायकेदार खाना मिला। सभी शिविरों में खाने का मैन्यू रोज बदला जाता था। कई शिविर तो ऐसे थे जहाँ श्रद्धालुओं के लिए तीन प्रकार का भोजन बनाया गया। औसतन एक दिन से पूरे मेला क्षेत्र में करीब तीन लाख श्रद्धालुओं हेतु भोजन की व्यवस्था भव्य स्तर पर रही। विशेष पर्व स्नान, शाही स्नान और रविवार के दिन इसकी संख्या मे इजाफा होता रहा।

सिंहस्थ में पुण्यफल की प्राप्ति के लिए 45 देशों से कई श्रद्धालु भी यहाँ आए। इन सभी ने सनातन परांपरानुसार अपने-अपने गुरूओं के साथ शाही स्नान किया। इनमें से अधिकांश के गले में रुद्राक्ष की माला दिखाई दे रही थी। सभी स्वेत धवल वस्त्र धारन किये हुए थे। कुछ विदेशी 'स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी' की कैप लगाए हुए दिखाई दिये।

सिंहस्थ में श्रद्धालुओं द्वारा ज्योतिर्लिंग का प्रसाद, देशी घी के लड्डू, ड्रायफ्रूटस, चाँदी के सिक्के व श्रीडी फोटो खूब खरीदे। 22 अप्रैल से शुरू सिंहस्थ में 15 मई तक कुल 24 दिवसों में श्रद्धालुओं ने ढाई करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रसाद व सिक्के आदि सामग्री की खरीद की। औसतन 12 लाख रुपए के लड्डू रोज बिके।

सिंहस्थ में सात दीक्षाओं में पाँच हजार नागा साधु आये। 400 महिलायें भी नागासाध्वी बनी। 28 महामंडलेश्वर बनाए गए इनमें दो महिलाएं और 15 किन्नर शामिल थीं। एक जगद्गुरू और दो आचार्य महामंडलेश्वर भी बने। अब ये सभी, देश दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार-प्रसार करेंगे। समाज-सेवा के कार्यों को सम्पूर्ण भक्ति व लग्नता के साथ आगे बढ़ायेंगे।

एक अनुमान के मुताबिक इस महापर्व के लिए 42 विभागों के 16 हजार अधिकारी व कर्मचारी और 40 हजार सुरक्षा दस्ते ने सिंहस्थ जैसे बड़े महापर्व को सफल करके नया इतिहास रच दिया। अधिकारी-कर्मचारियों में इंजीनियर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी और राजस्व निरीक्षक के साथ-साथ मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, कलेक्टर और सचिव भी शामिल रहे।

इस भव्य आयोजन के दौरान कुछ छुट-पुट घटनाओं को छोड़कर कोई मानवीय गलती, भूल या अफवाह से किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। प्राकृतिक आपदा से जरूर कुछ हादसा हुआ। परन्तु टीम श्री शिवराज ने 30 दिन के इस आयोजन में महाकाल की नगरी उज्जैन को न केवल नया रूप दे दिया बल्कि 8 करोड़ लोगों की सुविधाओं के लिए दिनरात एक कर दिया। बताया जा रहा है कि खुद

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी 30 दिन में करीब 15 बार उज्जैन गए। 158 घंटे वहां रहे। सिंहस्थ की सफलता के पीछे यह भी अहम बात रही कि चार साल पहले शुरू हुई नर्मदा-क्षिप्रा लिंक परियोजना पूरी हुई। इसके बाद ब्रिज, रोड, हॉस्पिटल और अन्य काम रिकार्ड समय में पूरे हुये। इन पर पिछले सिंहस्थ की तुलना में 10 से 15 गुना यानी करीब 4000 करोड़ रुपए खर्च हुए।

सिंहस्थ के सफल होने के पीछे कई कारण जिनमें सरकार की दूरदर्षिता व समर्पणता प्रमुख रही। अनुमानत: लाखों करोड़ो श्रद्धालुओं के मेले में पहुंचने व घाटों पर स्नान करने हेतु 2.5 कि॰मी॰ लंबे घाट को 8 कि॰मी॰ का कर दिया गया जिससे कि भीड़ एक जगह एकत्रित न हो पाये। पानी की स्वच्छता के लिए लगातार ट्रीटमेंट किया गया। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए इस मेले में वी॰आई॰पी॰ कल्चर को हावी नहीं होने दिया जिस कारण लालबत्ती या सायरन बजाती कोई भी गाड़ी मेला क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाई।

अब अगले कुंभ कहाँ-कहाँ आयोजित होंगे उनसे भी पाठकों को अवगत कराया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। हरिद्वार में वर्ष 2022 में 5 जनवरी से 1 मार्च तक आयोजित किया जायेगा। इलाहाबाद में वर्ष 2025 में 13 जनवरी से 12 फरवरी तक होगा। एवं नासिक में वर्ष 2027 में 3 अगस्त से 5 सितंबर तक आयोजित किया जायेगा। अंत में उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन वर्ष 2028 को किया जायेगा जिसमें प्रथम शाही स्नान सोमवार, 08 अप्रैल, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को होगा। द्वितीय शाही स्नान गुरूवार, 27 अप्रैल 2028, अक्षय तृतीया शाही स्नान सोमवार, 08 मई 2028, को वैषाख पूर्णिमा को संपन्न होगा।

समग्रत: कहा जा सकता है कि महाकाल की नगरी उज्जैन में सिंहस्थ के रूप में हम सबको अपनी सनातन संस्कृति की एक विराट झलक देखने को मिली। यह 12 वर्ष बाद आया मंगल प्रसंग था, जब देश-दुनिया से आए करोड़ो श्रद्धालुओं के स्वागत का अवसर मध्य प्रदेश को मिला। महाकाल के दर्शन, क्षिप्रा में डुबकी और संत-महात्माओं का आर्शिवाद हम सबको लंबे समय तक स्मरण रहेंगे। आस्था के रस आयोजन में समाज के हर वर्ग ने दिन-रात व्यवस्थाएं जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहना होगा कि इस मेले में भाग लेने हेतु उज्जैन पहुँचने वाले लाखों-करोड़ो श्रद्धालुओं में जो उत्साह का भाव था, वह स्वागत योग्य था। श्रद्धालुओं ने धीरज व साहस का परिचय देकर इस मेले को सफल बनाने में कोई कमी नहीं रखी। हर धर्म, हर वर्ग के लोगों ने आस्था के इस सैलाब में डुबकी लगाई, यही सर्व-धर्म भाव है, यही हिंदुस्तान है, जो हमें एक सच्चा देशभक्त बनाता है।

आवास क्रमांक एच-3
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
एयरपोर्ट बायपास रोड,
भोपाल-462033 (म॰प्र॰)
मो॰ 09826583363
ई-मेल krishanveer 74@gmail.com

योग और स्वास्थ्य

–डा॰ सुशीलकुमार पाण्डेय 'साहित्येन्दु'

बामन शिवराम आप्टे के संस्कृत हिंदी शब्दकोश में योग शब्द के 32 तथा रामचन्द्र वर्मा द्वारा संपादित मानक हिंदी कोश में 40 अर्थ दिये गये हैं। संस्कृत हिंदी शब्द कोश में योग के साथ अन्य शब्दों को जोड़कर करीब 28 तथा मानक हिंदी कोश में लगभग 89 शब्द उल्लिखित हैं। कहीं–कहीं पर एक शब्द के पाँच अर्थ दिये गये हैं। इससे अनुमान किया जा सकता है कि योग शब्द कितना व्यापक है। योग का प्रधान अर्थ है दो अथवा अधिक पदार्थों का एक में मिलना अथवा मिलाना। इस मिलन या संयोग के अनेक आयाम होते हैं, प्रथम आत्मा का परमात्मा से संयोग, द्वितीय स्वस्थ तन और प्रफुल्लित मन का संयोग। इसके अलावा योग के बहुत आयाम हैं जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। योग वह विधा–विद्या है जो व्यक्ति को परमात्मा से मिला देती है, तन मन को स्वस्थ कर उसकी प्रसुप्त शक्तियों को जाग्रत कर देती है, जिससे मानव के लिए कुछ अप्राप्य नहीं रह जाता योग का साधक योगी कहलाता है। किसी को जब हम योगी कहते या मानते हैं, जब मन में यह भावना उठती है कि इस व्यक्ति ने कड़ी आध्यात्मिक साधना की है और लोककल्याण ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। योग–साधना से योगी अग्नि उत्पन्न कर अपने शरीर का अंतिम संस्कार कर सकता है, इसे योग अग्नि कहते हैं। रामचरितमानस में सती द्वारा योग–अग्नि के माध्यम से शरीर छोड़ने का उल्लेख आया है। कालिदास ने रघुवंश में लिखा है कि रघुवंशी राजा योग के द्वारा (ब्रहम का ध्यान करते हुए) शरीर छोड़ते थे। श्रीमद्भागवत गीता में कथित 'योग–क्षेम' शब्द प्रचलित है जिसका तात्पर्य है अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना तथा प्राप्त की रक्षा करना। योग–क्षेम, कुशल–मंगल के अर्थ में प्रयुक्त होता ही है। योगदर्शन भारतीय विद्या परम्परा की अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। महर्षि पतंजलि का विभूति और कैवल्य नामक चार भागों में विभक्त है। इसमें योग अर्थात् ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य, लक्षण तथा साधन के प्रकार बतलाये गये हैं तथा योग के भिन्न–भिन्न अंगों का विवेचन विश्लेषण किया गया है। महर्षि पतंजलि का मत है कि अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश ये पांच प्रकार के क्लेश, मनुष्य को जीवन मरण के चक्र में फंसाए रखते हैं और योग की साधना करके ही इन क्लेशों से बचकर ईश्वर में मिला जा सकता है अथवा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए संसार से विरक्त होकर प्राणायाम पूर्वक ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और समाधि लगानी चाहिए। योग के आठ अंग बताये गये हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनके यथाविधि क्रियान्वयन से तन और मन स्वस्थ रहता है जिससे अकल्पनीय उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। योग में मामूली ताकत नहीं है, यह अष्ट सिद्धियों का प्रदाता हैं। इनके नाम अणिमा इसे सिद्ध कर लेने

पर योगी अतिसूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं जिससे उन्हें लोग देख न सकें 2. महिमा इसके सिद्ध होने पर योगी इच्छानुसार अपना विस्तार कर लेता है। 3. गरिमा इसके सिद्ध होने पर योगी इच्छानुसार अपने शरीर का भार जितना चाहे बढ़ा सकता है। 4. लघिमा-इसकी प्राप्ति होने पर योगी लघुतम रूप धारण कर सकता है। 5. प्राप्ति इसकी उपलब्धि से योगी की अभीष्ट कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 6. प्राकाम्य इसके सिद्ध होते ही योगी की सब प्रकार की कामनाएं बहुत सहज में और तुरंत पूरी की जा सकती है। 7. ईशित्व इससे साधक सब पर शासन करने के योग्य हो जाता है। 8. वशित्व इसके सिद्ध हो जाने पर साधक सबको अपने वश में कर सकता है। योगमाया ईश्वर की वह माया है जिसके नाम, रूप और गुण से युक्त यह सारी सृष्टि बनी है और जिसके भीतर ईश्वर या ब्रहम का तत्व समाहित है। पुराणों के अनुसार यशोदा के गर्भ से उत्पन्न वह कन्या योगमाया थी जिसे वसुदेव ले जाकर देवकी के पास रख आये थे और जिसके बदले में श्री कृष्ण को उठा लाये थे। कंस ने इसी को देवकी की संतान समझकर जमीन पर पटक कर मार डालना चाहा था और यही अष्टभुजा देवी का रूप धारण करके कंस को चेतावनी देती हुई ऊपर उठकर आकाश में विलीन हो गयी थीं। 8. योगी उसे कहते हैं जो दु:ख, सुख आदि को समान भाव से ग्रहण करे जो आत्मज्ञानी हो तथा योग की साधना करता है। योगी-महादेव शिव को कहा जाता है। भारत में योगियों की लंबी पंरपरा है जिनमें नाथ संप्रदाय की विशेष महत्ता है। इस सम्प्रदाय में गोरक्षनाथ, ज्वालेन्द्रनाथ, कारिणनाथ, गहिनीनाथ, चर्पटनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, भर्तृनाथ और गोपीचन्द्रनाथ-नवनाथ के रूप में प्रसिद्ध है। गोरक्षनाथ को गोरखनाथ कहा हाता है। गोरखपुर का नामकरण भी इन्हीं के नाम पर हुआ है। गोरखनाथ मंदिर गोरखपंथ का सांप्रदायिक पीठ होने के कारण यह मठ और इसके महन्त भारत में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। यहां के महंत सिद्ध पुरुष होते आये हैं। इस समय यहां के महंत योगिराज आदित्य नाथ है। भारत की योग विद्या को विश्व ने पहचाना और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को विश्व योग दिवस घोषित कर दिया।

मानव के दुख का एक कारण उसके चित्त का चंचल होना है। जब तक चित्त स्थिर नहीं होगा किसी काम में मन लगेगा ही नहीं और बेमन से किया गया काम असफल ही होता है। यही कारण है कि महोपनिषद् मन के प्रशमन (शांत रखना) के उपाय को योग कहता है[9] किसी का जीवन कभी सदैव एक रस नहीं रहता। उसमें उतार चढ़ाव आते हैं। यदि सुख की अधिकता में कोई खूब शराब पी ले और दु:ख की गहन विभीषिका में जहर पी ले क्या परिणाम होगा? सभी जानते हैं। सुख और दु:ख दोनों में जो समत्व का भाव रखता है वही संतुष्ट होता है। श्रीमद्भगवदगीता ''समत्व'' को योग मानती है।[10] कर्म ही जीवन है। गतिशीलता ही जीवन है और जो कर्म करता है उसे ही फल मिलता है। कोई प्रशिक्षित किसी कार्य को जितनी कुशलता से शीघ्र कर लेता है उस विषय का अप्रशिक्षित उसी कार्य को पूरा करने में बहुत समय लगाता है और ठीक से कर भी नहीं पाता। अपने कार्य में कुशलता (निपुणता-प्रवीणता) को गीता योग कहते हैं। महर्षि पतंजलि चिन्तवृत्ति के निरोध को योग कहते ह[11] चित्त की अनेक वृत्तियाँ-दिशाएँ होती है उसे सब ओर

अनर्थक अंतहीन दौड़ लगाने से रोककर विशिष्ट सकारात्मक दिशा की ओर ले जाने से कार्य की सफलता में शीघ्रता होती है। मानव जीवन के कतिपय अनिवार्य सिद्धांत है। जो इन्हें मानता है और चरितार्थ करता है वस्तुत: वही ''मानव'' कहे जाने का अधिकारी होता है जैसे सहयोग, लोक कल्याण आदि। विनोबाभावे ने कहा है कि जीवन के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की जो कला या युक्ति है, उसी को 'योग' कहते हैं।[12]

यह सत्य है कि भारत को प्रचीनकाल में विश्व गुरु पद की प्रतिष्ठा के पीछे 'योग-विद्या'' का विशेष महत्व था। आज का विश्व जिसमें अनीश्वरवादी भी है, योग को उत्तम सकारात्मक चिकित्सा पद्धति के रूप में स्वीकार करते हैं। इसी कारण 'विश्वयोग दिवस' अब मनाया जा रहा है। स्वस्थ तन और श्रेष्ठ चिंतन योग से व्यक्ति को मिलते हैं। जो किसी प्रकार की उपलब्धि के लिए प्राथमिक सोपान हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद[13] का मानना है कि योग से शरीर हल्का हो जाता है। आज चिकित्सक देह के वजन को नियंत्रित करने की सलाह देते हैं। अधिक वजन हो जाने से आलस्य और अनेक रोग देह में घर बना लेते हैं। योग आरोग्य का आधार स्तंभ है। आरोग्य-नीरोगता ही मानव देह का प्रथम सकारात्मक लक्षण है जिससे मानव जीवन की यात्रा सुगम और सफल होती है। योग से विषयों से मन हटता है। आज का मानव असीमित लालच की मृगतृष्णा में फँसकर क्या से क्या अनर्थ नहीं कर बैठता है? वह कबीर के इस अर्थशास्त्रीय दोहे को स्मरण नहीं रखता कि

दाता इतना दीजिए जामें कुटुम्ब समाय।
मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु न भूखा जाय।।[14]

योग या कबीर के अर्थशास्त्र को तभी अपनाया जा सकता है जब विषयासक्ति की अव्यल्पता रहे। महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है पर उसके लोभ की नहीं। योग से शारीरिक सौष्ठव तो निखरता ही है, आंतरिक प्रसन्नता बढ़ती है। योग से शारीरिक वर्ण की उज्जवलता बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों मे चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। अनेक लोगों के स्वर कर्कश एवं कर्णकटु होते हैं। योग के माध्यम से कर्कश स्वर को कोमल बनाया जा सकता है। योग से शरीर की दुर्गंध दूर होती है और देह से सुगंध आने लगती है। योग से खायेपदार्थ की अधिकांश मात्रा उपयोगी बनकर अवयवों में समाहित हो जाती है, मल-मूत्र की अल्पता हो जाती है। जब योग नहीं होगा तो पाचन क्रिया भी सही नहीं रहेगी फलत: प्रकोष्ठ बद्धता होगी, मल-मूत्र की अधिकता बनी रहेगी। ग्रहण किया गया भोजन ठीक से शरीर को पोषण तत्व न दे पायेगा। ये सब योग की प्रथम सिद्दि के लक्षण हैं अर्थात् योग पहले शरीर को दुरुस्त करता है बाद में अन्य तत्वों को भी। योग चूड़ामणि उपनिषद् [15] ने योग की उपयोगिता को बड़े ही रोचक ढंग से समझाया है। उसका कथन है कि आसन से रोगों का नाश होता है और प्राणायाम से पापों का। योगी के मन के विकार प्रत्याहार से दूर हो जाते हैं। धारणा से मन में धैर्य आता है तथा अद्भुद चैतन्य की प्राप्ति होती है। समाधि में शुभाशुभ कार्यों को त्याग कर साधक मोक्ष को प्राप्त करता है। आजकल एलोपैथ के चिकित्सक भी 'नेचुरोपैथ'—प्राकृतिक चिकित्सा दूसरे शब्दों में योगविद्या को भी अपनाने की सलाह दे रहे हैं। उनका मानना है कि यदि प्राकृतिक

चिकित्सा-योग विद्या को सहयोगी उपचार के रूप में अपनाया जाय तो रोग शीघ्र दूर हो जायेगा। योग-चिकित्सा से कोई खराब 'साइड इफेक्ट' भी नहीं होता। अब तो अनेक योग संस्थान खुल रहे हैं। रोगियों की रूचि उधर बढ़ रही है। आसन से शरीर के जोड़ चुस्त दुरुस्त रहते है। रीढ़ से संबंधित रोगियों को भुजंगासन, धनुरासन मर्कटासन तथा शलभासन आदि की सलाह दी जाती है। प्राणायाम से मन शांत तथा स्थिर रहता है जो किसी भी कार्यसिद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। धारणा में मन को अनेक विषयों से हटाकर किसी एक निर्दिष्ट लक्ष्य पर स्थिर किया जाता है। धारणा से मन की दृढ़ता और किसी विषय को धारण करने की शक्ति बढ़ती है। समाधि, ईश्वर में ध्यान मग्न हा जाना है। भौतिक जगत में अपने कार्य के प्रति मनसा-वाचा-कर्मणा एकाग्र हो जाना है। समाधि योग साधना का चरम फल है और भौतिक जगत में अपने लक्ष्य की प्राप्ति। योग प्रबंधन कला है। अब अनेक कंपनियों में कर्मचारियों को इसलिए योग की शिक्षा दी जा रही है ताकि वे अपना कार्य कुशलतापूर्वक कर सकें। योग अमूल्य चिकित्सा पद्धति है जिसकी आवश्यकता सबको है। यह स्वस्थ को और भी अधिक स्वस्थ करता है और अस्वस्थ को तो स्वस्थ करता ही है। योग से जीवन शैली में संतुलन आता है। गीता का कथन है कि अनुशासनहीन जीवन पद्धति वाले व्यक्ति के लिए योग कुछ नहीं कर सकता। एक कहावत है जिसके स्वयं बुद्धि नहीं है उसका भला शास्त्र क्या कर पायेगा? कुछ तो बुद्धि हो, सीखने की ललक हो तो शास्त्र उसके लिए उपकारी बन सकता है। ठीक यही बात 'योग' के विषय में भी है योग उसी का दुख दूर करता है जो भूख से कम भोजन करता है। शुद्ध वायु में विहार करता है। कार्यों को यथायोग्य, यथासमय करता है। कहावत है कि बिच्छू का मंत्र ही न जाने और सांप के बिल में हाथ डाले। व्यक्ति में जितनी क्षमता-योग्यता तथा प्रतिभा हो उतना और वैसा ही कार्य करे तभी सफलता मिल सकती है। यथा समय सोने और जागने वाले का ही दु:ख योग दूर करता है। सोने की एक निश्चित अवधि और जागने का भी एक नियम-समय होना चाहिए। चिकित्सक रोगी को सलाह देते हैं कि भरपूर नींद लीजिए और सुबह शाम टहलिए। जिसने ब्रह्मुहूर्त का दर्शन ही नहीं किया और 'नसीमे सहर (प्रात:कालीन वायु) का सेवन ही नहीं किया उसे स्वरुप कैसे कहा जायेगा। कहा गया है कि ''शाम सुबह की हवा-लाख रुपये की दवा'' यह कहावत जब पहली बार कही गयी होगी तब एक लाख रुपये का क्या मूल्य रहा होगा आज की तुलना में कौन कह सकता है? स्कंदपुराण[16] की मान्यता है कि योग से सामने आया हुआ व्यक्ति योगी के प्रति अनुरक्त हो जाता है। वस्तुत: योगी के मुखमंडल पर विलक्षण चमकती है, सम्मोहन आकर्षित करने लगता है। लोग योगी की परोक्ष में प्रशंसा करने लगते हैं। योग-साधना से व्यक्तित्व में जो उदारता और आकर्षण उत्पन्न होता है वह स्वाभाविक रूप से सान्निध्य में आने वाले व्यक्ति को प्रभावित करता है। सामान्यत: लोग कर्कश और हृदयहीन व्यक्ति से मिलते समय असहज महसूस करते है पर योगी मृदुभाषी और सत्यवक्ता होता है, वार्तालाप करते समय उसके चेहरे पर प्रसन्नता सहानुभूति तथा सदाशयता झलकती रहती है अतएव 'योगी' से किसी काम की सिद्धि न भी हो तो लोग उसे बुरा नहीं मानते बल्कि कालिदास के इस कथन को स्मरण करने लगते हैं कि भले आदमी (योगी) से माँग कर निराश होना

ठीक है पर अधम से यदि इच्छा की पूर्ति भी हो जाय तो ठीक नहीं [17] कालिदास का उक्त कथन चाहे कोई पढ़े हो या न उसके भावों का आत्मीकरण तो कर ही लेता है।

अब योग का कुछ संयोग ऐसा बना कि विश्व उसके निकट आने को आतुर है। भारत प्राचीन काल से ही 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का उद्घोषक रहा है। एक बार फिर भारत को, विश्व को अपने पूर्वजों की विद्या 'योग' के माध्यम से स्वस्थ रखने का मौका मिला है, उसे गावांये नहीं प्रत्युत सब नागरिक अपना-अपना यथायोग्य सहयोग प्रदान करें और याद करें अपने पूर्वजों के उस कथन को "सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सबका कल्याण हो। कोई भी दुखी न रहे"।[18]

संदर्भः—

1. संस्कृत हिंदी शब्दकोष-वामन शिवराम आप्ते
2. मानक हिंदी कोश-रामचन्द्रवर्मा - हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग
3. अस कहि जोग अगिन तनु जारा। भयउ सकल मख हाहाकारा रामचरित मानस - बालकांड
4. योगेनान्ते तनुत्यजाय्
रघुवंश—कालिदास
5. योगक्षेमं वहाम्यहम्
श्रीमद्भगवद्गीता - वेदव्यास
6. गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित
7. श्रीमद्भागवतमहापुराण 10.4.47
8. हिंदूधर्म कोषा - डॉ॰ राजबली पाण्डेय
9. महोपनिषद् (5-42) मनः प्रशमनोपायो योग उच्यते
10. समत्वं योग मुच्यते-गीता 2-48
11. योगश्चितवृत्ति निरोधः पातंजल योगदर्शन 1-2
12. गीता प्रवचन - विनोबा भावे पृ॰ 27
13. लघुत्वमारोग्य मलोलुपत्वं
वर्णप्रसादं स्वर सौष्ठवंच।
गंधः शुभो मूत्रपुरीष मल्य।
योग प्रवृत्तिः प्रथमां वदन्ति।।
श्वेताश्वर उपनिषद् 2-13
14. कबीर दोहावली
15. आसनेन रुजं हिन्त प्राणयामेन यातकम्
विकारं मानसं योगी प्रत्याहरिण मुंचति।
धारिणीभिर्मनोधौर्यं याति चैतन्यमद्भुतम्
समाधौ मोक्षमारनोति व्यक्तवा कर्म शुभशुभम्।।
योगचूड़ामणि उपनिषद् (109-110)
16. अनुरागं जनो याति परोक्षे गुणकीर्तनम्।
न बिभ्यचि सत्वानि सिहेर्लक्षण मुच्यते।।
स्कंदपुराण कुमारिका खंड 55-136
17. याचा मोघावरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा
मेधदूत-कालिदास
18. सर्वेभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माकश्चित दुःख भागभवेत्।।
परंपरागत

मु॰ पटेल नगर
पोस्ट - कादीपुर
जिला - सुल्तानपुर
उ॰ प्र॰ - 228145

बच्चों में हिंदी की रुचि का विकास और हिंदी बाल पत्रिकाएं

—डॉ॰ सुधा शर्मा 'पुष्प'

मुझे याद आए बचपन के वे दिन, जब हम लोटपोट, चंदामामा, मधुमुस्कान, चंपक आदि पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए झपटते थे। कई बार तो हम इन्हें रद्दी वाले से भी खरीद लाते थे। फिर ध्यान आया कि हिंदी में तो बच्चों के लिए कई अच्छी पत्रिकाएं निकलती हैं। बस, मुझे मार्ग मिल गया, लक्ष्य तो स्पष्ट था ही। मैं उस पुस्तक मेले में कई बार गई। वहां मेरी कल्पना से कहीं अधिक श्रेष्ठ तथा स्तरीय बाल-पत्रिकाओं की जानकारी मिली। जैसे - चंपक, चंदामामा, अनुराग, संस्कारम्, देवपुत्र, हंसती दुनिया, नंदन, नन्हें सम्राट, चकमक, बालहंस, बालभारती, बालवाटिका, बालवाणी आदि।

मैंने इन पत्रिकाओं को मंगाया, पढ़ा तथा प्रयोग करने के तरीके पर गंभीरता से विचार किया। अब में अपनी कक्षा में कोई-न-कोई हिंदी पत्रिका ले जाती तथा नियमित निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करने के साथ-साथ इन पत्रिकाओं से भी कोई कहानी, प्रेरक प्रसंग, बाल समाचार, चुटकले, बाल समाचार आदि का प्रयोग करती। बच्चों को मज़ा आने लगा। मैंने कक्षा 3, 4, 5 में बाकायदा हिंदी पत्रिकाओं को अपनाना शुरू कर दिया। मेरा अनुभव था कि हिंदी में व्याकरण पढ़ना बच्चों को सबसे ज्यादा नीरस लगता था—वही परिभाषा, उदाहरण, नियम आदि रटना। अंत: मैंने धीरे-धीरे व्याकरण की पुस्तक मंगवाना बंद

एक बार हमारे विद्यालय में बच्चों से पूछा गया कि उनके लिए कौन-सा विषय रुचिकर है और कौन-सा अरुचिकर। रुचिकर विषयों में तो विभिन्नता पाई गई, किंतु लगभग 90 प्रतिशत बच्चों ने अरुचिकर विषय के रूप में हिंदी को ही बताया। हिंदी प्रेमी तथा हिंदी अध्यापिका होने के कारण यह बात मेरे दिल का छू गई। बुद्ध की दार्शनिक बात याद आई कि समस्या है तो उसका कारण भी होगा। यदि कारण को दूर कर दें, तो समस्या स्वयमेव दूर हो जाएगी। बस, मैं समस्या के कारण तलाश करने में जुट गई। कई कारण पता चले, जैसे विदेशों को अंधानुकरण करने के कारण अंग्रेजी की ओर अधिक रुझान, अंग्रेजी को प्रतिष्ठा का प्रतीक मानना, हिंदी का सीधा संबंध भारतीय संस्कृति से होने के कारण हिंदी में उपदेशात्मकता को होना, सदैव नैतिक मूल्य प्रदान करने का प्रयास होना और सबसे मूल कारण था हिंदी की पुस्तकों का नीरस होना।

एक बार जब मैं विश्व-पुस्तक मेले में गई, मैंने देखा कि एक स्टॉल पर बहुत भीड़ है। मैं भी जिज्ञासावश वहां पहुंची, तो पाया कि कॉमिक्स का स्टॉल है। अन्य लोगों के साथ-साथ मैं भी देखने लगी। अनेक आकर्षक रंगारंग कार्टूनों का संसार था। वहीं मैंने देखा कि हिंदी में भी कई कॉमिक्स, जिनकी हम खूब आलोचना करते हैं, बच्चों में अत्यधिक लोकप्रिय हैं।

कर दिया तथा व्याकरण संबंधी कार्य इन पत्रिकाओं से करवाने लगी, जैसे–

विभिन्न मात्राओं वाले शब्दों को ढूंढ़कर सूची बनाना।

स्वर तथा व्यंजन से शुरू होने वाले शब्दों को अलग-अलग लिखना।

वर्ण-विच्छेद, वर्णक्रम आदि का अभ्यास करना।

संयुक्ताक्षरों वाले शब्दों को ढूंढ़कर लिखना तथा उन्हीं से अन्य शब्द बनाना।

शब्दों के लिंग-वचन पहचानना तथा बदलना।

'र' के विभिन्न रूपों की पहचान, उच्चारण एवं लेखन का अभ्यास करना।

संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, क्रिया -विशेषण आदि शब्दों के उदाहरण ढूंढ़ना।

विराम चिन्हों तथा उनके स्थान की जानकारी प्राप्त करना

कहानी समीक्षा, सार सुनाना एवं लिखना आदि।

इसके अतिरिक्त, भाषा संबधी कार्य

कहानियों, बाल-सामचारों तथा चुटकुलों का मौखिक वाचन।

किसी भी रचना (कहानी, लेखन, बाल समाचार आदि) के शब्दों तथा किसी एक अनुच्छेद का श्रुतलेख।

शब्द-पहेली में शब्दों की पूर्ति द्वारा शब्द रचना का अभ्यास।

वाक्य पूर्ति के लिए दिए गए शब्दों में से उचित शब्दों का चयन।

'ड़' तथा 'ढ़' वाले शब्दों को ढूंढ़कर लिखना तथा उन्हें जोर से बोलकर पढ़ना जैसे-पड़-पढ़ कड़ी-कढ़ी, बड़ा-बढ़ा आदि।

'श', 'ष' तथा 'स' के प्रयोग वाले शब्दों को ढूंढ़कर लिखना तथा उनका शुद्ध उच्चारण करना जैसे-प्रायः, प्रातः अतः आदि।

वर्णक्रम आदि की दृष्टि से पत्रिका की रचनाओं की सूची बनाना।

अपठित गद्यांश के रूप में किसी भी लघु-कथा, बाल-समाचार, चुटकुला या किसी रोचक कहानी के मुख्य अंश का प्रयोग करना।

किसी रचना या पत्रिका की समीक्षा करना।

सृजनात्मक कार्य, जैसे–

कथा-पात्र के स्थान पर स्वयं को रखकर परिवर्तित कहानी सुनाना या लिखना।

कथा की मुख्य घटना, परिस्थिति या अंत को परिवर्तित करके नई कहानी सुनाना।

किसी भी कहानी को चित्रकथा के रूप में तथा चित्रकथा (कार्टून) को कहानी के रूप में प्रस्तुत करना।

चुटकुलों के आधार पर व्यंग्य चित्र बनाना।

किसी प्रकाशित कविता के तुकबंदी वाले शब्दों को रेखांकित करना तथा उन्हीं शब्दों या प्रकाशित कविताओं के शीर्षक से अपनी मौलिक कविता की रचना करना।

किसी कहानी का नाट्य रूपांतरण एवं कक्षा में उनका मंचन।

चित्रकथा का मंचन जैसे-नंदन में प्रकाशित तेनालीराम आदि।

विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे–शीर्षक बताओ, चित्र बनाओ रंगभरो, गलती ढूंढ़ें, अंतर बताओ आदि में भाग लेना।

'पाठकों के पत्र' में पत्रिका के प्रति अपनी प्रतिक्रिया लिखकर भेजना।

स्वरचित कहानी, कविता या चित्र आदि को प्रकाशनार्थ लिखकर पत्रिका में भेजना।,

पत्रिकाओं में प्रकाशित किसी संस्था के समाचार के अनुरूप अपने विद्यालय के कार्यक्रमों/गतिविधियों की रिपोर्ट लिखवाना तथा उन्हें प्रकाशनार्थ पत्रिका के संपादक को भेजना।

इन्हीं पत्रिकाओं के आधार पर अपनी कक्षा पत्रिका तैयार करवाना आदि।

योग्यता विस्तार संबंधी कार्य, जैसे

पत्रिकाओं में छपे विभिन्न समाचारों तथा व्यक्ति-परिचयों के माध्यम से बच्चों को आस-पास के जीवन, दूर-देश की गतिविधियों तथा महान लोगों के बारे में जानकारी देना एवं सामान्य ज्ञान की वृद्धि करना।

पाठ्य-पुस्तक में पठित रचनाओं के रचनाकारों की बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित अन्य रचनाओं का पढ़ना जैस–नंदन में प्रकाशित चंद्रदत्त 'इंदु' तथा द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की रचनाएं।

पाठ्य-पुस्तक के पाठों के विषय तथा मुख्य पात्र से संबंधित अन्य रचना पढ़ना जैसे-चंपक में पशु-पक्षियों, न्यायप्रिय राजा की कहानी आदि। नंदन में तेनालीराम, प्रकृति से सीख संबंधी कविता, गांधी जी का परिचय, साहसिक कहानी आदि।

बालहंस में प्रकृति की सीख संबंधी कविता, वीर बालक या बालिका की कहानी, सुंदर बगीचे का वर्णन, नटखट बालक-बालिका की कहानी या कविता एवं पशु संरक्षण संबंधी कहानी, शब्दों के विशेष प्रयोग संबंधी व्यंग्य चित्र आदि।

परिणाम एवं उपलब्धियां

अपने इस प्रयोग के परिणाम तथा प्रभाव को जानने के लिए मैंने कई विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों का अनौपचारिक सर्वेक्षण किया। विद्यार्थियों ने यह माना कि अब उन्हें हिंदी के कालांश (पीरियड) का इंतजार रहता है, उनके बस्ते में हमेशा एक हिंदी पत्रिका अवश्य रहती है। समय मिलते ही, वे पत्रिका खोलकर पढ़ने लग जाते हैं। इस तरह उनमें हिंदी के प्रति रूचि बढ़ी है। अभिभावकों ने भी मुक्तकंठ से इस प्रयोग की प्रशंसा करते हुए कहा कि 'अब हमें अपने बच्चे को हिंदी पढ़ने, हिंदी का गृह कार्य करने या हिंदी की परीक्षा की तैयारी करने के लिए कहना नहीं पड़ता वह घर आते ही सबसे पहले हिंदी पढ़ने बैठ जाता हैं।'

कुछ अभिभावकों का कहना था कि उनके बच्चे पहले हिंदी का नाम सुनते ही उसके प्रति अरुचि व्यक्त करते थे, वे ही अब कभी हिंदी पत्रिका या हिंदी पाठ्य-पुस्तक पढ़ते हुए, कभी हिंदी में सृजनात्मक लेखन करते हुए तथा कभी पत्रिकाओं में प्रकाशन हेतु अपनी रचना तैयार करते हुए नजर आते हैं।

अभिभावक शिक्षक की बैठक के दौरान इस अभिनव प्रयोग पर विस्तार से चर्चा हुई। लगभग 90% अभिभावकों ने इस प्रयोग की सराहना की। पत्रिकाएं भी भाषा-शिक्षण का माध्यम हो सकती हैं, इस बात पर वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें पहली बार पता चला कि हिंदी में इतने अधिक प्रकार की श्रेष्ठ बाल पत्रिकाएं उपलब्ध हैं और वह भी इतनी कम कीमत पर। पत्रिका द्वारा शिक्षण के कारण उनके बच्चों में हुए चमत्कारिक परिवर्तन से वे प्रभावित तो थे ही, साथ ही वे इस बात से प्रसन्न भी थे कि इन पत्रिकाओं के माध्यम से केवल उनके बच्चों में ही नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार में हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न होने लगी है। उच्चारण एवं लेखन में बच्चों की वर्तनी संबंधी अशुद्धियां काफी कम होने लगी हैं। उनका शब्द ज्ञान तथा हिंदी भाषा पर अधिकार बहुत बढ़ा है। कई अभिभावकों ने तो एक से अधिक हिंदी की बाल पत्रिकाएं अपने बच्चों तथा स्वयं के लिए भी स्वेच्छा से मंगवानी शुरू कर दीं। कुछ अभिभावकों ने यह समस्या बताई कि जब से विद्यालय में पत्रिका से पढ़ाया जाने लगा है, तब से बच्चे अपनी पाठ्य-पुस्तक बहुत कम तथा पत्रिकाएं अधिक पढ़ने लगे हैं। उन्हें समझाया गया कि किसी भी भाषा की पाठ्य-पुस्तकों का उद्देश्य बच्चों को भाषा-ज्ञान प्रदान करना ही होता है; प्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं के माध्यम से बच्चे रोचक ढंग से भाषा-ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। जब उनमें भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है तथा पाठ्य-पुस्तकों के शब्दों को ही वे अन्य रोचक रचनाओं में भी पढ़ते हैं, तो पाठ्य-पुस्तक के पाठ उन्हें अत्यंत सरल लगने लगते हैं, परिणाम स्वरूप पाठ्य-पुस्तक के जिन कार्यों को करने में उन्हें अत्यधिक दिमाग तथा समय लगाना पड़ता था, वे ही कार्य अब वे चुटकी बजाते ही कर लेते हैं, इसीलिए अब वे पाठ्य-पुस्तकों को लेकर घंटों बैठे नहीं रहते। इस रहस्य को जानकर वे भी अत्यंत प्रसन्न हुए तथा इसे एक अद्‌भुत प्रयोग बताया। साथ ही, हिंदी के मूर्धन्य आलोचक तथा बाल साहित्यकार स्वर्गीय डॉ॰ रतनलाल शर्मा ने तथा अन्य कई विद्वानों ने मेरे इस अभिनव प्रयोग को सराहा। 'नंदन' पत्रिका के संपादक तथा बाल साहित्यकार स्वर्गीय डॉ॰ जय प्रकाश भारती ने इस प्रयोग की 'हिंदी शिक्षण में नवीन क्रांति' कहकर सराहना की।

नीचे हिंदी की 15 बाल पत्रिकाओं के नाम-पते दिए जा रहे हैं, सभी हिंदी शिक्षक एवं हिंदी प्रेमी इन पत्रिकाओं को नियमित रूप से प्राप्त करके बच्चों तक पहुंचा सकते हैं ताकि उनमें हिंदी के प्रति रुचि विकसित हो, हिंदी एक प्रचार-प्रसार हो तथा दम तोड़ती हिंदी पत्रिकाओं को नवजीवन प्राप्त हो।

हिंदी बाल पत्र-पत्रिकाएं

1. **बच्चों का देश** (मासिक), 7 उषा कालोनी मालवीय नगर, जयपुर-302017, राजस्थान, सम्पादिका श्रीमती कल्पना जैन।
2. **बाल वाटिका** (मासिक), नन्दभवन कावां खेड़ा पार्क के पास, भीलवाड़ा-311001 राजस्थान, संपादक डॉ॰ भैरुलाल गर्ग
3. **बालसेतु** (त्रैमासिक), सरस साहित्य कुटीर, नगर बाजार, बस्ती, उ॰ प्र॰ संपादक डॉ॰ मुनिलाल उपाध्याय।

4. **देवपुत्र (मासिक)**, 40 संवाद नगर इंदौर-1 म॰ प्र॰ संपादक कृष्ण कुमार अस्थाना।

5. **स्नेह** (मासिक), 26-बी॰ देशबंधु भवन, प्रेस काम्पलेक्स, एम॰ पी॰ नगर, जोन-1, भोपाल, संपादक कमल कांत अग्रवाल।

6. **'अनुराग'**, (त्रैमासिक), डी-68, निरालानगर, लखनऊ-226020 संपादिका कमला पांडेय

7. **बाल प्रहरी** (त्रैमासिक), ताकुला अल्मोड़ा उत्तरांचल-263628 संपादक उदय किरौला।

8. **बाल हंस** (पाक्षिक), राजस्थान पत्रिका प्रकाशन ई-5, झालाना सांस्कृतिक संस्थान क्षेत्र जयपुर (राज॰)-302004 संपादक, गुलाब कोठारी

9. **नंदन** (मासिक), एच॰टी॰ मीडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान टाईम्स हाउस, 18-20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, संपादक, क्षमा शर्मा

10. **नन्हें सम्राट** (मासिक), दीवान, पब्लिकेशन्स प्रा॰ लि॰, ए-6/1 मायापुरी, फेस-1, नई दिल्ली-110064, संपादक-आनंद दीवान

11. **बाल-भारती** (मासिक), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कमरा नम्बर 120 सूचना भवन, नई दिल्ली-110003

12. **बालवाणी** (मासिक), उ॰प्र॰ हिंदी संस्थान, 6, महात्मा गांधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ (उ॰प्र॰)

13. **समझ झरोखा** (मासिक), वन्या प्रकाशन, 35, राजीव गांधी भवन, श्यामल हिल्स, भोपाल (म॰प्र॰)

14. **चंपक** (मासिक), दिल्ली प्रेस बिल्डिंग ई-3, झन्डेवालान इस्टेट, रानी झांसी मार्ग, नई दिल्ली-53

15. संस्कारम (मासिक), 14 ए, विष्णु दिगंबर मार्ग (राउज एवेन्यू), नई दिल्ली 110002, संपादक-ईश्वर दयाल

बाल पत्रिकाएं धीरे-धीरे पूरे समाज में, घर-घर में पहुंच जाएंगी, तो स्वाभाविक रूप से, अनायास ही हिंदी का प्रचार-प्रसार तथा लोकप्रियता बढ़ेगी, हिंदी के प्रति रुचि, प्रेम और गर्व की भावना जगेगी तथा हमारी भावी पीढ़ी भारतीय सभ्यता और संस्कृति से परिचित भी होती जाएगी। दम तोड़ती हिंदी बाल पत्रिकाओं को नव जीवन प्राप्त होगा तथा उनमें कार्यरत हजारों लोगों को रोजगार की बेहतर स्थितियां मिलेंगीं।

हिंदी विभाग, दिल्ली पब्लिक स्कूल,
रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली
निवास-सुर-सदन, डब्ल्यू-जेड 1987
रानी बाग, दिल्ली-110034

ग्रामीण विकास में सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का योगदान

—श्रीमती मोनालिसा पवार

भारत में बैंकिग सेवाओं का अतीत तकरीबन 200 वर्ष पुराना है। विकीपीडिया के अनुसार 19वीं शताब्दी के आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1809 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास नामक तीन बैंकों की शुरुआत की। सन 1955 में इन तीनों बैंकों का विलय एक नये बैंक इंपीरियल बैंक में कर दिया गया जिसे आज भारतीय स्टेट बैंक के रूप में जाना जाता है। प्रारंभिक काल में बैंकों की शाखाएं और उनका कारोबार केवल वाणिज्यिक केन्द्रों तक ही सीमित था और ग्रामीण इलाकों तक बैंकिंग सेवाएं नहीं पहुंच पाती थी जिसके कारण किसानों की हालत इतनी खराब होती थी कि उनके बारे में कहा जाता था कि ''भारतीय किसान कर्ज में ही जन्म लेता है, कर्ज में ही पलता-बढता है और विरासत में अपने बच्चों के लिए कर्ज ही छोड़ा जाता है।'' ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकार एवं पूंजीपति अधिक धनवान एवं निर्धन और निर्धन होते गए, जिसके कारण देश भयंकर सामाजिक असंतुलन एवं आर्थिक विषमताओं में उलझता चला गया और आर्थिक विकास की गति निरंतर अवरुद्ध होती गई जिसके फलस्वरूप एक क्रांतिकारी नई आर्थिक नीति की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व इन बैंकों का उद्देश्य तथा बैंकिंग प्रणाली थोड़ी भिन्न प्रकार की थी किन्तु प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ ही इनकी कार्य प्रणाली तथा अन्तर्गत परिचालन की दशा एवं दिशा में काफी परिवर्तन दर्ज किए गए हैं। फिर भी राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य को अबतक पूरी तरह से पूरा करने में संभव नहीं हो पाया है।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण-ग्रामीण विकास का वाहक:-

भारत के बारे में हमेशा से कहा जाता है कि भारत गांवों में बसा है, जहां किसान एवं खेतीहर मजदूरों की संख्या अधिकाधिक है। राष्ट्रीयकरण से पूर्व भारत के सभी वाणिज्यिक बैंकों की अपनी अलग एवं स्वतंत्र नीतियां होती थीं और उनका उद्देश्य अधिकाधिक लाभ पाने की दिशा में काम करने तक ही सीमित था। समाज के गरीब, कमजोर वर्ग, दलित तथा सामान्य ग्रामीण तबके के लोगों को यह भी पता नहीं होता था कि बैंक आखिर होता क्या है। जिससे देश की अधिकांश जनता दिन-प्रतिदिन सेठ-साहूकारों एवं महाजनों के कर्ज के नीचे इतने दबते चले गए कि वे अपनी असली पहचान तक भूल गए। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं न के बराबर थी। जिसके कारण आजादी के उपरांत जिस गति से देश का विकास होना चाहिए था उतनी गति से विकास अपनी रफ्तार पकड़ नहीं पा रहा था। इसका मुख्य कारण था ग्रामीण जनता राष्ट्र की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रही थी एवं सामाजिक, आर्थिक एवं कारोबारी दृष्टि शहरी जनता की तुलना में काफी पीछे छूटती जा रही थी।

इसी को देखते हुए भारत सरकार ने 19 जुलाई 1969 को देश के 50 करोड़ रुपये से अधिक जमा राशि वाले प्रमुख 14 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ ही इस नए विकास का श्रीगणेश किया। इसके साथ ही भारतीय बैंकिंग प्रणाली मात्र लेन-देन, जमा या ऋण के माध्यम से केवल लाभ अर्जित करनेवाला उद्योग ही न रहकर भारतीय समाज के गरीब, दलित तबकों के सामाजिक एवं आर्थिक पुरूत्थान एवं आर्थिक रूप से ऊंचा उठाने का एक सशक्त माध्यम बन गया। सरकार को पूरा यकीन था कि बैंकिग उद्योग राष्ट्र के सर्वांगीण विकास एवं पुरूत्थान की दिशा में तेजी लाएगा। बैंकिग के राष्ट्रीयकरण की शुरुआत करते हुए तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि ''बैंकिंग प्रणाली जैसी संस्था, जो हजारों-लाखों लोगों तक पहुंचती है उसे लाखों लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसी विश्वास को सार्थक करने की प्रक्रिया में ही 15 अप्रैल 1980 को 200 करोड़ रुपये से अधिक जमा राशि वाले छह और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कई उद्देश्यों में बैंकिंग सुविधाओं तथा सेवाओं का विस्तार करना, आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए बैंकिग सेवाओं एवं सुविधाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों विशेषकर ग्रामीण कस्बाई क्षेत्रों में बसे कमजोर वर्गों तक पहुंचाना भी शामिल था परन्तु बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति में सुधार तथा कृषि एवं लघु उद्योगों के क्षेत्रों की समुचित प्रगति करना था। भारतीय किसान युग-युग से उपेक्षित ही रहा और हमेशा उनका दोहन किया जाता रहा। जिसके कारण भारतीय किसान कभी गरीबी से ऊपर नहीं उठ पाया। यही हालत कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योंगों की थी। ये व्यवसाय अधिकतर कृषि पर ही निर्भर करते थे और कृषि एवं लघु उद्योग जैसे उपेक्षित क्षेत्रों की ओर उचित ध्यान देकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना राष्ट्र की प्रगति के लिए अनिवार्य हो गया था।

बढ़ता शहरीकरण ग्रामीण विकास के लिए घातक:-

2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ हो गई है जोकि चीन की जनसंख्या 135 करोड़ के बाद जनसंख्या की दृष्टि से विश्व की दूसरा बड़ा देश है। भारत की कुल जनसंख्या में 83.3 करोड़ लोग (68.84%) ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 37.7 (31.16%) लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। इस जनगणना में जो सबसे बड़ी बात उभर कर सामने आई है वह यह है कि स्वतंत्रता के बाद से पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या में भारी कमी आई है। 2001 में शहरीकरण का स्तर 27.81% था जो 2011 में बढ़कर 31.16% हो गया है जबकि ग्रामीण जनसंख्या 72.19% से घटकर 68.84% प्रतिशत हो गई है। भारत की जनसंख्या का लगभग तीन चौथाई से अधिक हिस्सा गांवों में रहने के बावजूद भी भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का तीन तिहाई हिस्सा आज भी शहरों से आता है और राष्ट्रीय आय में ग्रामीण क्षेत्रों का योगदान केवल एक तिहाई हिस्सा ही है। भारत में 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल 89 अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं जिनकी भारत में कुल 96059 बैंक शाखाएं हैं। जिनमें 60695 यानी 63 प्रतिशत शाखाएं शहरी एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में अवस्थित हैं जबकि केवल 37 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इस प्रकार देश की लगभग 83.3 करोड़ लोग (68.84%) जनसंख्या को कवर

करने के लिए बैंक की केवल 37% शाखाएं कार्यरत हैं।

ग्रामीण विकास में सार्वजनिक बैंकों की भूमिका:-

भारत में अभी भी आधे से अधिक लोग बैंकिंग सेवाओं से वंचित है। मार्च, 2012 के अनुसार 600,000 गांवों में से सिर्फ 140,000 बैंकों से जुड़े हैं तथा केवल 35 प्रतिशत ग्रामीण जनता को बैंकिग सुविधाएं उपलब्ध हैं। रंगराजन समिति के अनुसार 45.9 मिलियन या 51 प्रतिशत किसान अभी भी बैंक ऋण से वंचित हैं। कृषि क्षेत्र को बैंक ऋण जीडीपी का मात्र 6 प्रतिशत है जो केवल 49 प्रतिशत किसानों तक ही पहुंच पाता है। दूसरी ओर, ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों में पलायन तेजी से हो रहा है और लोग कमाई के लिए शहर आते हैं और कई बार स्थायी ठिकाना या पता नहीं होने के कारण वे चाहकर भी बैंकों में खाता नहीं खोल पाते और यहीं से शुरू होता है उनका आर्थिक शोषण। यदि भारत की ग्रामीण जनता का समग्र विकास करना है तो सावर्जनिक बैंकों को इस कार्य में सार्थक पहल करते हुए अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। सार्वजनिक बैंक ग्रामीण विकास हेतु निम्न प्रकार से अपनी भूमिका निभा सकते हैं:-

ग्रामीण ऋण वितरण में सार्वजनिक बैंकों की निर्णायक भूमिका-

2001 की जनगणना के अनुसार 25.5 प्रतिशत भारतीय घर बैंक से जुड़े थे जबकि उसी अवधि में केवल 30.1 प्रतिशत ग्रामीण घर बैंक से जुड़ सके थे। इसी प्रकार ग्रामीण घरों में ऋण लेने की प्रवृत्ति के बारे में अध्ययन में यह सामने आया कि ग्रामीण घरों विशेषकर निर्धन वर्ग के लोग अभी तक अपनी ऋण संबंधित आवश्यकताओं के लिए अनौपचारिक ऋण जैसे साहूकार आदि के पास जाते हैं जो काफी उच्च दरों पर उन्हें ऋण उपलब्ध कराते हैं जिसके कारण ग्रामीण जनता एक तरह से उनके चुंगल में फंसकर रह जाती है। 31.03.2003 को ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण/जमा अनुपात 42 प्रतिशत एवं 35 प्रतिशत रहा जो 69.5 प्रतिशत एवं 59.3 प्रतिशत की शहरी एवं राष्ट्रीय स्तर तुलना में काफी कम है। इससे यह साबित होता है कि ग्रामीण स्तर पर बड़े पैमाने पर सार्वजनिक स्तर पर शाखा विस्तार के उपरांत भी बैंकिंग अपने मूल उद्देश्य में सफल नहीं हो पाई है। यह जरूरत इस बात की है कि न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा विस्तार किया जाए बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को औपचारिक बैंकिग व्यवस्था से जोड़ा जाए और उन्हें मिलने वाले बैंकिग एवं ऋण उत्पादों से परिचित कराया जाए ताकि वह सीधे तौर पर बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ सके और विकास के मार्ग पर अग्रसर हो सकें।

प्रधानमंत्री जनधन योजना: ग्रामीण विकास की दिशा में एक बेजोड़ प्रयास:-

गत वर्ष 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा की जिसका उद्देश्य देश के उन लोगों को बैंक से जोड़ना जो अभी तक बैंकिग व्यवस्था से अछूते रहे हैं। इसके लिए सरकार उन्हें एक लाख का मुफ्त दुघर्टना बीमा, 30 हजार रुपये का व्यक्तिगत बीमा, रुपये डेबिट कार्ड एवं छह माह तक सफलतापूर्वक संचालन के उपरांत पांच हजार रुपये के ओवरड्राफ्ट की सुविधा देने की घोषणा की है। जिसके माध्यम से ग्रामीण जनता को बचत खाता संचालन, दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा, डेबिट सह एटीएम कार्ड के साथ-साथ ओवरड्राफ्ट रूपी सुक्ष्य ऋण की सुविधा उपलब्ध कराकर उन्हें वित्तीय रूप से साक्षर

बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि ग्रामीण जनता अपने वित्तीय अधिकारों से अवगत हो सकें। इस योजना का सफल बनाने के लिए सार्वजनिक बैंकों ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में कैम्प लगाकर बड़ी संख्या में जनधन योजना के तहत आम जनता के खाते खोलने में सफल हुए। इसका परिणाम यह हुआ कि 28 अगस्त, 2014 को शुरू की गई इस योजना में 26 जनवरी, 2015 तक सरकार द्वारा निर्धारित 7.5 करोड़ खाते खोलने के लक्ष्य से काफी आगे निकलते हुए 11.50 करोड़ खाते खोलते हुए देश भर के 99.74 प्रतिशत परिवारों को जनधन योजना को दायरे में लाने में सफल हुए। जनधन योजना की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार 18 मई 2016 को जनधन योजना के तहत भारत में 219 मिलियन खाते खोले गए उनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 134 मिलियन खाते खोले गए। इन खातों में अबतक कुल 37775 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं जिनमें सबसे गरीब माने जानेवाले राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इस योजना के अन्तर्गत क्रमश: 5916 व 4932 करोड़ रुपये तथा राजस्थान में 2933 करोड़ रुपये बैंकों जमा कराए गए।

सार्वजनिक बैंकों द्वारा केवल बैंकिग परिधि से दूर लोगों का खाता खुलवाने से ही ग्रामीण विकास संभव नहीं। अब सार्वजनिक बैंकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है वो अनपढ़, कम शिक्षित एवं बैंकिंग ज्ञान से रहित ग्रामीण लोगों के बैंक खातों को सक्रिय कराना और उनमें निरंतर कारोबार करते रहने के लिए प्रेरित करना। हालांकि यह योजना अपने आप में अनोखी एवं ग्रामीण विकास हेतु पर्याप्त माध्यम बन सकता है। बस जरूरत इस बात की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस दिशा में सार्थक प्रयास कर ग्रामीण जनता को प्रभावी रूप से न सिर्फ बैंकिग व्यवस्था से जोड़ना सुनिश्चित करें बल्कि उन्हें बैंकिग के बारे में जागरूकता उत्पन्न करते हुए उन्हें अपनी आवश्यकतानुसार बैंकों में उपलब्ध जमा एवं ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए भी प्रेरित करें। तभी सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक ग्रामीण विकास की दिशा में अपना पुरजोर योगदान दे पाने में सफल हो पाएंगे।

कृषि ऋण में सार्वजनिक बैंकों की निर्णायक भूमिका:-

भारत में ग्रामीण जनता के रोजगार का मुख्य साधन कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग है। यदि श्रम मंत्रालय के एक रिपोर्ट पर गौर किया जाए जो आज भी 30 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण जनता अपनी ऋण आवश्यकताओं के लिए सूदखोर महाजनों के पास ही जाती है और केवल 17 प्रतिशत के आसपास लोग अपनी ऋण आवश्यकताओं के लिए बैंकों पर निर्भर हैं। हालांकि भारत में कृषि के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 2010-11 में समग्र घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 14.4 प्रतिशत होने के बावजूद 'कृषि' भारत की जनसंख्या के लगभग दो तिहाई भाग को जीवन निर्वाह का साधन उपलब्ध कराती है तथा राष्ट्र की कुल श्रमशक्ति के लगभग 60 प्रतिशत भाग को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य में संलग्न अधिकांश किसान सीमांत एवं लघु वर्ग के हैं। उनमें से 87 प्रतिशत सीमांत एवं 70 प्रतिशत लघु कृषक औपचारिक एवं संस्थागत ऋण प्रक्रिया से बाहर होने एवं अपनी निर्धनता के कारण अपने कृषि कार्य सही समय पर अंजाम देने में सफल नहीं हो पाते हैं।

हालांकि यह सच है कि सरकार द्वारा किसानों के लिए कृषि हेतु किसान क्रेडिट कार्ड एवं अन्य ऋण

योजनाएं संचालित की जाती हैं जिसमें रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है जिसके कारण किसान निर्बाध रूप से कृषि कार्य सम्पन्न कर सके। यह कार्य सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों द्वारा ही जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है परन्तु वास्तविकता यह है कि अभी भी ऋण एवं अन्य योजनाओं का लाभ पूरी तरह से आम ग्रामीण जनता तक नहीं पहुंच पाया है और कई मामलों में सरकारी निधियों एवं ऋण योजनाओं का लाभ बिचौलिए हड़प जाते हैं। यहां जरूरत एक ऐसी व्यवस्था विकसित करने की है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक सरकार द्वारा संचालित विभिन्न ऋण योजनओं का लाभ प्रत्यक्ष तौर पर आसानी से ग्रामीण जनता तक पहुंचा सकें ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन किसान न सिर्फ ऋण संबंधित समस्याओं से मुक्त होकर पूरी तन्मयता से अपना ध्यान कृषि एवं रोजगार के अन्य अवसरों पर ध्यान केन्द्रित कर सकें जिससे न सिर्फ ग्रामीण जनसंख्या समृद्ध होगी बल्कि वह ग्रामीण विकास की दिशा में तेजी से अग्रसर होंगे।

ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सराहनीय भूमिकाः-

ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सराहनीय भूमिका रही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को बैंकिग विशेषकर ऋण सुविधाएं एवं अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए किया गया था। आज भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इस दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। हालांकि सरकार ग्रामीण बैंकों को और अधिक सक्षम बनाने के लिए उनका विलय एवं समेकन कर रही है। जनवरी 2013 में 25 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समेकन करके 10 बैंक बनाए गए है। 31 मार्च 2006 तक देश के 525 जिलों को कवर करने वाली 14494 शाखाओं के नेटवर्क के साथ 133 क्षेत्रीय बैंक थी जिनका समेकन करके 47 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बना दिए गए हैं ताकि वह अधिक प्रभावी ढंग से अपने-अपने क्षेत्रों में कार्य कर सकें।

ग्रामीण विकास में नाबार्ड का प्रभावी योगदानः-

भारतीय गांवों में गरीबी का सबसे बड़ा कारण है कृषि हेतु संसाधनों की कमी एवं कृषि उत्पादों के उचित भंडारण का अभाव। जिसके कारण किसानों को अपना उत्पाद औने-पौने भाव में बेचना पड़ता है। कई बार तो किसानों की लागत भी नहीं निकल पाती जिसका प्रतिकूल असर उनके जीवन स्तर पर पड़ता है। भारत में हर वर्ष सैकड़ों किसान कर्ज से तंग आकर आत्महत्या कर लेते हैं। इसी समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने गांवों में कृषि आधारित रोजगार एवं रोजगार के माध्यम उपलब्ध कराने के लिए 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना की जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को ऋण प्रवाह बढ़ाने एवं ग्रामीण गैर कृषि आधारित क्षेत्रों के विकास पर बल देते हुए ग्रामीण लोगों का विकास करना है। तब से नाबार्ड सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के माध्यम से अपनी योजनाएं ग्रामीण जनता तक पहुंचाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने की दिशा में परामर्श सेवाएं भी उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है।

ग्रामीण जनता तक बीमा सेवाएं पहुंचानाः-

बीमा कवरेज के मामले में भारत की स्थिति विश्व में सबसे खराब है। यहां केवल कुछ प्रतिशत

लोगों के पास बीमा कवर है और यदि ग्रामीणजनों की चर्चा करें तो बीमा कवर के मामले में उनका प्रतिशत नगण्य है। यही कारण है कि अकस्मात घटना होने की स्थिति में ग्रामीण लोगों के परिवार के सदस्यों को किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिल पाती जिसके कारण उन्हें भारी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि भारत की जनता तक उचित मात्रा में बीमा सेवाएं पहुंचा दी जाती है तो उन्हें विपत्ति के समय में बीमित राशि के रूप में बड़ी आर्थिक मदद मिल जाती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों का जीवन स्तर ऊपर उठाने में मदद मिलेगी। हालांकि प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से लोगों को एक लाख का दुर्घटना बीमा एवं 30 हजार का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सरकार की ओर से मुफ्त प्रदान किया जा रहा है परन्तु यदि आज की महंगाई से उक्त राशि की तुलना करें तो वह कुछ भी नहीं। इसलिए ग्रामीण जनता तक बीमा सेवाएं उपलब्ध कराने में सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का काफी योगदान हो सकता है क्योंकि उनकी शाखाएं गांव-गांव तक फैली हुई है। लोगों तक बीमा सेवाएं पहुंचाने के क्रम में सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का गैर-ब्याज आय में भी वृद्धि होगी और क्रॉस सेलिंग के माध्यम से उनकी लाभप्रदता भी बढ़ेगी।

उपसंहार-

ग्रामीण अर्थव्यवस्था-संभावनाओं का बाजार

जब भी समाज में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन होता है तो उसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलते हैं और उससे समाज के सभी वर्ग प्रभावित होते हैं। यदि देश का ग्रामीण विकास होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग एवं अन्य उद्योग धंधों की शुरूआत होगी तो उससे वहां के लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे एवं उनकी आय बढ़ेगी। लोगों के आय के स्तर में वृद्धि के साथ-साथ लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा और लोगों की आय बढ़ने पर लोगों में बचत की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी जिससे बैंकों में कासा (बचत एवं चालू खाता) के तहत कम लागत की जमा राशि में वृद्धि होगी जिससे बैंकों की लाभप्रदता में भी सुधार होगा। आज भारत में शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग कारोबार अपने चरम पर है और बैंकों में कम लागत की जमाराशियों में निरंतर कमी होती जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2006 में बैंक की कम लागत की जमाराशियों में 39.95 प्रतिशत का योगदान था जोकि 2013 में घटकर 33 प्रतिशत हो गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए खातों में ही लोगों ने 7000 करोड़ रुपये बैंकों में जमा करा दिए तो हम उस दिन की कल्पना कर सकते हैं जिसमें यदि हमने 11.50 करोड़ खातों को सक्रिय कराने और उसमें नियमित रूप से लेनदेन करा पाने में सफल हो जाते हैं तो यह राशि कई गुणा बढ़ सकती है। यह कहा जा सकता है कि यदि सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों द्वारा ग्रामीण विकास हेतु प्रयास करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में कामयाबी प्राप्त हो जाती है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी रिटर्न गिफ्ट के रूप में चुनौतियों का सामना कर रही सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के लिए न सिर्फ संभावनाओं का एक नया बाजार उपलब्ध करा सकती है बल्कि उनका कायाकल्प करने में भी सक्षम हो सकती है।

केनरा बैंक,
मुख्य शाखा अभय चैम्बर्स,
जालोरी गेट
जोधपुर-342001
मोबाइल 9460109804

विदेशी धरती पर हिंदी के सितारे

—उपेंद्र कुमार शुक्ल

ब्रिटिश सरकार के अधिकारी मैकाले ने सन् 1835 में जो शिक्षा योजना लागू की उसी का नतीजा है कि भारत की देसी संस्कृति पर अंग्रेजियत पूरी तरह हावी हो गई। स्वाधीनता के बाद विकास की समाजवादी धारा से होते हुए हमने उदारीकरण की व्यवस्था को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है। इसके चलते हमारी रोजाना की जिंदगी पर बाजार की संस्कृति हावी हो गई है। यह बाजार ही है अब हमारी हिंदी को ज्यादा स्वीकार्य बनाता जा रहा है। इसके बावजूद आज भी हमारी सोच से अंग्रेजियत का भूत उतरने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन यह भी सच है कि कई विदेशी भी हुए हैं जिनके लिए हिंदी उतनी ही अपनी थी, जितनी हमारे लिए है। हिंदी हमारे लिए केवल भाषा ही नहीं, माँ का दूध है। कुछ इसी प्रकार उन विद्ववानों ने भी हिंदी से वैसा ही प्यार किया जैसे कोई बेटा अपनी माँ से करता है।

इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है फादर कामिल बुल्के का। 17 अगस्त 1982 को उनकी मौत के बाद तत्कालीन हिंदी सेवी सांसद शंकर दयाल सिंह ने कहा था – *जह कभी हिंदी के बारे में कोई संयत विचार होगा, चाहे वह विश्व हिंदी सम्मेलन के मंच पर हो या केंद्रीय समिति की बैठक में अथवा किसी सभा-समिति में सभी को बस एक चेहरा याद आएगा-फादर कामिल बुल्के का।* इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने हिंदी के लिए क्या योगदान किया। आज जब भी हमें अंग्रेजी-हिंदी शब्दकोश की याद आती है, तो हमारी जबान पर सबसे पहला नाम फादर कामिल बुल्के के शब्दकोश का ही आता है। संत साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध बुल्के ने रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी का अध्यापन करते समय इस शब्दकोश की रचना की थी। कहां भारत और कहां बेल्जियम, लेकिन कामिल बुल्के के लिए भारत अपनी मातृभूमि से कहीं ज्यादा प्यारा था। बेल्जियम के वेस्टफ्लैंडर्स प्रांत के एक गांव रांपस में 1 सितंबर, 1909 को पैदा हुए बुल्के के घर वाले उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन इस पढ़ाई में उनकी दिलचस्पी नहीं थी इसके चलते उन्होंने रोम की तरफ रुख किया और वहां के ग्रिगेरियन विश्वविद्यालय से सन् 1932 में दर्शन शास्त्र में एम॰ए किया। यहीं उनका भारतीय दर्शन से परिचय हुआ, और उन्होंने भारत आने का निश्चय किया। सन् 1935 में जब उन्होंने भारत की धरती पर कदम रखा तो मानो उनकी मुराद ही पूरी हो गई। यहां तुलसी साहित्य से उनका परिचय हुआ। लेकिन उसे समझने के लिए हिंदी सीखना जरूरी था। लिहाजा सन् 1936 में उन्होंने हिंदी सीखना आरंभ किया। हिंदी के प्रति इस प्यार ने उन्हें संस्कृत से भी जोड़ दिया और बुल्के ने सन् 1945 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से संस्कृत की डिग्री हासिल की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने इलाहाबाद का रुख किया और सन् 1947 में यहां से एम॰ए और सन् 1949 में डी॰फिल की डिग्री हासिल की। सन् 1939 से लेकर 1942 के बीच वे धर्मशास्त्र का भी अध्ययन करते रहे। धर्मशास्त्र, संस्कृत एवं हिंदी के अध्ययन ने उन्हें हिंदी भाषा पर जबरदस्त पकड़ हासिल कराया।

इसी के चलते उन्होंने सन् 1950 में रामकथा पर पी॰एच॰डी की डिग्री हासिल की। जो बाद में रामकथा-उत्पत्ति और विकास के नाम से प्रकाशित हुई। इसके बाद जीविका के लिए उन्होंने अध्यापन का व्यवसाय चुना और आजीवन वे रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी पढ़ाते रहे। मौत के समय भी वे हिंदी अध्यापक की भूमिका निभा रहे थे। उनकी सबसे विख्यात पुस्तक अंग्रेजी-हिंदी-शब्दकोश है जो सन् 1968 में प्रकाशित हुआ था। आपने ''नीलपक्षी'' के नाम से बाईबल का हिंदी में अनुवाद किया साथ ही सन् 1950 में भारत की नागरिकता ग्रहण की। हिंदी के प्रति उनके कार्य को भारत सरकार ने मान्यता दी जिसके चलते उन्हें 1972 से 1977 तक केंद्रीय हिंदी समिति का सदस्य बनाया। सन् 1973 में बेल्जियम सरकार ने भी अपने इस पूर्व नागरिक को अपनी रॉयल अकादमी का फेलो बनाकर सम्मानित किया।

हिंदी के विदेशी क्षितिज पर चमकते सितारों की संख्या अनगिनत है। ब्रिटेन के शासकों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भारत के भाल की बिंदी, हिंदी को दबाने की कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आज उसी ब्रिटेन की धरती पर हिंदी फल-फूल रही है। लंदन के हाउस ऑफ लॉर्डस के हॉल में हिंदी कथाकारों को हर साल तेजिंदर शर्मा कथा सम्मान से सम्मानित किया जाता है। लंदन की धरती पर हिंदी को प्रतिष्ठित करने मे जितना योगदान भारतीय मूल के लोगों का है, उतना ही योगदान ब्रिटेन के अंग्रेज हिंदी सेवियों का भी है। उन्हीं में से एक हैं -रूपर्ट स्नेल। उन्हें भारत में हिंदी सेवी के नाम से जाना जाता है। डॉ॰ स्नेल को हित चौरासी नाम के प्राचीन ग्रंथ पर शोध के लिए रूपर्ट स्नेल ने ब्रिटेन की धरती पर हिंदी के क्लासिक रूप को प्रचारित-प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा को अंग्रेजी के विशाल पाठक वर्ग से परिचित कराने वाले रूपर्ट स्नेल अगर हिंदी के कवि के रूप में जाने जाते हैं तो इसलिए कि वे ब्रजभाषा में कविताएं लिखते हैं। ब्रज में लिखे उनके सुंदर दोहों को ब्रिटेन के हिंदी प्रेमी काफी शिद्दत से पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वे अच्छी हिंदी बोलते हैं। उनका सबसे बढ़ा योगदान यह है कि उन्होंने हिंदी विदेशी छात्रों के लिए हिंदी शिक्षण पर कई पुस्तकें, ऑडियो टेप के साथ लिखी हैं। उनकी लिखी टीच योरसेल्फ हिंदी और बिगिनर्स हिंदी स्क्रिप्ट विदेशी छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। यह पुस्तकें अपनी रोचकता और उपयोगिता के कारण विभिन्न देशों के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षा हेतु शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्यक्रमों में प्रयोग में लाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, ब्रज भाषा पर उनके शोध को न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया में गंभीरता से लिया जाता है।

विदेशी धरती पर हिंदी की अलख जलाने वाले विद्वानों की कड़ी में अगला नाम चेकोस्लोवाकिया के डॉ॰ ओदोलन स्मेकल का है जो अपनी चमत्कारिक हिंदी कविताओं के लिए काफी विख्यात हैं। उनकी पत्नी हेलन भी हिंदी प्रेमी है, उनके भारत प्रेम का उदाहरण उनके दोनों संतानें भी हैं जिनका नाम उन्होंने इंदिरा और अरूण रखा है। डॉ॰ ओदोलन स्मेकल ने प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी में एम॰ए और पी॰एच॰डी की डिग्री हासिल की। उसके बाद वहीं हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए। तीस वर्षों तक प्राध्यापक के पद को सुशोभित करने के बाद आप कई वर्षों तक विभागाध्यक्ष भी रहे। डॉ॰ ओदोलन स्मेकल ने हिंदी साहित्य की कई रचनाओं को चेक भाषा में अनूदित किया है जिसमें प्रमुख हैं- गोदान (1957), आधुनिक हिंदी कविता संकलन (1975), भारतीय लोक कथाएं (1967, 1974)। इसके अलावा उन्होंने हिंदी कवियों की ढेरों रचनाओं और लोक कथाओं का अनुवाद भी किया है जिन्हें संकलित किया जा रहा है। आपने

यूरोप में हिंदी भाषा सरलता से सीखने के लिए हिंदी वार्तालाप, हिंदी पाठमाला, हिंदी भाषा, हिंदी क्रियाएं जैसी कई पाठ्य-पुस्तकों का प्रकाशन भी किया। भारत और हिंदी के प्रति उनका यह प्यार ही रहा कि उन्हें चेक सरकार ने भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया था।

पोलैंड के क्षितोफ मारिया ब्रिस्की इसी श्रृंखला के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आप नब्बे के दशक के शुरुआती दिनों में भारत में पोलैंड के राजदूत थे। तब दिल्ली में हिंदी की गष्ठियों में उनकी उपस्थिति अनिवार्य समझी जाती थी। दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार संग्रहालय में उन्होंने अनंतशायी का अंकगणित जैसे विषय पर धाराप्रवाह हिंदी में भाषण देकर लोगों का दिल जीत लिया था। ब्रिस्की ने संस्कृत एवं हिंदी का अध्ययन काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया था। इसके बाद वे पोलैंड लौट गए। वहां उन्हें प्राच्यविद्या अध्ययन संस्थान में प्राध्यापक की नौकरी मिल गई। जहां बाद में उन्हें निदेशक बना दिया गया। सन् 1932 से स्थापित यह संस्थान पोलैंड में भारतीय संस्कृति और हिंदी और बंगला भाषा में अध्ययन एवं अध्यापन का प्रमुख केंद्र रहा। ब्रिस्की के प्रयास से ही यहां एक और भारतीय भाषा तमिल की पढ़ाई भी होने लगी। चूंकि बिस्की भारत में रहे हैं भारतीय धर्म-संस्कृति के साथ ही पर्व और त्योहारों को ना सिर्फ गहराई से देखा-समझा है, बल्कि उसे जिया भी। शायद यही वजह है कि हिंदी शिक्षण को लेकर उनके मन में खास भाव रहा।

जापान के ओसाको शहर में रह रहे मिवाको कोईजुका ने वहां पर हिंदी को लोकप्रिय बनाने में खास भूमिका निभाई है। आपने हिंदी सिनेमा के द्वारा जापानी धरती पर हिंदी शिक्षण में नयी क्रांति ला दी है। इतना ही नहीं, वहां हिंदी फिल्मों के साथ टी॰वी धारावाहिकों और नाटकों का भी हिंदी शिक्षण में व्यापक उपयोग किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत प्रमुख हिंदी धारावाहिक *रामायण* को हिंदी पाठ्य-सामग्री के तौर पर तैयार किया गया है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गिरीश बक्शी के सहयोग से लोकप्रिय धारावाहिक रामायण को हिंदी पाठ्य-सामग्री के रूप में तैयार करने के लिए लिप्यांकित करके प्रकाशित भी करवाया है।

विदेशी धरती पर हिंदी की सेवा करने वाले सितारों में रूप के पी॰ए॰ वारान्निकोव और जर्मनी के लोठार लुत्से का नाम भी सम्मान के साथ लिया जाता है। लोठार लुत्से भारत में जर्मनी के सांस्कृतिक केंद्र मैक्समूलर केंद्र के निदेशक रहे हैं। उनकी पत्नी बारबरा लुत्से भी नब्बे के दशक के आखरी दिनों में मैक्समूलन केंद्र की निदेशिका रहीं। पति-पत्नि दोनों के कार्यकाल में यहां पर हिंदी कवियों के रचनाओं का पाठ और हिंदी गोष्ठियों का आयोजन किया जाता था। लोठार लुत्से ने हिंदी के कई कवियों की कविताओं का अनुवाद जर्मन भाषा में किया जिनमें मुख्य रूप से विष्णु खरे और अशोक वाजपेयी की कविताओं की अनुदित कृतियां प्रमुख हैं। रूस के पी॰ए॰ वारान्निकोव ने रामायण को रूसी भाषा में अनुवाद किया है। साथ ही आप हिंदी में भी साहित्य सृजन करते रहे हैं। मॉस्को विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाते समय वारान्निकोव हिंदी समाचार पत्रों के लिए समय-समय पर लेख भी लिखते रहें।

जन्म से विदेशी लेकिन दिल से हिंदी इन हिंदी सेवियों के योगदान की चर्चा के बिना हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास पूरा नहीं होता। बाजारवाद के इस दौर में अंग्रेजियत के खिलाफ खड़े होने के लिए हमें यह हिंदीसेवी हमेशा प्रेरित करते रहेंगे।

पर्यवेक्षक (राजभाषा)
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
हैदराबाद हवाई अड्डा, हैदराबाद-16

कार्यशाला

'ग' क्षेत्र

क्षेत्रीय कार्यालय मैसूर विजया बैंक

विजया बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय मैसूर में हिंदी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि कार्पोरेशन बैंक के वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी श्री गोवर्धन राव ने ''शाखा प्रबंधकों का राजभाषा हिंदी के प्रति दायित्व'' विषय पर व्याख्यान दिया। संगोष्ठी के अध्यक्ष के रूप में क्षेत्रीय प्रबंधक श्री नरसिम्हा राव ने अपने व्याख्यान में कहा कि शाखा स्तर पर राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए केवल शाखा प्रबंधक की जवाबदेही हैं। इसलिए राजभाषा नियम अधिनियम के तहत शाखा प्रबंधक को यह सुनिश्चित करना हैं कि उनकी शाखा में सभी दस्तावेज, मुद्रित साहित्य आदि हिंदी और अंग्रेजी में हो। अध्यक्षीय भाषण में क्षेत्रीय प्रबंधक श्री नरसिम्हा राव ने कहा कि हमें अपने कार्यालय के कामकाज में हिंदी का प्रयोग अधिक मात्रा में करना हैं।

आकाशवाणी, कटक

आकाशवाणी, महानिदेशालय और राजभाषा विभाग ने निर्देशों के अनुपालन तथा सरकारी कामकाज हिंदी में करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आकाशवाणी के सम्मेलन कक्ष में दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस कार्यशाला में राजभाषा हिंदी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। कार्यशाला के प्रथम दिवस का विषय था **'कार्यालयीन टिप्पण और पत्राचार'**। इस विषय पर ईस्ट कोस्ट रेलवे के सेवानिवृत्त हिंदी अधिकारी श्री शरत् चन्द्र प्रधान ने चर्चा की। उन्होंने कार्यालयीन कामकाज में हिंदी, सरल हिंदी के प्रयोग पर बल देते हुए अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रतिभागियों को प्रेरित किया।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (का-1), हैदराबाद

केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद के नेतृत्व में नवगठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (केंद्र सरकारी कार्यालय-1) की पहली बैठक का आयोजन संस्थान के सम्मेलन कक्ष में किया गया। बैठक संस्थान के उप निदेशक प्रभारी एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष डॉ॰ मुनव्वर हुसैन काज़मी की अध्यक्षता में हुई।

बैठक को संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष डॉ॰ मुनव्वर हुसैन काज़मी ने कहा कि इससे पूर्व हैदराबाद नराकास में 200 से अधिक सदस्य कार्यालय थे। परन्तु राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने इसे 50-50 कार्यालयों के समूह के रूप में विभाजित करते हुए नराकास (केंद्र सरकार कार्यालय-1) की अध्यक्षता का केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद को सौंपी। उन्होंने यह दायित्व सौंपे जाने के प्रति राजभाषा विभाग को धन्यवाद दिया। यह भी कहा कि हम सब मिल-जुल कर अपने कार्यालयों के साथ ही नराकास में हिंदी का अधिक से अधिक उपयोग करने का प्रयास करेंगे।

श्री अरुण कुमार मंडल, वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी दक्षिण मध्य रेलवे ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यह समिति राजभाषा से संबंधित कार्यों को कब, कहां और कैसे अंजाम देना है इस बारे में रूपरेखा बनाने के साथ ही नराकास की बैठकों के लिए आवश्यक योजना तैयार कर सौंपने और सदस्य कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए योजनाएं बनाने की भूमिका निभाएगी। उन्होंने समिति द्वारा पेपरलेस कामकाज की पद्यति को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए समिति के सदस्यों को ई-मेल, वॉटस अप जैसे आधुनिक संचार माध्यमों का उपयोग करने का आग्रह किया।

प्रसार भारती, आकाशवाणी कोलकाता

आकाशवाणी, कोलकाता केन्द्र द्वारा केंद्र के प्रथम तल स्थित युववाणी हॉल में दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में डॉ॰ कामना कवयित्री, हिंदी प्राध्यापिका द्वारा कंप्यूटर में यूनिकोड की स्थापना व हिंदी में कार्य विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कंप्यूटर में राजभाषा हिंदी में यूनिकोड सॉफ्टवेयर की सहायता से कार्यालयीन कार्य करने की प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने अंग्रेजी वाक्य/पंक्ति का हिंदी में लिप्यांतरण भी कर दिखाया। सभी प्रशिक्षार्णी ने एक कर उनसे इस द्विभाषीकरण की विधि की जानकारी ली तथा बहुत ही उत्सुकता से कक्षाओं में प्रशिक्षण का लाभ उठाया। उन्होंने यूनिकोड साफ्टवेयर की स्थापना केंद्र के कंप्यूटर में किया तथा साथ-साथ प्रशिक्षार्थियों को अभ्यास भी कराया।

आकाशवाणी, राउरकेला

आकाशवाणी, कटक की संयोजना में आकाशवाणी, राउरकेला में दो दिवसीय संयुक्त हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। आकाशवाणी, कटक के सहायक निदेशक (रा॰भा॰) श्री सुरेन्द्रनाथ सामल ने सभी अधिकारी/कर्मचारियों को अवगत करते हुए हिंदी कार्यशालाओं के आयोजन के संबंध में सभा को अवगत कराया। कार्यक्रम निष्पादक श्री दोलामणि बार्ला ने हिंदी कार्यक्रमों के प्रसारण पर बल दिया उ॰श॰प्रे॰ कटक के सहायक निदेशक (अभि॰) श्री पी॰आर॰एल॰ राव ने राजभाषा हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला कार्यालयाध्यक्ष श्री उदित कुमार साहू ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि कार्यशालाओं के आयोजन से ही हमें कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने सभी प्रशिक्षार्थियों से आग्रह किया कि अपने-अपने कार्यालय में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करें।

राज्य कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, हैदराबाद

राज्य कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, तेलंगाना, हैदराबाद में 'हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। अपने अध्यक्षीय भाषण में आर॰ के॰ चौधुरी ने कहा कि कार्यालय के सभी अधिकारी व कर्मचारियों को यह नितांत आवश्यक है कि उन्हें हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न कठिनाइयों का निवारण कर राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना चाहिए। मुख्य वक्ता श्री कमालुद्दीन ने हिंदी शब्दों का मानकीकरण तथा उनका संदर्भानुसार प्रयोग के बारे में समझाते हुए हिंदी वर्णमाला में स्वर, व्यंजन, सर्वनामों के साथ विभक्ति का संदर्भानुसार प्रयोग आदि विषयों पर कर्मचारियों को अवगत कराया।

एमसीएफ, हासन

एमसीएफ-हासन में कार्यरत सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, वरिष्ठ

वैज्ञानिक सहायक एवं वैज्ञानिक सहायकों के लिए एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई इस कार्यशाला में श्री आर॰ जयपाल, हिंदी अधिकारी, आईआईएसटी, तिरुवनंतपुरम ने बड़े ही रोचक ढंग से हिंदी कार्यान्वयन से नियमों की जानकारी दी। उन्होंनें कार्यशाला के माध्यम से इस बात से भी सभी को अवगत कराया कि हिंदी ही हमारी राजभाषा क्यों है, तथा अन्य भाषाओं के साथ तालमेल बैठाते हुए हिंदी का प्रगामी प्रयोग कैसे बेहतर किया जा सकता है।

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), भुवनेश्वर, ओडिशा

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओडिशा, भुवनेश्वर कार्यालय में तीन दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रारंभ में हिंदी प्रकोष्ठ के श्री आर॰ एन॰ चांद ने सभी अधिकारी एवं कर्मचारी प्रतिभागियों का स्वागत किया एवं कार्यशाला के कार्यक्रम के बारे में सूचित करते हुए जानकारी दी कि इस बार भी कार्यालय के अलग-अलग वर्गों के काम-काज के विषयों के अनुसार कार्यशाला में वर्गवार प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया।

तीन दिन के इस कार्यशाला में कार्यालय के निधि वर्ग, प्रशासन वर्ग, पेंशन वर्ग एवं लेखा व वी॰एल॰सी॰ वर्ग के कार्यों से संबंधित विषयों पर हिंदी टिप्पणी एवं मसौदा लेखन पर प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा कार्यालयीन शब्दावली, सामान्य पत्राचार, राजभाषा नीति एवं नियमों के बारे मे भी जानकारी दी गई।

आकाशवाणी, कटक

आकाशवाणी महानिदेशालय और राजभाषा विभाग के दिशा-निर्देर्शों के अनुपालन तथा सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करने के उद्देश्य से दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। दो दिवसीय इस कार्यशाला का प्रथम दिवस का विषय था ''कार्यालयीन पत्राचार'' इस विषय पर हिंदी शिक्षण योजना, कटक के हिंदी प्राध्यापक प्रदीप कुमार साहू ने विस्तार से चर्चा की एवं अभ्यास करवाया। उन्होंने कार्यालयीन कार्य में सरल हिंदी का प्रयोग करते हुए शुद्ध हिंदी कैसे लिखी जाए, इस पर बल देते हुए प्रतिभागियों को अधिक से अधिक कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने प्रतिभागियों को कार्यालयीन पत्राचार के विभिन्न रूपों यथा पत्र, परिपत्र, आदेश, ज्ञापन, कार्यालय आदेश के संबंध में जानकारी दी। आमंत्रित व्याख्याता द्वारा कार्यशाला में प्रतिभागियों की शंकाओं का समाधान भी किया गया।

द्वितीय दिवस का विषय था ''व्यावहारिक हिंदी व्याकरण इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए डॉ॰ रश्मिरेखा जेना, प्रवक्ता को आमंत्रित किया गया था। डा॰ जेना ने अपने व्याख्यान में कहा कि हिंदी सबसे ज्यादा बोली और समझी जाने वाली भाषा है। हमें बेझिझक अपनी भाषा हिंदी में ही काम करना चाहिए। उन्होंने ''व्यावहारिक हिंदी व्याकरण'' विषय पर विस्तार से चर्चा की एवं उदाहरण प्रस्तुत करते हुए प्रतिभागियों को समझाया और अभ्यास भी करवाया।

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण मुरगांव, गोवा

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण मुरगांव में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। डॉ॰ शुभ्रता मिश्रा, हिंदी प्रशिक्षक एवं स्वतंत्र लेखन को उक्त कार्यशाला में अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। आमंत्रित वक्ता ने पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से हिंदी में कार्य करने के लिए

प्रोत्साहित करने के लिए राजभाषा नीति एवं उसके कार्यान्वयन के तत्वों पर विस्तार से प्रकाश डाला। हिंदी प्रयोग में सहायता के लिए उपलब्ध विभिन्न साईटों, साफ्टवेयरों एवं पुस्तकों की जानकारी भी दी। साथ ही इन मदों से संबंधित उपस्थिति की जिज्ञासाओं का भी समाधन किया।

महानिदेशालय असम राइफल्स, शिलांग

भारत सरकार, गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) के निर्देशानुसार केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाना उपेक्षित है जिससे कि अधिकारियों/कर्मचारियों को दैनिक कामकाज में आने वाली दिक्कतों के ऊपर चर्चा करके उनका निराकरण कर लिया जाए और ज्यादा से ज्यादा सरकारी कामकाज हिंदी में ही किया जाए। भारत सरकार के इस निर्देश के अनुपालन के क्रम में इस निदेशालय में नराकास स्तर पर एक दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। हिंदी कार्यशाला के पहले दिन केन्द्रीय हिंदी संस्थान, शिलांग के क्षेत्रीय निदेशक श्री विद्याशंकर शुक्ल को अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। कार्यशाला के प्रथम सत्र में उन्होंने राजभाषा नीति तथा द्वितीय सत्र में हिंदी व्याकरण के ऊपर व्याख्यान दिया। साथ ही उन्होंने कार्यालयों के दैनिक कामकाज में आने वाली छोटी-मोटी कठिनाईयों के ऊपर भी प्रकाश डाला तथा उनके निराकरण के बारे में भी जानकारी दी।

आकाशवाणी केन्द्र, हैदराबाद

आकाशवाणी केन्द्र, हैदराबाद की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में कर्मचारियों के लिए कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यालय की सहायक निदेशक (राजभाषा) श्रीमती यू॰ गायत्री देवी ने आमंत्रित व्याख्याता, कार्यक्रम प्रमुख, प्रशासनिक अधिकारी सहित सभी उपस्थित मल्टी टास्क कर्मचारियों का स्वागत करते हुए कार्यशाला के उद्देश्य और रूपरेखा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी महानिदेशालय के अनुदेशों का पालन करते हुए आकाशवाणी, हैदराबाद केन्द्र पर नियमित रूप से प्रति तिमाही हिंदी कार्यशाला आयोजित की जाती है। इस प्रकार यह वर्ष 2016 की दूसरी कार्यशाला हैं उन्होंने प्रतिभागियों से कार्यशाला का पूरा लाभ उठाते हुए इसे सफल बनाने की अपील की।

कार्यक्रम प्रमुख श्री वी॰ उदय शंकर ने हिंदी के महत्व के बारे में प्रकाश डालते हुए उपस्थित प्रतिभागियों से कहा कि जब भी हम अन्य राज्यों में जाते हैं, छोटे-छोटे हिंदी शब्दों के आदान-प्रदान से काम को आसानी से कर सकते हैं। अच्छी हिंदी में कैसे बोला जाए, इसका अभ्यास हमें ऐसी कार्यशालाओं में करने का अवसर प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी हिंदी कार्यशाला में उत्साहपूर्वक भाग लें एवं इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

आकाशवाणी, गुवाहाटी

श्री एम॰एस॰ अंसारी, अपर महानिदेशक (अभियांत्रिकी) की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित की गई। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस कार्यालय में कर्मचारियों की कमी के कारण प्रवीण, प्राज्ञ तथा पारंगत पाठ्यक्रम के लिए एक ही कर्मचारी को नामित किया जा सकता है।

आकाशवाणी तृश्शूर, केरल

आकाशवाणी तृश्शूर, केरल के राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक श्री एन॰एस॰ सनिल कुमार, निदेशक (अभि॰) की अध्यक्षता में

संपन्न हुई। अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा श्री वी॰जी॰ सुरेश बाबु, सहायक अभियंता को समिति के नए सदस्य के रूप में स्वीकार करने की घोषणा की। अध्यक्ष महोदय ने प्रत्येक अनुभाग से विशेषत: लेखा तथा स्थापना अनुभाग से ध्यान देने तथा लक्ष्य हासिल करने का अनुरोध किया।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), बेंगलूर

केनरा बैंक, कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, बेंगलूर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), बेंगलूर के तत्वावधान में केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, बेंगलूर द्वारा नराकास (बैंक), बेंगलूर के सभी सदस्य कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए यूनिकोड कार्यशाला का आयोजन किया गया। श्री अनिल कुमार केशरी, अधिकारी, केनरा बैंक, राजभाषा अनुभाग, प्रधान कार्यालय ने विभिन्न सत्र चलाए। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने यूनिकोड का परिचय, हिन्दी की बोर्ड का प्रतिष्ठापन, यूनिकोड फांट्स, यूनिकोड पर टाइपिंग, यूनिकोड में उपलब्ध अन्य सुविधाओं से प्रशिक्षणार्थियों को अवगत कराया। प्रशिक्षण के दौरान हैंड्स ऑन अभ्यास भी कराया गया।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राज्य कार्यालय, आंध्रप्रदेश

राज्य कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, आंध्रप्रदेश, हैदराबाद में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री एन॰ राजा प्रसाद ने कहा कि जनवरी-मई, 2016 सत्र में पारंगत पाठयक्रम में प्रशिक्षित सभी अधिकारी व कर्मचारियों को अपने कार्यालयीन काम में प्रति दिन कम से कम एक टिप्पणी हिंदी में लिखने की कोशिश करें। आगे उन्होंने बताया कि ''हिंदी शिक्षण योजना'' के अंतर्गत पारंगत पाठ्यक्रम के अगले सत्र में योग्यतानुसार शेष सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए नामांकित किया जाएगा। अंत में उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे अपना रोजमर्रा कार्य में हिंदी का अधिक प्रयोग करें ताकि राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को शीघ्र ही प्राप्त किया जा सके।

भाकृअनुप-राष्ट्रीय पटसन एवं समवर्गी रेशा प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कोलकाता

राष्ट्रीय पटसन एवं समवर्गी रेशा प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कोलकाता में हिंदी अनुभाग के प्रभारी अधिकारी श्री आर॰डी॰ शर्मा, सहायक निदेशक (राजभाषा) की अध्यक्षता में राजभाषा हिंदी तथा टिप्पणी एवं मसौदा लेखन विषय पर एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। सत्राध्यक्ष श्री आर॰डी॰ शर्मा सहायक निदेशक ने कार्यशाला में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को बताया कि इस प्रकार के कार्यशाला का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि हिंदी में कार्य करते समय आने वाली कठिनाईयों को दूर किया जा सके। इसके साथ ही साथ उन्होंने सभी प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि वे इस कार्यशाला में अपने दैनिक कार्यालयी कार्य करने के दौरान आने वाली समस्याओं को दूर करें तथा इस दौरान अर्जित किए गए ज्ञान को अमल में लाएं।

श्रीमती भट्टाचार्या ने हिंदी को राजभाषा बनाए जाने एवं संविधान में राजभाषा की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया और इसको लागू करने के लिए राजभाषा विभाग के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने राजभाषा नियम तथा अधिनियम के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने प्रतिभागियों को विषय की जानकारी हिंदी, बांग्ला एवं अंग्रेजी माध्यम से दिया ताकि प्रतिभागियों को आसानी से समझ में आ जाए। इसके

साथ ही साथ उन्होंने प्रतिभागियों की हिंदी भाषा संबंधी अड़चनों से अवगत होते हुए उनकी व्याकरण की कमियों को दूर करने के गुर सिखाए तथा प्रतिभागियों ने विशेषज्ञ से राजभाषा नीति विषयक एवं व्याकरण में आने वाली दिक्कतों से संबंधित सवाल किए जिसका विशेषज्ञ ने सरल तरीके से समझाकर उनका समाधान किया। उन्होंने लिंग, काल एवं कारक पर पूरे विस्तार से चर्चा और उदाहरण देकर समझाया। इसके साथ ही साथ उन्होंने हिंदी के मानकीकरण पर विस्तार से चर्चा की।

प्रधान आयकर आयुक्त, पूर्वात्तर क्षेत्र

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए आदेशों/अनुदेशों तथा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुपालन में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का संचालन कार्यालय के वरिष्ठ हिंदी अनुवादक श्री रामलाल शर्मा ने किया जिन्होंने सभी अनुभागों में जाकर आयकर निदेशालय, नई दिल्ली द्वारा तैयार मानक प्रारूपों की सी डी सभी प्रतिभागियों के कंप्यूटरों में संस्थापित करवाया और उक्त सीडी में दिए गए प्रारूपों को खोलने, एडिट करने और संबंधित अनुभागों के कार्य में अधिकाधिक उपयोग करने हेतु जानकारी दी।

आकाशवाणी, कोलकाता

आकाशवाणी, कोलकाता केंद्र की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक उप महानिदेशक (कार्यक्रम) के कक्ष में श्री सौम्येन्द्र कुमार बसु, सहायक निदेशक (कार्यक्रम) आकाशवाणी, कोलकाता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। अध्यक्ष महोदय ने धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी कागजातों पर लगातार ध्यान रखते हुए सभी कागजात केवल द्विभाषी ही जारी करने का निर्देश दिया। सहायक निदेशक (राजभाषा) ने सूचित किया कि कार्यक्रम अनुभागों से स्वर परीक्षण फार्म, परिणाम फार्म तथा बुलावा पत्र आदि संग्रह कर संबंधित अनुभागों को द्विभाषीकरण कर जमा कर दिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों को सुझाव दिया कि अगर कोई फार्म द्विभाषी न हुआ हो तो संबंधित अधिकारी उसे द्विभाषी हेतु हिंदी एकक को भेजें तथा आगे से अवश्य ही द्विभाषी रूप में भेजें। इस प्रकार राजभाषा हिंदी में प्रचार-प्रसार को गति प्राप्त होगी।

मानव संसाधन प्रबंधन अनुभाग, अंचल कार्यालय बेंगलूर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), बेंगलूरु के तत्वाधान में केनरा बैंक, अंचल कार्यालय, बेंगलूरु द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), बेंगलूरु के सदस्य कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए ''संयुक्त हिंदी कार्यशाला'' का आयोजन किया गया। पूर्णदिवसीय संयुक्त हिंदी कार्यशाला का विधिवत् उद्घाटन डॉ॰ सोहन लाल, सदस्य सचिव, नराकास (बैंक), बेंगलूरु एवं सहायक महाप्रबंधक, केनरा बैंक, राजभाषा अनुभाग, मानव संसाधन विभाग, प्रधान कार्यालय, बेंगलूरु ने किया। इस अवसर पर श्री के॰ वेदांतम, मंडल प्रबंधक, केनरा बैंक, कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, बेंगलूरु भी उपस्थित थे। डॉ॰ सोहन लाल, सदस्य सचिव नराकास (बैंक), बेंगलूरु एवं सहायक महाप्रबंधक, केनरा बैंक, राजभाषा अनुभाग, मानव संसाधन विभाग, प्रधान कार्यालय, बेंगलूरु ने अपने संबोधन में नराकास (बैंक), बेंगलूरु के तत्वाधान में केनरा बैंक अंचल कार्यालय, बेंगलूरु द्वारा आयोजित संयुक्त हिंदी

कार्यशाला के आयोजन का उद्देश्य रेखांकित करते हुए राजभाषा हिंदी में अपना अधिक से अधिक कार्यालयीन काम करने के प्रति प्रतिभागियों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया।

कार्यालय मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, असम परिमंडल

कार्यालय मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, असम परिमंडल, गुवाहाटी के सम्मेलन कक्ष में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में परिमंडल कार्यालय के सहायक निदेशक (रा॰भा॰) द्वारा उपस्थित कर्मचारियों को संबोधन किया गया। हिंदी शिक्षण योजना के तहत नामित प्रवीण व प्राज्ञ के प्रशिक्षार्थियों को चयनित करके परीक्षा के अंतर्गत सिलेबस तथा कार्यालयीन हिंदी पर व्याख्यान दिया गया। हिंदी में कार्यालय ज्ञापन, अर्द्धशासकीय पत्र के नमूना तथा हिंदी पर्यायवाची शब्द संस्करण पर सभी से विचार-विमर्श किया गया। साथ में पाठ्य पुस्तक में उल्लिखित प्रश्नावली पर भी चर्चा की गई ताकि सभी प्रवीण व प्राज्ञ परीक्षार्थियों को परीक्षा में अच्छा परिणाम प्राप्त करने में सहयोग मिले।

'ख' क्षेत्र

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, राजकोट

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, कोठी कंपाउंड, राजकोट के सभाकक्ष में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, राजकोट की बैठक का आयोजन किया गया। श्री पी॰बी॰ सिंह, सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष ने अपने संबोधन से पूर्व उपस्थित सदस्यों से व्यक्तिगत परिचय प्राप्त किया गया तथा बताया कि नराकास-राजकोट लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर जागरूक हैं। हम अपने साथ अन्य केंद्रीय कार्यालयों/निगमों को जोड़ रहे हैं। आशा है कि निकट भविष्य में सभी केंद्रीय कार्या॰/निगम हमसे जुड़ेंगे तथा एक मंच पर उपस्थित होकर राजभाषा विषयक सक्रियता को बढ़ाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रति वर्ष की भांति दो केंद्रीय कार्यालयों एवं दो निगम कार्यालयों को उनकी सर्वांगीण सक्रियता के आधार पर इसी बैठक में शील्ड प्रदान की जा रही है।

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, उत्तर-पश्चिम क्षेत्र, चंडीगढ़

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, चंडीगढ़ क्षेत्र की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक श्री राजेन्द्र कुमार, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, उ॰प्र॰ क्षेत्र, चंडीगढ़ की अध्यक्षता में आयोजित की गई। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सभी सदस्य बैठक के लिए गए निर्णयों को अपने-अपने कार्यालयों में लागू करवा कर शीघ्र अनुपालन रिपोर्ट सहायक (रा॰भा॰) को अवश्य भेजें।

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, उत्तर-पश्चिम क्षेत्र, चंडीगढ़

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, चंडीगढ़ क्षेत्र एवं मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संयुक्त तिमाही बैठक श्री राजेन्द्र कुमार, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, उ॰प॰ क्षेत्र, चंडीगढ़ की अध्यक्षता में आयोजित की गई। अध्यक्ष महोदय ने यह कहा कि सभी कार्यालयों में हिंदी और अंग्रेजी में प्राप्त सभी पत्रों की पावतियां हिंदी में अवश्य दी जाएं। इससे जहां हिंदी पत्राचार की मात्रा में वृद्धि होगी वहीं पत्र भेजने वाला भी आश्वस्त होगा कि उसका पत्र कार्यालय मे प्राप्त हो गया है और उस पर अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आयकर आयुक्त (ऑडिट) लाइब्रेरी के लिए हिंदी और अंग्रेजी की पुस्तकें खरीदने के लिए सभी कार्यालयों से

सुझाव/पुस्तकों के नाम मंगाएं और उनके अनुसार पुस्तकों की खरीद की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि हम सरकारी कार्य बोल-चाल की भाषा का प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही इससे हिंदी में हर प्रकार का कार्य करने में अधिक सुविधा होगी। इससे हिंदी में नोटिंग करना और भी आसान होगा क्योंकि जिस शब्द का हिंदी पर्याय ध्यान में नहीं आता है उस अंग्रेजी के शब्द को देवनागरी में लिखा जा सकता है।

रेल मंडल, सतारा स्टेशन, पुणे

मध्य रेल के पुणे मंडल पर राजभाषा विभाग द्वारा रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार मंडल अधिकारियों के लिए अधिकारी हिंदी डिक्टेशन कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में मंडल की विभिन्न शाखाओं के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला के उद्घाटन समारोह के अवसर पर अध्यक्ष-अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक, श्री मिलिन्द देऊस्कर ने बताया कि इस प्रशिक्षण से अधिकारियों का हिंदी में सीधे डिक्टेशन देने की झिझक दूर होती है और वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं तथा हिंदी में कार्य करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दे पाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इससे मंडल के सभी अधिकारियों में हिंदी में डिक्टेशन देने की जागरूकता उत्पन्न हुई है। इस तरह के प्रशिक्षण कार्यालयीन कामकाज में राजभाषा हिंदी की प्रगति के अति लाभकारी है।

'क' क्षेत्र

आकाशवाणी, इन्दौर

सरकार ने सभी कार्यालयों मे विभागीय पत्रिकाएं इस उद्देशय से जारी करने का निर्णय लिया है ताकि राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा मिले तथा उभरती प्रतिभाओं की रचनाधर्मिता को प्रोत्साहन मिले और विभिन्न विभाग एक-दूसरे की गतिविधियां से परिचित हो सकें। इसलिए आप समाज के बारे में जैसा सोचते हैं, वैसा ही अपने शब्दों में काव्य अथवा गद्य किसी भी रूप में लिखना शुरू करें। इससे हम अपनी भाषा को संभाल कर रख सकते हैं। ये विचार आकाशवाणी, इन्दौर की गृह पत्रिका 'वाणी' को आकाशवाणी महानिदेशालय, नई दिल्ली द्वारा सर्वश्रेष्ठ गृह पत्रिका पुरस्कार योजनान्तर्गत सम्मानित किए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह में साहित्यकार श्री राकेश शर्मा, सहायक निदेशक (राजभाषा), कर्मचारी राज्य बीमा निगम, इन्दौर ने व्यक्त किए। समारोह विषय पर व्याख्यान देते हुए श्री राकेश शर्मा ने कहा कि आज हमें अपनी भाषा को बचाना है अन्यथा आने वाली पीढ़ी हिंदी को रोमन में लिखना ही पसंद करने लगेगी। उन्होंने देवनागरी लिपि, वर्तनी और भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप को ऐतिहासिक सन्दर्भों के साथ प्रस्तुत किया और अपनी मातृभाषा व राजभाषा हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला।

अंतरिक्ष विभाग/इसरो मुख्यालय, नई दिल्ली

वर्ष 2015-16 के दौरान विभाग में राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सोलिस (स्पेस ऑफिशियल लैंग्वेज इंसेंटिव स्कीम) नामक नई प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत विभिन्न पुरस्कार योजनाएं बनाई गई, जिसमें से एक श्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन के लिए विभाग के 7 अनुभागों द्वारा नामांकन प्राप्त हुए एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों के मूल्यांकन हेतु गठित समिति द्वारा विभिन्न मानदंडों के आधार पर उनके कार्यों की समीक्षा कर उनका मूल्यांकन किया गया। इस पुरस्कार समारोह के दौरान

सचिव अं॰वि॰/अध्यक्ष इसरो ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी तथा भविष्य में भी इसी प्रकार अपना योगदान देते रहने को कहा। उन्होंने बलपूर्वक कहा कि ''इसरो जैसी संस्था से देश को बहुत आशा है अत: यहां के कार्मिकों को अपने हिस्से से भी अधिक कार्य करने की आवश्यकता है।''

सीएसआईआर-भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, मोहकमपुर, देहरादून

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून के राजभाषा अनुभाग द्वारा आयोजित आंतरिक हिंदी वैज्ञानिक संगोष्टियों के आयोजन के क्रम में हाल ही में 51वीं आंतरिक हिंदी वैज्ञानिक संगोष्ठी संस्थान के सी वी रमन व्याख्यान कक्ष में आयोजित की गई। संगोष्ठी का उदघाटन करते हुए संस्थान के मुख्य वैज्ञानिक डॉ॰ एस एम नानोटी के कहा कि राजभाषा अनुभाग द्वारा प्रारंभ की गई आंतरिक हिंदी वैज्ञानिक संगोष्ठियों की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला की सराहना की जानी चाहिए। मेरा विश्वास है इससे अन्य संस्थानों के वैज्ञानिक भी प्रेरणा लेंगे जिससे हिंदी का विकास होगा। इस मौके पर राजभाषा अनुभाग के प्रभारी डॉ॰ दिनेश चंद्र चमोला ने कहा कि विज्ञान के कार्य को हिंदी व भारतीय भाषाओं में अभिव्यक्ति प्रदान करना एक राष्ट्रीय महत्व का कार्य है, विज्ञान लेखन में जितनी अधिक मौलिकता होगी, उतनी ही अधिक शब्दावली का प्रयोग बढ़ेगा और विज्ञान के लोकप्रियकरण का यह अनुष्ठान जन-जन तक अपनी पहुंच बनाने में सक्षम होगा। सही अर्थों में विज्ञान तभी जन जागरुकता में बदल सकता है जब वह अंग्रेजी का वैशाखी छोड़ मूल रूप से अपनी भाषा में अभिव्यक्त होने लगेगा। संगोष्ठियों की यह अबाध श्रृंखला उसी प्रयास का जीवंत प्रमाण है।

यूको बैंक, अंचल कार्यालय, पटना

यूको बैंक, अंचल कार्यालय, पटना के तत्वावधान में हिंदी की कार्यशाला आयोजित की गई। अपने संबोधन में अंचल प्रबंधक श्री अरविंद कुमार कंठवाल ने कहा कि हिंदी संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती है। राजभाषा हिंदी में कार्य करना हमारी संवैघानिक बाध्यता तथा व्यावसायिक आवश्यकता है। बेहतर ग्राहक सेवा एवं व्यवसाय संवर्धन के लिए ग्राहकों के साथ उनके स्तर के अनुरूप तथा उनकी भाषा में संवाद करना आवश्यक है। हमें हिन्दी में काम करने में गौरव का अनुभव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे बैंक में हिंदी का प्रयोग हो भी रहा है, किंतु इसे और तीव्र गति से बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। उन्होंने आंकड़ों के मकड़जाल से भी बाहर आने की सलाह दी ।

क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, नगड़ी, रांची

क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, नगड़ी, रांची में विशेष हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। श्री रामवृक्ष चौधरी, स॰नि॰ राजभाषा ने इंडिक लैंग्वेज इनपुट टाईपिंग प्रणाली पर विशेष हिंदी कार्यशाला मनाए जाने के परिपेक्ष में विशेष तौर पर प्रकाश डाला तथा कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करते हुए शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में करने पर बल दिया। उन्होंने अपने व्याख्यान में यूनिकोड के संबंध में जानकारी से अवगत कराते हुए कम्प्यूटर पर यूनिकोड संस्थान एवं भारतीय भाषाओं को सक्रिय करने के संबंध में कम्प्यूटर पर कर्मचारियों को प्रैक्टिकल कराते हुए बतलाया। श्री रामवृक्ष चौधरी स॰नि॰ (राजभाषा) ने कहा कि इंडिक लैंग्वेज इनपुट टाईपिंग प्रणाली द्वारा सभी कार्य हिंदी में करना आसान है। जैसे- वर्ड

प्रोसेसिंग, ई-मेल, वेबसाइड निर्माण आदि। श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, स॰नि॰ ने अपने व्याख्यान में कहा कि यूनिकोड एक अन्तर्राष्ट्रीय मानक है जो विश्व की लेखनीबद्ध भाषाओं के लिए सभी कैरेक्टरों को इनकोड करने की क्षमता रखता है। यूनीकोड प्रत्येक अक्षर के लिए एक विशेष नम्बर प्रदान करता है, चाहे कोई भी प्लेटफार्म हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे कोई भी भाषा हो। इस प्रोग्राम से हिंदी की-वर्ड पर किसी भी सर्च इंजन (गूगल आदि) में सर्च किया जा सकता है। श्री उपाध्याय, स॰नि॰ (राजभाषा) ने बताया कि युनिकोड 16-बी इनकोडिंग का प्रयोग करता है जो 65,000 कैरेक्टरों से भी ज्यादा (65536) के लिए कोड प्वाइंट उपलब्ध करता है। श्री उपाध्याय, स॰नि॰ (राजभाषा) ने कहा कि यूनिकोड स्टैंडर्ड प्रत्येक कैरेक्टर को एक विलक्षण संख्यात्मक मान और नाम देता है जो भारतीय भाषाओं के लिए यूनिकोड इनकोडिंग के लिए यू॰टी॰एफ॰ — 8 का प्रयोग होता है।

केन्द्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रांची

केन्द्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रांची की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 107वीं बैठक संस्थान के सभा कक्ष में डॉ॰ आलोक सहाय, निदेशक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कुछ अनुभागों के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में आंकड़े उचित प्रतीत नहीं होते हैं। ऐसा नियमों के ज्ञान के अभाव में हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदी कार्यशाला में संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। उन्होंने अनुभागीय प्रधानों को यह निर्देश दिया कि अग्रेषित एवं अनुशंसित तथा छुट्टी के आवेदन आदि में दी गई छोटी-छोटी टिप्पणियों को एक अलग कॉलम में दर्शाया जाए। इसे पत्राचार के कॉलम में न जोड़ा जाये। पत्राचार के कॉलम में विशुद्ध रूप से हिंदी में लिखे गए पत्रों को ही दर्शाया जाए। उन्होंने निर्धारित प्रपत्र में तदनुसार संशोधन करने का ही निर्देश दिया।

क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, वस्त्र मंत्रालय, सहसपुर-देहरादून

क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, केन्द्रीय बोर्ड, सहसपुर, देहरादून में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता कार्यालय प्रभारी डॉ॰ पंकज तिवारी, वैज्ञानिक-घ ने की। कार्यशाला में श्री हरिचंद, राजभाषा प्रभारी (सं॰नि॰) ने राजभाषा कार्यान्वयन तथा संघ की राजभाषा नीति पर विस्तार से व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि इस कार्यालय का कार्य तकनीकी प्रकृति का है जिसमें तकनीकी शब्दों के हिंदी पर्याय की आवश्यकता पड़ती है। जब हम हिंदी में काम करते हैं तो किसी तकनीकी शब्द का हिंदी पर्याय न मिलने के कारण हम रूक जाते हैं और फिर सोचते हैं कि अंग्रेजी में काम किया जाए। यह प्रवृत्ति हिंदी में काम करने में बाधक बन जाती है। आज वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने विभिन्न विषयों पर तकनीकी शब्दावलियों का निर्माण किया है। इनकी सहायता से हम किसी भी तकनीकी शब्द का हिंदी पर्याय प्राप्त कर सकते हैं। तथापि, यदि हमें किसी शब्द का हिंदी पर्याय नहीं आता तो हम उसे उसी रूप से देवनागरी में लिख सकते हैं। यदि हम शब्दों की सीमाओं में ही बंधे रहेंगे तो हमारा प्रयास अधिक सार्थक नहीं हो पाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कार्यालय प्रभारी डॉ॰ पंकज तिवारी, वैज्ञानिक-घ ने कहा कि भारत में अनेक विभिन्नताएं हैं, भाषाएं भी भिन्न-भिन्न हैं फिर भी यह अत्यंत गर्व की बात है कि इतनी भाषाई भिन्नताओं के बावजूद भी हिंदी अपना

वर्चस्व बनाए हुए हैं। यह हिंदी भाषा की लोकप्रियता का ही परिणाम है। उन्होंने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे अपना कार्यालयीन कार्य अधिक से अधिक हिंदी में करे।

क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, सहसपुर, देहरादून

क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, सहसपुर, देहरादून में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में श्री सी॰बी॰ द्विवेदी, सहायक निदेशक (रा॰भा॰), भारत संचार निगम लि॰ को मुख्य अथिति वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता कार्यालय प्रभारी डॉ॰ पंकज तिवारी, वैज्ञानिक-घ ने की। कार्यशाला में श्री सी॰बी॰ द्विवेदी, सहायक निदेशक (रा॰भा॰) ने 'हिन्दी मानवतावादी दर्शन की संवाहक है' विषय पर बताया कि हिंदी को एक मानकीकृत रूप दिया गया है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा अनुमोदन मानकीकृत हिंदी का रूप राजकाज की भाषा में प्रयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य यही है कि पूरे देश में भाषाई एकता बनी रहे। हिंदी संस्कृत से निकली हुई भाषा है तथा संस्कृत-संस्कृति-संस्कार को परिभाषित करती है। हिंदी का एक-एक शब्द सुसंस्कारित है एवं स्वयं में पूर्ण है। हिंदी की लिपि वैज्ञानिक है जिसमें पूर्ण वैज्ञानिकता निहित है। भारत पूर्ण मानवतावादी संस्कृति वाला देश है तथा हिंदी का दर्शन मानवतावादी है जिसमें संपूर्ण मानवता के कल्याण की भावना निहित है। अत: हिंदी भाषा को अपनाकर हम मानव कल्याण की कामना को मूर्त रूप दे सकते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कार्यालय प्रभारी डॉ॰ पंकज तिवारी, वैज्ञानिक-घ ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कार्यशाला में बहुत कुछ सीखने तथा हिंदी में कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। हम कार्यशालाओं के माध्यम से जो कुछ भी सीखते व समझतें हैं उसका प्रयोग अपने कार्यालयीन कार्यों में करें तभी कार्यशालाओं की सार्थकता है। हिंदी हमारी मातृ भाषा है इसके लिए हमें अधिक प्रत्यन्न करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

भारतीय विमानपतन प्राधिकरण, उदयपुर

उदयपुर विमान क्षेत्र के कार्मिकों द्वारा कार्यालयी कार्यों में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग एवं राजभाषा नीति की अनुपालना के क्रम में हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। कार्यशाला के प्रथम दिन आमंत्रित व्याख्याता श्री विजय सिंह चौहान द्वारा प्रथम सत्र में ''हिंदी में सामान्य अशुद्धियों से कैसे बचें'' एवं द्वितीय सत्र में ''पारिभाषिक शब्दावली'' विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए प्रतिभागियों की व्यावहारिक कठिनाईयों का निवारण करते हुए कार्यशाला में तत्संबंधी अभ्यास कार्य कराया गया। कार्यशाला के दूसरे दिन आमंत्रित व्याख्याता डॉ॰ जयप्रकाश शाकद्वीपीय, पूर्व राजभाषा अधिकारी, हिंदुस्तान जिंक लि॰ द्वारा प्रथम सत्र में राजभाषा नीति का परिचय एवं द्वितीय सत्र में ''प्रशासनिक एवं कार्मिक मामलों में हिंदी का प्रयोग, कठिनाइयां एवं समाधान'' विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया गया।

पुरस्कार/प्रशिक्षण/प्रदर्शनी

भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई

भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग की स्थापना के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में मुंबई के वाय॰बी॰ चव्हाण सभागृह में आयोजित एक भव्य समारोह में वर्ष 2014-15 के लिए, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को

भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन हेतु तीनों भाषिक क्षेत्र 'क' 'ख' एवं 'ग' के लिए 3 '**प्रथम**' पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बैंक की गृह-पत्रिका '**सेन्ट्रलाइट**' को भी बैंकों की ''**द्विभाषी गृह-पत्रिका पुरस्कार योजना**'' के अंतर्गत 'रिज़र्व बैंक गवर्नर शील्ड' से नवाजा गया.

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भुवनेश्वर (के॰)

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति भुवनेश्वर द्वारा खनिज़ एवं पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर के सहयोग से नराकास भुवनेश्वर के सदस्य कार्यालयों के लिए पाँच दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो॰ बी॰ के॰ मिश्र, निदेशक खनिज़ एवं पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान ने की। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए श्री नितिन जैन, सदस्य-सचिव, नराकास भुवनेश्वर ने कार्यक्रम के आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए अनुवाद की विविधता एवं इसके व्यावहारिक प्रयोग पर अपने विचार रखें। प्रो॰ बी॰के॰ मिश्र ने अपने संबोधन में सर्वप्रथम नराकास भुवनेश्वर द्वारा राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और कहा कि जब मुझे इस कार्यक्रम के आयोजन के विषय में जानकारी हुई तो मुझे बड़ी प्रसन्नता का आभास हुआ। अनुवाद के आयाम हमारे जीवन में बहुत महत्व रखे हैं। अनुवाद के माध्यम से ही हम मुख्य भाषा में कहे गए विचारों को ग्रहण करते हैं और निरंतर उससे प्रेरित होते रहते हैं। उन्होंने अपने संबोधन में अपने व्यावहारिक जीवन के पहलुओं को उजागर किया और इस तरह के आयोजन के माध्यम से प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने पर विशेष बल दिया।

नराकास (बैंक), बेंगलूर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), बेंगलूर के सदस्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों में हिंदी के प्रति रूचि बढ़ाने एवं हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), बेंगलूर द्वारा सभागार में नराकास बैंक, बेंगलूर के सदस्य कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए ''स्मृति परीक्षा (पावर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से) का आयोजन किया गया।'' स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, बेंगलूर अंचल-1, के सहायक महाप्रबंधक श्री बी॰ सी॰ मुरलीधर व स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, प्रधान कार्यालय के सहायक महाप्रबंधक डॉ॰ सुरेश तु॰ राठोड़ एवं नराकास (बैंक), बेंगलूर के सदस्य सचिव व केनरा बैंक के सहायक महाप्रबंधक डॉ. सोहन लाल ने इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया।

पुणे रेल मंडल

महाप्रबंधक, मध्य रेल, मुंबई छशिट द्वारा लोनावला-पुणे सेक्शन के वार्षिक निरीक्षण के दौरान राजभाषा विभाग, पुणे मंडल द्वारा देहूरोड स्टेशन पर राजभाषा प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी का उद्घाटन श्री एस. के. सूद, महाप्रबंधक, मध्य रेल, मुंबई क्षेत्र ने किया। इस अवसर पर श्री बी. के. दादाभेय मंडल रेल प्रबंधक, श्री एस. के. कुलश्रेष्ठ मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं प्रधान मुख्य इंजीनियर मध्य रेल, मुंबई क्षेत्र एवं मुख्यालय के विभिन्न शाखाओं के विभागाध्यक्ष, मंडल के अधिकारी और कर्मचारी, अनेक जन-प्रतिनिधि, रेलयात्री भी उपस्थित थे। प्रदर्शनी में मंडल के सभी कार्यालयों, विभिन्न स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समितियों, स्टेशनों तथा डिपोज में हिंदी में किए जा रहें तकनीकी एवं गैर-तकनीकी कार्यों को भी प्रदर्शित किया।

पाठकों के पत्र

मैं राजभाषा विभाग से पच्चीस वर्ष तक औपचारिक रीति से जुड़ रहा हूं। शेष समय ग्रामीण शिक्षा-जगत से। ऐसी स्थिति में मुझे 'राजभाषा भारती' की याद आती है। पत्रिका से हिंदी संबंधी पर्याप्त जानकारी मिली है। मैं इसे अपने छात्रों को भी पढ़ने के लिए देता हूं। उन्हें अतिरिक्त जानकारी होती है। यह भविष्य में उनके लिए उपयोग हो सकती है।

डॉ पवन कुमार,
डील-2/7 सुशांत गोल्फ सिटी,
सुल्तानपुर रोड, लखनऊ-226030

आपके कार्यालय से जारी पत्रिका राजभाषा भारती अंक 143 प्राप्त हुई। राजभाषा भारती अपने आप में सम्पूर्ण ज्ञान की परिचायक है। इसमें सम्मिलित समस्त विषयवस्तु पाठक के लिए सुदृढ़ मार्गदर्शक का कार्य करती है। सत्येंद्र कुमार सिंह द्वारा लिखित 'हिंदी की सामर्थ्य एवं सार्थकता' जहां पाठकों को इसकी शक्तियों से परिचित कराती है वहीं 'ऑनलाईन गोपनीयता' जैसी विषयवस्तु आधुनिक युग के विकास में अपनी उपयोगिता सिद्ध करती है। राकेश शर्मा 'निशीथ' द्वारा लिखित त्रिआयामी योग-शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पाठकों के लिए प्रेरणा दायक है। हिंदी के प्रति सहयोग की हम सराहना करते है।

ले॰ कर्नल प्रवीण पल्लथ,
असम राइफल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल
पिन-900300

राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित राजभाषा पत्रिका की जुलाई-सितम्बर तथा अक्तूबर-दिसम्बर, 2015 का अंक प्राप्त हुआ। राजभाषा भारती पत्रिका में प्रकाशित लेख व रचनाएं काफी रोचक एवं ज्ञानवर्धक है। प्रस्तुत अंक में लगभग सभी विषयों पर लेख लिखे गए हैं। पत्रिका से जुड़े सभी लेखकों एवं संपादकीय बोर्ड के सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद। अगामी अंक की सफलता के लिए शुभकामनाएं।

डॉ राज बहादुर,
राजभाषा अधिकारी, उच्च ऊर्जा पदार्थ अनुसंधान प्रयोगशाला,
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन,
रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

आपके विभाग की गृह पत्रिका 'राजभाषा भारती' का अक्तूबर-दिसम्बर 2015 का अंक प्राप्त हुआ। पत्रिका का यह अंक आकर्षक साज-सज्जा तथा राजभाषा हिंदी से संबन्धित वैविध्यपूर्ण लेखों से परिपूर्ण है। निश्चित रूप से यह पत्रिका राजभाषा हिंदी के व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार का सशक्त माध्यम है। इतने सुंदर प्रकाशन एवं सम्पादन के लिए मैं इससे जुड़े सभी स्टॉफ सदस्यों को बधाई देती हूं और भविष्य में भी यह पत्रिका और अधिक महत्वपूर्ण रचनाओं के साथ राजभाषा की सेवा में तत्पर बनी रहेगी, ऐसी कामना करती हूं।

श्रीमती स्वाति चढढा,
हिंदी अधिकारी, सी एस आई आर,
डॉ॰ होमी भाभा रोड, पुणे-411008

राजभाषा भारती, अंक-145 का मुखपृष्ठ आकर्षक एवं संग्रहणीय है। श्री चेतनादित्य आलोक का आलेख 'राष्ट्रपिता का राष्ट्रभाषा संबंधी चिंतन' अत्यंत शोधपरक आलेख है। आलेख में राष्ट्रपिता की राजभाषा के प्रति दूरदर्शिता एवं समन्वयकारी दृष्टि को विस्तार से विश्लेषित किया गया है। राजभाषा

भारती का प्रत्येक अंक निरंतर नवीन आलेखों से संवर्धित हो रहा है। पत्रिका के अन्य रचनाकारों ने भी बड़े परिश्रम के साथ लेखन-कार्य किया है। 'राजभाषा भारती' सदैव प्रेरणास्रोत बनी रहे, यही शुभकामना है।

डॉ राजनारायण अवस्थी,
हिंदी अधिकारी, ई सी आई एल,
हैदराबाद-500062

राजभाषा भारती, पत्रिका का अंक-145 प्राप्त हुआ। बहुत धन्यवाद। पत्रिका की समस्त रचनाएं एवं लेख ज्ञानवर्धक एवं उच्चस्तरीय है। हिंदी को लोकप्रिय बनाने में ''राजभाषा भारती'' का प्रयास उल्लेखनीय एवं सराहनीय है।

मोनिका टुडू,
सहायक निदेशक (राजभाषा),
खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद,
झारखण्ड-826001

पहली बार राजभाषा भारती का अंक हमें प्राप्त हुआ काफी प्रसन्नता भी हुई। इसमें छपे लेख सूचनापरक, तथ्यात्मक एवं ज्ञानवर्धक है साथ ही साथ राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़े कार्मिकों के लिए मार्गदर्शक भी है।

अरविंद कुमार सिंह,
हिंदी अधिकारी, दामोदर घाटी निगम,
मेजिया ताप विद्युत केंद्र, जिला-बांकुड़ा,
पश्चिम बंगाल- 722183

एक लंबे अंतराल के बाद 'राजभाषा भारती' का ताजा अंक (अप्रैल-जून 2015) प्राप्त हुआ जिसे देखकर और पढ़कर हार्दिक प्रसन्नता हुई। वही रंग, वही रूप किन्तु साहित्यिक एवं राजभाषा से संबन्धित स्तरीय एवं पठनीय सामग्रियों से सुसज्जित व परिपूर्ण। सच तो यह है कि राजभाषा भारती एक राष्ट्रीय स्तर की बिल्कुल प्रामाणिक पत्रिका है जिसकी मान्यता देश के बाहर भी है। अतएव इसमें अधूरी सूचना की कोई जगह नहीं है।

डॉ वासुदेव,
धर्मशीला कुटीर, ग्रामरू अरसंडे,
पत्रारू बोड़ेया, राँची (झारखण्ड)-834006

''राजभाषा भारती'' के 144वें अंक की प्रति प्राप्त हुई। धन्यवाद। पत्रिका में छपी रचनाएँ ज्ञानवर्धक तथा रुचिकर है। लेख ''तेल ताड़ की खेती'', ''डेंगू बुखार—एक जानकारी'' ज्ञानवर्धक एवं सूचनापरक लेख है। सम्पादन एवं कलेवर की दृष्टि से पत्रिका सुंदर बन गई है। बैक कवर पर गृह मंत्री जी का हिंदी दिवस संदेश सरहानीय है। पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य हेतु हार्दिक शुभकामनाएँ।

श्रीमती भीर राठौड,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण,
उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर

आपके द्वारा प्रेषित हिंदी पत्रिका ''राजभाषा भारती'' का अक्तूबर-दिसम्बर, 2015 का अंक प्राप्त हुआ। बहुत-बहुत धन्यवाद। पत्रिका हमेशा की तरह विविधताओं एवं विभिन्न प्रकार की सृजनताओं का समावेश है। आप एवं संपादक मण्डल बधाई के पात्र हैं। पत्रिका में प्रकाशित सभी लेख स्तरीय हैं एवं लेखों का चयन अत्यंत उत्कृष्टता से किया जाता है। इस सुंदर अंक को प्रकाशित करने के लिए आपको एवं संपादक मण्डल को हार्दिक बधाई। मैं कामना करता हूँ कि पत्रिका की यह उत्कृष्टता सदैव बनी रहे।

अम्बरीष कुमार सिंह,
मुख्य प्रबंधक (राजभाषा), कार्पोरेशन बैंक,
मंगलदेवी मंदिर मार्ग, मंगलुरु, 575001 कर्नाटक

राजभाषा भारती के 145वें तथा 144वें अंक की प्रतियाँ प्राप्त हुई, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। पत्रिका में प्रकाशित लेख जैसे—डॉ रुक्मिणी तिवारी का लेख 'हिन्दी को संवैधानिक मान्यता' शशिकांत पशीने की रचना 'भाषा, लिपि, उच्चारण, वर्तनी एवं मानकीकरण में सामंजस्य, वंदना सक्सेना की रचना

'विश्वपटल पर हिंदी विश्व भाषा के रूप में, अरविंदाक्षन एम की रचना' केरल में संपर्क भाषा— हिंदी और डॉ रविता पाठक की रचनाएं काफी ज्ञानवर्धक, रोचक एवं प्रशंसनीय हैं। कामना करता हूं कि पत्रिका का प्रकाशन एवं प्रबंधन अनवरत् चलता रहे इसी कामना के साथ आप सभी को नमस्कार।

अवधेश कुमार,
सहायक प्रबंधक (खान सर्वेक्षण), सेल,
मेघाहतुबुरु, जिला-पश्चिमी सिंहभुम, झारखंड

आप से प्रेषित अक्तूबर-दिसम्बर, 2015 राजभाषा भारती पत्रिका प्राप्त हुई। धन्यवाद। पत्रिका में समाहित चिंतन, अनुवाद, साहित्यिक लेख इत्यादि पठनीय है। काफी कार्यक्रमों का परिचय भावचित्र द्वारा दर्शाया है। सरकारी स्तर के कार्यक्रमों की जानकारी विस्तृत रूप से प्रकट की है। पत्रिका से राष्ट्रीयता का राष्ट्रभाषा संबंधी चिंतन तथा 'रामेश्वरम से रामेश्वरम तक' का व्यक्तिव विशेष, डॉ॰ पी आर वसुदेवन शेष का लेख अत्यंत रोचक है। हिंदी प्रचार की दिशा में आपका प्रयास प्रशंसनीय है। राजभाषा की प्रगति एवं विकास की दृष्टि से यह प्रेरणादायी है।

बी एस शांताबाई,
प्रधान सचिव,
कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति,
चामराजपेट, बेंगलूर-560018

राजभाषा भारती, अंक-144 (जुलाई-सितम्बर, 2015) तथा अंक 145 (अक्तूबर-दिसम्बर, 2015) की एक-एक प्रति इस कार्यालय को प्राप्त हुई है। मैं इसकी स्वीकृति के साथ आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं। पत्रिका में समाहित सभी रचनाएँ हिंदी की लोकप्रियता तथा देशभर के कोने-कोने से संकलित राजभाषा की गतिविधियों की रिपोर्ट बहुत ही आकर्षक एवं ज्ञानवर्धक हैं। इसके सफल प्रकाशन के लिए संपादक मंडल को हार्दिक शुभकामनाएँ।

ए ए पी कुजूर,
वरि॰ प्रबंधक, नॉर्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, शिलांग

राजभाषा विभाग की हिंदी पत्रिका 'राजभाषा भारती' के अंक 143, 144 एवं 145 की एक-एक प्रति साभार प्राप्त हुई। प्रत्येक अंक मुखचित्र, पृष्ठ चयन, मुद्रण एवं सम्पादन की दृष्टि से सराहनीय है। सभी पत्रिकाओं में समाहित स्तरीय रचनाओं के लिए चयनकारों को बधाई। पत्रिका में उल्लिखित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की गतिविधियों के साथ ही केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों में हो रही राजभाषा की विभिन्न गतिविधियों के समावेशन से हमें जानकारी के साथ साथ पत्रिका को नया आयाम मिल रहा है। रचनाकारों, संपादक मंडल व पत्रिका परिवार को राजभाषा हिंदी के प्रति इस अतुलनीय निष्ठा के लिए आभार सहित हृदय से धन्यवाद तथा पत्रिका को दीर्घायु प्रदान करने की प्रभु से प्रार्थना के साथ पत्रिका परिवार के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं।

उप महालेखाकार (प्रशासन),
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक),
गुजरात, रेसकोर्स रोड, राजकोट

हिंदी पत्रिका राजभाषा भारती के 145वे तथा 144वें अंक की प्रतियां प्राप्त हुई। पत्रिका की समस्त रचनाएँ उच्चस्तरीय हैं। 144वें अंक में डॉ॰ रामचन्द्र राय जी ने ''पूर्वोत्तर में हिंदी'' में हिंदी को इतिहास से जोड़ने का बेहतरीन कार्य किया है। 145 वें अंक में श्री चेतनादित्य आलोक का आलेख 'राष्ट्रपिता का राष्ट्रभाषा संबंधी चिंतन' की रचनाएँ अत्यंत ही रोचक, ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक एवं राजभाषा के प्रचार प्रसार में सहायक सिद्ध होगी। पत्रिका के सफल सम्पादन एवं प्रकाशन हेतु संपादक मंडल को हार्दिक बधाई तथा पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य हेतु हार्दिक शुभकामनाएं।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (हिंदी प्रकोष्ठ),
महालेखाकार (लेखापरीक्षा),
झारखंड का कार्यालय,
रांची।

पं॰ सं॰ 3246/77
आई एस एम एन

प्रपत्र–4 (देखिए नियम–8)

प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम
समाचार पत्रों का पंजीकरण (केन्द्रीय) नियम
''राजभाषा भारती'' के स्वामित्व तथा विवरणों की सूचना

1. प्रकाशन स्थान	नई दिल्ली
2. प्रकाशन अवधि	त्रैमासिक
3. मुद्रक का नाम	प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली
4. क्या भारत का नागरिक है?	भारतीय नागरिक
5. प्रकाशक का नाम व पता	डॉ॰ धनेश द्विवेदी, उप संपादक
	राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
	एन॰डी॰सी॰सी॰–2, भवन चौथा तल, बी विंग, नई दिल्ली–110001
	दूरभाष: 011–23438137
6. संपादक (पदेन) का नाम व पता	डॉ॰ श्रीप्रकाश शुक्ल
	संयुक्त निदेशक (नीति/पत्रिका), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
	एन॰डी॰सी॰सी॰–2, भवन चौथा तल, बी विंग, नई दिल्ली–110001
7. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों।	अप्रयोज्य

मैं, डॉ॰ धनेश द्विवेदी घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

ह॰/–
प्रकाशक का हस्ताक्षर

कवर डिजाइन एवं टाइपसेटिंग —भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आंचलिक कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित कार्यक्रम 'राजभाषा मंथन' में अधिकारियों को संबोधित करते हुये संयुक्त सचिव (रा॰ भा॰) डॉ॰ बिपिन बिहारी।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) दिल्ली की बैठक में पुरस्कार वितरित करते हुये संयुक्त सचिव (रा॰ भा॰) डॉ॰ बिपिन बिहारी।

पं. सं. 3247/77
आई एस एम एन 0970-9398

सत्यमेव जयते

राजनाथ सिंह
RAJNATH SINGH
गृह मंत्री, भारत
HOME MINISTER, INDIA

प्रिय देशवासियो !

हिंदी दिवस के अवसर पर आप सब को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं !

भाषा किसी भी राष्ट्र की सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर की संवाहक होती है और साथ ही संपूर्ण राष्ट्र की एकता और अखंडता की एक महत्वपूर्ण कड़ी भी होती है । इस संबंध में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हिंदी भाषा के बारे में अपना उद्‌गार व्यक्त किया था कि "हिंदी को राष्ट्र भाषा घोषित करने में एक दिन भी खोना देश को भारी सांस्कृतिक नुकसान पहुंचाना है । स्व-भाषा के बिना स्वराज का बोध नहीं हो सकता।" राष्ट्रीयता, भारतीयता और एकता हिंदी का मूल स्वर है और राजभाषा हिंदी सरकार एवं संपूर्ण देश की आम जनता के बीच में संवाद की भाषा होकर अपनी सार्थक भूमिका निभा रही है । इस प्रकार हिंदी को राष्ट्रीय स्वाभिमान का अंग एवं प्रेरणा स्रोत के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त समझते हुए भारतीय संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया। इसी अनुक्रम में 26 जनवरी, 1950 में लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार यह व्यवस्था की गई कि संघ सरकार की राजभाषा हिंदी होगी एवं इसकी लिपि देवनागरी होगी।

विश्व में भारत भूमि में सर्वप्रथम सभ्यता एवं संस्कृति का उद्‌गम हुआ। जिस भारत भूमि में सांख्य दर्शन, योग, दशमलव प्रणाली, ज्योतिष विज्ञान, ग्रह-नक्षत्रों की दूरी, काल की गणना जैसे ज्ञान से परिपूर्ण विषयों पर उत्कृष्ट साहित्य का सृजन हुआ हो, उस देश की भाषाओं का अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी जड़ें कितनी गहरी, समुन्नत, समृद्ध और वैज्ञानिकतापूर्ण हो सकती हैं । भारतीय भाषाओं की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ सरकार को यह दायित्व सौंपा गया कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे ताकि हिंदी भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके ।

आज की उदारीकृत अर्थव्यवस्था के युग में देश को अशिक्षा, बेरोजगारी और गरीबी से उबारने के लिए आम जनता को सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण, कृषि, अभियांत्रिकी और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे अनेक क्षेत्रों में राजभाषा हिंदी के माध्यम से शिक्षित करने की नितांत आवश्यकता है । लेखक और प्रकाशक राजभाषा हिंदी के माध्यम से स्वदेशी विज्ञान की समृद्ध परंपरा को सभी भारतीयों तक पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं ।

भारत सरकार के सभी कार्यालयों में सरकारी कामकाज में सरल एवं सहज हिंदी का प्रयोग किया जाए ताकि यह सभी के लिए बोधगम्य हो तथा इसका प्रयोग बहु-आयामी हो सके । यह याद रखना आवश्यक है कि संघ की राजभाषा नीति का मुख्य उद्देश्य राजकीय कार्य मूल रूप से हिंदी में करना है । मूल रूप से कार्यालयीन कार्य हिंदी में किए जाने से ही राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ेगा तथा राजभाषा नीति का सही मायनों में कार्यान्वयन संभव होगा । इस दिशा में अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए दो महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने आवश्यक हैं । पहला, मैं विशेष रूप से केंद्र सरकार में कार्यरत सभी वरिष्ठ अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि वे स्वयं अपना रोजमर्रा का सरकारी कामकाज हिंदी में करें ताकि अन्य सभी कार्मिकों को भी ऐसा करने की प्रेरणा मिले। दूसरा, सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए मैं केंद्र सरकार के सभी प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुखों से अनुरोध करता हूं कि वे राजभाषा विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन हिंदी माध्यम में करें । इस प्रयोजनार्थ व्यावहारिक कार्य-योजना बनाकर गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है ।

मैं यह अपील करता हूं कि राजभाषा विभाग को भेजी जाने वाली हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्टों व अन्य अपेक्षित रिपोर्टों में वास्तविक और तथ्यपरक आंकड़े एवं सूचनाएं ही दी जाएं। संघ की राजभाषा नीति का आधार सद्‌भावना, प्रेरणा और प्रोत्साहन है, किंतु संबंधित अनुदेशों का अनुपालन उसी प्रकार दृढ़तापूर्वक किया जाना चाहिए जिस प्रकार अन्य सरकारी अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है ।

आइए ! हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर हम यह दृढ़ संकल्प लें कि हम सभी अपना अधिकाधिक कार्य पूर्ण उत्साह, लगन और गर्व के साथ राजभाषा हिंदी में करेंगे । मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे सामूहिक, सार्थक एवं अथक प्रयासों से हम अपना लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त करेंगे और देश में हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं प्रयोग को नए आयाम देंगे ।

जय हिंद !

नई दिल्ली
14 सितंबर, 2016

(राजनाथ सिंह)

भारत सरकार, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय), एन डी सी सी-II भवन, नई दिल्ली-110003
के लिए डॉ॰ धनेश द्विवेदी, उप संपादक द्वारा प्रकाशित तथा
महाप्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक, द्वारा मुद्रित